लोक-सभा

वाद-विवाद

गुरुवार, १६ दिसंबर १९५४

(भाग १--प्रश्नोत्तर)

अंक ७, १९५४

(१४ से २४ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

अष्टम सूत्र १९५४

(खण्ड ७ म अंक २१ से अंक २९ तक है)

लोक-सभा सचिवालय ,

नई दिल्ली ।

603 LSD

विषय-सूची

खंड ७—अंक २१–२९ (१४ से २४ दिसम्बर, १९५४)

अंक २१—मंगलवार, १४ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १११३, १११४, १११८, से ११२२, ११२४, ११२५, ११२७, ११२८, ११३०, ११३२ से ११३४, ११३६ ११३८, ११४५, ११४७ से ११५०, ११५२, ११५४, ११५७, ११६१, ११६२, ११६४ और ११६६ . . १६९९—१७४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११५ से ११:१७, ११२३, ११२६, ११२९, ११३१, ११३५, ११३७, ११४०, ११४२ से ११४४, ११४६, ११५१, ११५३, ११५५, ११५६, ११५८ से ११६०, ११६३, ११६५, ११६८ और ११६९ . १७४०—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१९ से ७४८ . . १७५२–१७७६

अंक २२— बुधवार, १५ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७१, ११७३, ११७६, ११७७ ११७९ से ११८२, ११८७, ११९०, ११९१, ११९३ ११९४, ११९६ से १२०१, १२०३, १२०४, १२०६, से १२०८, १२११, १२१३, १२१४, १२१६, १२१८, १२२१ से १२२३, १२२७ से १२३२ और १२३५ . १७७७—१८२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७०, ११७२, ११७४, ११७५, ११७८, ११८३ से ११८६, ११८८, ११८९, ११९२, ११९५, १२०२, १२०५, १२०९, १२१०, १२१२, १२१५, १२१७, १२१९, १२२०, १२२४ से १२२६, १२३४, और १२३६ से १२४९ . १८२५—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ७४९ से ७७० और ७७२ से ८०३ १८४९—८२

अंक २३—गुरुवार, १६ दिसम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५१ से १२५४, १२५६, १२५८, १२५९, १२६२ से १२६४, १२६९, १२७१, १२७३ से १२७५, १२७७, १२७९, १२८२ से १२८५, १२८७, १२८८, १२९०, १२९१ और १२९३ से १२९७ . १८८३—१९२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५०, १२५५, १२५७, १२६० १२६१, १२६५ से १२६८, १२७०, १२७२, १२७६, १२७८, १२८०, १२८१, १२८६, १२८९, १२९२, १२९८, और १३०५ से १३०७ . . १९२५—३८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०४ से ८१४ और ८१६ से ८१९ . १९३८—५०

अंक २४—शुक्रवार, १७ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०८ से १३१३, १३१५ से १३१८, १३२१ से १३२३, १३२५, १३२६, १३२८, १३२९, १३३२, १३३३, १३३५ से १३३८, १३४१ से १३४५ और १३४७ . १९५१—९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३१४, १३१९, १३२०, १३२४, १३२७, १३३०, १३३१, १३३४, १३४०, १३४६ और १३४८ से १३६७ . . . . १९९७–२०१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८२० से ८५०, और ८५२ . . २०१८–२०३८

अंक २५—सोमवार, २० दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६८ से १३७२, १३७५ से १३७८, १३८०, १३८१, १३८३ से १३८५, १३८७ से १३९०, १३९२, १३९४, १३९५, १३९७ और १३९९ से १४०९ २०३९—८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . २०८५—८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७३, १३७४, १३७९, १३८२, १३८६, १३९१, १३९३, १३९६, १३९८, १४१० से १४२०, १४२२ और १४२३ . . . २०८७—९९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८५३ से ८८१ . . . २०९९—२११८

अंक २६—मंगलवार, २१ दिसम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४२४ से १४३८, १४४०, १४४१, १४४३ से १४४६, १४४८, १४४९, १४५१ से १४५५ २११९—६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३९, १४४२, १४४७, १४५०, १४५६, १४५९ से १४६९, १४७१ से १४७५ २१६४—७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८२ से ८९१ . . २१७६—८०

अंक २७—बुधवार, २२ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४७६ से १४८३, १४८८ से १४९०, १४९२ से १४९४, १४९६, १४९७, १४९९, १५००, १५०२ और १५०४ से १५०७ . . . २१८१—२२२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८४ से १४८७, १४९१, १४९५, १४९८, १५०१, १५०३, १५०८ से १५२२, १५२२—क, १५२३ से १५३३ और १५३५ से १५५७ . . २२२९—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ८९२ से ९२५ . . २२६३—८६

अंक २८—गुरुवार, २३ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५५८ से १५६१, १५६३ से १५६६, १५६९से १५७३, १५७५, १५७६, १५७८, १५७९, १५८१, १५८२ और १५८३ . २२८७–२३२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्नसंख्या १५६२, १५६७, १५६८, १५७४, १५७७, १५८०, १५८२–क, १५८४ से १५९३, १५९३–क, १५९४ से १६०१, १६०३ से १६२१, १६२१-क, १६२२ से १६२४, १६२४–क, १६२५ से १६२९, १६३१ से १६३५ २३२८–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२६ से ९७७ . . २३६४–९६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६, ७, ९, १० और ८ . २३९७—२४१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३६ से १६७३, १६७३क और १६७४ से १६८६ . . . . २४१९—५१

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७८ से ९९४ . . २४५२—६४

———

GIPND—NSH—603 LSD—1-1-55—240

लोक-सभा

गुरुवार, १६ दिसम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हिन्द-महासागर के देशों की विज्ञान सन्था

*१२५१. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने का कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्द महासागर के देशों का विज्ञान सन्था का आयोजित सम्मेलन अगस्त, १९५४ में पर्थ (आस्ट्रेलिया) में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन देशों ने भाग लिया था ; और

(ग) इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां।

(ख) आस्ट्रेलिया, बर्मा, श्रीलंका, फ्रांस, भारत, पुर्तगाल, मेडागास्कर, मलाया, पाकिस्तान और नीदरलैण्ड्स ।

(ग) १. डा० एच० जे० भाभा—नेता

२. डा० एफ० आर० भड़ूचा
३. डा० पी० के० घोष
४. श्री बी० एल० गुलाटी
५. डा० एस० एल० होड़ा
६. डा० जे० एन० मुकर्जी
७. डा० एन० के० पाणिक्कर
८. डा० एल० ए० रामदास

} सदस्य

सरदार हुक्म सिंह : क्या हिन्द महासागर के आस-पास के देशों के लोगोंकी भलाई और उन्नति के लिये भारत ने कोई ठोस प्रस्ताव रखे थे ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां। अनेक वैज्ञानिक विषयों पर इसमें चर्चा हुई थी, विशेष कर उन विषयों पर जो इस क्षेत्र के आस-पास रहने वाले लोगों के हित में हैं और इसमें हमने काफी भाग लिया था और आस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने हमारे कार्य की सराहना की थी।

सरदार हुक्म सिंह : मेरा प्रश्न यह था कि क्या भारत ने कोई ठोस सुझाव रखा था ?

श्री के० डी० मालवीय : वहां वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा हुई थी और सभी देशों के प्रतिनिधियों ने उसमें अंशदान किया था।

सरदार हुक्म सिंह : हिन्द महासागर के आस-पास के देशों के लिये विशेष रूप से रुचिकर किन-किन विषयों पर चर्चा हुई थी ?

श्री के० डी० मालवीय : वहां विज्ञान की विभिन्न शाखाओं पर वैज्ञानिक चर्चा हुई थी। डा० एच० जे० भाभा दल के नेता थे और वहां हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले वैज्ञानिकों में भूतत्ववेत्ता, समुद्र में मछली मारने के क्षेत्रों में रुचि रखने वाले, प्राणिशास्त्रवेत्ता और कृषि विज्ञानों से सम्बन्धित व्यक्ति थे। इन व्यक्तियों ने अपनी अपनी रुचि के विषयों में अंशदान किया था।

भारत में विदेशी

*१२५२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशियों की कुल संख्या कितनी है जिनके नाम १९५४ में अब तक पंजीबद्ध हो चुके हैं; और

(ख) ये लोग किन-किन देशों के हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख)। ३१ दिसम्बर, १९५३ को भारत में पंजीबद्ध विदेशियों की राष्ट्रीयतावार कुल संख्या बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५२]** १९५४ की सूचना १९५५ के मध्य में किसी समय उपलब्ध होगी।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : यह संख्या १९५२ की संख्या की तुलना में कैसी है ?

श्री दातार : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि १९५२ की तुलना में यह संख्या बहुत कम है। १९५२ में यह संख्या ८२,००० थी।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इस पंजीयन से कौन लोग मुक्त हैं ?

श्री दातार : जो राष्ट्रमंडल के और आयरलैण्ड गणराज्य के नागरिक हैं तथा वे भी जो नैपाली, भूटानी और पुर्तगाली तथा कुछ अन्य देशों के हैं।

श्री जोकीम आल्वा : क्या यह सच है कि बहुत से विदेशी जो भारत आते हैं और जिनका आगमन पुलिस द्वारा दर्ज किया जाता है, बाद को उनका कोई पता ठिकाना अथवा जाने की सूचना नहीं मिलती ?

श्री दातार : ज्यों ही वे आते हैं उन्हें पंजीयन कराना पड़ता है यदि वे ऐसा न करें तो उन पर अभियोग चलाया जा सकता है।

विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली

*१२५३. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी और भारतीय शिक्षाविदों के किसी दल को भारत, यूरोप और अमरीका में विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली के सविस्तार एवं तुलनात्मक अध्ययन के लिये भेजने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या अन्य देशों में प्राप्त अनुभव के आधार पर हमारे विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्रणाली में सुधार करने की कोई योजना शिक्षा मंत्रालय के विचाराधीन है ?

डा० एम० एम० दास : यह कार्य पहले ही किया जा चुका है। हमारे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कुछ वर्ष पूर्व अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और सरकार ने इसे स्वीकार भी कर लिया है।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन कई वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था और इसके बाद से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सी नई चीजें हो चुकी हैं जिनके कारण उक्त प्रतिवेदन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है ?

डा० एम० एम० दास : सरकार ऐसा नहीं समझती ।

सरदार ए० एस० सहगल : विदेशों में विदेशी भाषाओं का अध्ययन करने के लिये कितने छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं ?

डा० एम० एम० दास : यह एक भिन्न प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक बिल्कुल ही भिन्न प्रश्न है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की वे सभी सिफारिशें अब तक स्वीकार की जा चुकी हैं जिनमें सरकार कोई सुधार अथवा पुनर्विचार करना आवश्यक नहीं समझती ?

डा० एम० एम० दास : विश्व विद्यालय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देने के पश्चात् सरकार ने विश्वविद्यालय सर्वेक्षण समिति नामक एक और समिति बनाई थी, जिसने आयोग के प्रतिवेदन को आद्योपान्त पढ़ा था और कुछ छोटे-मोटे रूप-भेद किये थे ।

बेकारी

*१२५४. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या शिक्षा मंत्री २५ अगस्त, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार योजना के अधीन, जो गत वर्ष चालू की गई थी और जिसके अधीन ग्रामीण स्कूलों में ८०,००० शिक्षकों की नियुक्तियां होनी थीं, शिक्षित व्यक्तियों में बेकारी दूर करने के मामले में क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : ३० नवम्बर, १९५४ तक विभिन्न राज्यों के लिए ग्रामीण स्कूलों में ५९,३३७ शिक्षक और नगर-क्षेत्रों में १,९९३ सामाजिक शिक्षा कार्यकर्त्ता नियुक्त करने की अनमति दी गई थी ।

श्री रिशांग किशिंग : इस योजना को पूर्णतया कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

डा० एम० एम० दास : यह योजना १९५३–५४ और १९५४–५५ के लिए है । परन्तु योजना के विलम्ब से आरम्भ होने के कारण हमें कार्यान्विति में कुछ अधिक समय लगेगा ।

श्री एन० बी० चौधरी : इस योजना के आरम्भ में जो विलम्ब हो गया था वह योजना को पिछले निश्चित समय से आगे बढ़ा कर पूर्ण किया जायेगा ?

डा० एम० एम० दास : मैं कह चुका हूं कि यह कुछ बढ़ाई जायेगी ।

श्री केलप्पन : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि प्रति वर्ष ६०,००० से अधिक विद्यार्थी स्नातक बनते हैं और छः या सात लाख से अधिक माध्यमिक स्कूल शिक्षा से उत्तीर्ण होते हैं, शिक्षित वर्गों में बेकारी दूर करने के लिए सरकार ने और क्या कार्यवाही की है ?

डा० एम० एम० दास : शिक्षितों में बेकारी कम करने की योजना के अतिरिक्त, अन्य बहुत सी योजनायें हैं और औद्योगिक विकास तथा अन्य अनेकों बातों द्वारा देश में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है ।

श्री एस० एन० दास : क्या सरकार को विदित है कि विभिन्न राज्यों में इन बेकार शिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे ?

डा० एम० एम० दास : भर्ती करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है ।

सेना द्वारा अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन

*१२५६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ तथा १९५४ (३१ अक्तूबर तक) में सेना ने अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अधीन क्या क्या खाद्यान्न तथा अन्य अन्न उत्पन्न किये ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : १९५३ और १९५४ में सेना ने निम्न खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुयें उत्पन्न कीं :—

खाद्यान्न : गेंहूं, धान, मकई, आदि और जौ तथा ओट जैसे कम मात्रा में उगाये जाने वाले कुछ अनाज ।

खाद्यान्न के अतिरिक्त अन्य वस्तुऐं : तरकारियां, फल, चारा, गन्ना, तम्बाकू तथा मूंगफली ।

श्री विभूति मिश्र : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि फी एकड़ कितने मन की दर से पैदावार हुई ?

सरदार मजीठिया : कुल २५,६९६.४१ टन उत्पादन हुआ, और क्षेत्रफल ९,५७०.६५ एकड़ था ।

श्री विभूति मिश्र : जो पैदावार हुई, रुपयों के हिसाब से उस का कितना मूल्य आंका गया है ?

सरदार मजीठिया : मेरा ख्याल है कि मेरे पास गणित द्वारा निकाले गये आंकड़े नहीं हैं, परन्तु यदि वह चाहते हैं तो, मैं उन्हें मोटे तौर पर भिन्न भिन्न आंकड़े बता सकता हूं; गैहूं ९०५.२४ टन ; धान ५०५.२१ टन ; मकई ११७.८ टन; विविध खाद्यान्न १,०६२.०२ टन ; फल ३८०.३२ टन ; तरकारियां १६,१२४ टन और खाद्यान्न के अतिरिक्त अन्य वस्तुयें ६,६०१.३२ टन ।

श्री भक्त दर्शन : अब जब कि देश में खाद्य स्थिति सुधर गई है, क्या मैं जान सकता हूं कि इस आन्दोलन को अभी भी फौजों द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है या इस को समाप्त करने का विचार किया जा रहा है ?

सरदार मजीठिया : अभी भी जारी है ।

श्रीमती इलापालचौधरी : इस आन्दोलन के अधीन, क्या सेना ने गांवों में, तनिक भी, अच्छी किस्म का बीज बांटा था ?

सरदार मजीठिया : इसी मात्रा में उत्पादन हुआ था । गांवों का प्रश्न नहीं आता क्योंकि हम ने ये वस्तुयें स्थानीय बाजारों में असैनिक संभरण पदाधिकारियों के परामर्श से बेची थीं।

ईस्टर्न मर्कनटाइल कारपोरेशन, लिमिटेड

*१२५८. **श्री सारंगधर दास** : क्या गृह-कार्य मंत्री गृह-कार्य मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांग पर ३१ मार्च, १९५३ को हुई चर्चा के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में आन्तरिक उपयोग के लिये साइकिलों का आयात करने के लिये ईस्टर्न मर्कनटाइल कारपोरेशन, लिमिटेड (व्यापार निगम लिमिटेड), कटक को जो अनुज्ञा दी गई थी, उसे चोर बाजार में बेचने के कथित मामले में सरकार ने जो जांच पड़ताल की थी, क्या वह समाप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो वर्तमान स्थिति क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) जी हां ।

(ख) सरकारी हस्तक्षेप के लिये जांच पड़ताल से कोई मामला नहीं बना ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री सारंगधर दास : क्या यह जांच पड़ताल आयात के मुख्य नियंत्रक द्वारा दी गई अनुज्ञा संख्या ००२६२६।५१ सी० सी० आई० के सम्बन्ध में थी ?

श्री दातार : मैं प्रश्न नहीं समझ सका ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने किसी अनुज्ञा की संख्या बताई है और जानना चाहते हैं कि क्या जांच पड़ताल उस विशिष्ट अनुज्ञा के बारे में थी ।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : क्या मेरे माननीय मित्र प्रश्न को दोहराने की कृपा करेंगे ?

श्री सारंगधर दास : क्या यह जांच पड़ताल आयात के मुख्य नियंत्रक द्वारा दी गई अनुज्ञा संख्या ००२६२६।५१ सी० सी० आई० के सम्बन्ध में थी ?

डा० काटजू : मैं इस के बारे में विस्तृत सूचना नहीं दे सकता और न ही यह कह सकता हूं कि यह इस विशिष्ट अनुज्ञा के बारे में थी या किसी अन्य के बारे में ।

श्री सारंगधर दास : क्या श्री विजयानद पटनायक, और कलिंग ट्यूबस लिमिटेड तथा पर्ल साईकिल स्टोर्स के कुछेक व्यक्तियों के कार्यालियों तथा करों की इस सम्बन्ध में तलाशी ली गई थी, और जब तलाशी की वैधता को चुनौती दी गई तो उच्च न्यायालय ने यह विनिर्णय किया कि तलाशी वैध थी ?

डा० काटजू : मेरा ख्याल है कि इस बारे में मेरी अपेक्षा मेरे माननीय मित्र अधिक जानते हैं ।

श्री सारंगधर दास : पुलिस जिन अभिलेखों या अन्य वस्तुओं की तलाश कर रही थी उन में से क्या कोई इन कार्यालयों तथा घरों में पाये गये ?

डा० काटजू : पुलिस को ऐसे बहुत से अभिलेख मिले जिन्हें वह चाहती थी परन्तु मैं यह नहीं बता सकता कि वह कौन कौन से अभिलेख चाहती थी ।

चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी

*१२५९. **श्री गिडवानी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उस संकल्प की ओर आकर्षित किया गया है जो २४ अक्टूबर, १९५४ को नई दिल्ली में हुई चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की बैठक में पारित किया गया था और जिस में भारत सरकार से यह मांग की गई थी कि उन की पदोन्नति कर के उन्हें क्लर्कों के वेतन-क्रम में रखा जाये ;

(ख) क्या सरकार ने उस पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निश्चय हुआ है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और क्लर्क के कार्य में कोई समानता नहीं है । अतः इस मामले में निम्न कोटि से उच्च कोटि के लिए पदोन्नति, जिसका आधार निश्चय ही पहले की कोटि का कार्य होना चाहिये, सम्भव नहीं है । फिर भी, सरकार यह विचार कर रही है कि चतुर्थ श्रेणी के उन कर्मचारियों को जो, शिक्षा की दृष्टि से क्लर्क-कोटि के योग्य हैं, क्या अन्य सुविधायें दी जा सकती हैं ।

श्री गिडवानी : क्या यह सच नहीं है कि विभिन्न मंत्रालयों में इन कर्मचारियों में से कुछ को पदोन्नति देकर क्लर्क बनाया गया है ?

श्री दातार : यह पदोन्नति का मामला नहीं होगा। यदि वे वास्तव में अर्ह हों, तो चतुर्थ श्रेणी के सेवकों को क्लर्क के रूप में नियुक्त किया जाता है।

श्री गिडवानी : यदि वे अर्ह हैं तो उन्हें क्लर्क बनाने में क्या कठिनाई है ?

श्री दातार : कठिनाई यह है। चतुर्थ श्रेणी से तीसरी श्रेणी में कोई पदोन्नति नहीं हो सकती। कार्य सर्वथा भिन्न प्रकार का है। एक क्लर्क सम्बन्धी कार्य है और दूसरा सेवाकार्य।

पंडित डी० एन० तिवारी : इस श्रेणी में कितने स्नातक और मैट्रिक पास काम कर रहे हैं जो क्लर्कों के लिए पदोन्नति के पात्र हैं ?

श्री दातार : यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न का सम्बन्ध केवल चतुर्थ श्रेणी से है।

अन्दमान द्वीप

*१२६२. श्री केशवैयंगार : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या अन्दमान द्वीप के मुख्यायुक्त या अन्दमान के लोगों से जापानी अधिकार से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने की योजना के रूप में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के सम्बन्ध में सरकार ने कोई निश्चय किया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख)। अन्दमान के ऐसे व्यक्तियों को, जो जापानी अधिकार के समय उन द्वीपों में थे और जिन्हें वास्तव में आर्थिक दृष्टि से पुनःसंस्थापन की आवश्यकता है, सहायता देने का एक सरकारी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और उस पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है।

श्री केशवैयंगार : क्या सरकार को ऐसे पीड़ितों की संख्या का बोध है? उन्हें लगभग कितनी और कैसी सहायता प्राप्त होगी ?

श्री दातार : ऐसे व्यक्तियों की ठीक संख्या मेरे पास नहीं है। परन्तु प्रस्ताव यह है कि विश्रंखलित आर्थिक व्यवस्था के पुनः संस्थापन तथा जापानी अधिकार से पीड़ित व्यक्तियों को फिर से बसाने के लिए इन लोगों को ७ लाख रुपये दिये जायें।

श्री केशवैयंगार : क्या माननीय मंत्री इस सत्र के पश्चात् इन द्वीपों के अपने वांछित दौरे के समय का व्यक्तिगत रूप से विचार करने के लिए इस मामले को अत्यधिक प्राथमिकता देंगे ?

श्री दातार : इस प्रश्न पर सरकार पूर्ण ध्यान दे रही है और प्रस्ताव पर आजकल सक्रिय रूप से विचार हो रहा है।

श्री भागवत झा आज़ाद : द्वीपों पर जापानी अधिकार के समय या उसके पश्चात् लोगों को या सरकार को जो हानि हुई, क्या सरकार ने उसकी राशि निर्धारित की है ?

श्री दातार : ठीक संख्या ज्ञात करने का सरकार ने प्रयास किया है। ७ लाख रुपये की यह राशि अस्थायी रूप से निश्चित की गई है और इस प्रश्न का सम्बन्ध उन लोगों से है जिन्हें जापानी अधिकार से हानि पहुंची है।

राष्ट्रीय आय समिति

*१२६३. श्री मुरारका : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय नमूना परिमाप के द्वारा इकट्ठे किये गये आंकड़ों का कोई प्रयोग नहीं कर सकी क्योंकि ये सब आंकड़े न तो पर्याप्त थे और न ही पूर्णतया विश्वास योग्य थे ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : जी नहीं। राष्ट्रीय नमूना

परिमाप के द्वारा इकट्ठे किये गये कुछ आंकड़ों का राष्ट्रीय आय समिति द्वारा प्रयोग किया गया है।

श्री मुरारका : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राष्ट्रीय आय समिति ने बाद में इकट्ठे किये गये आंकड़ों के गुण प्रकार के सम्बन्ध में अपनी कोई सम्मति प्रकट की है ?

श्री बी० आर० भगत : जी नहीं। राष्ट्रीय आय समिति पहली बार इकट्ठे किये गये आंकड़ों का कोई अधिक प्रयोग नहीं कर सकी क्योंकि वे उसके लिये उपयुक्त नहीं पाये गये थे। राष्ट्रीय आय समिति सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखती है, परन्तु यह आंकड़े केवल देहाती क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं। इसीलिये उसने इसका कोई पूर्णतया प्रयोग नहीं किया। परन्तु समिति इस आंकड़ों का १९५२–५३ के राष्ट्रीय आय प्राक्कलन बताने के लिये पूर्णतया प्रयोग करेगी।

श्री मुरारका : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राष्ट्रीय आय समिति ने यह बताया है कि किन बातों के सम्बन्ध में ये आंकड़े विश्वास योग्य नहीं पाये गये हैं ?

श्री बी० आर० भगत : राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन, राष्ट्रीय आय समिति द्वारा निकाला जाता है। हमें अशंतः उत्पादन के आधार पर तथा अंशतः आय के आधार पर निकालना होता है। राष्ट्रीय नमूना परिमाप के द्वारा पहली बार प्रकाशित सामग्री, राष्ट्रीय आय समिति द्वारा उपयुक्त तथा विश्वास योग्य नहीं समझी गई थी क्योंकि वह सामग्री मुख्यतः देहाती क्षेत्रों से सम्बन्धित थी। इसलिये समिति ने राष्ट्रीय नमूना परिमाप का पूर्णतया प्रयोग करना उचित नहीं समझा।

श्री मुरारका: इन आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिये राष्ट्रीय नमूना परिमाप पर प्रति वर्ष कितना धन व्यय किया जाता है ?

श्री बी० आर० भगत: मुझे इसके लिए विशिष्टि पूर्व सूचना चाहिये।

डा० सुरेश चन्द्र: क्या मैं जान सकता हूं कि राष्ट्रीय नमूना परिमाप यह गवेषणा कार्य क्यों कर रहा है, जबकि उसके द्वारा इकट्ठे किये गये आंकड़े सरकार द्वारा विश्वास योग्य नहीं समझे जाते हैं ?

श्री बी० आर० भगत : माननीय सदस्य ठीक नहीं समझे हैं। पहली बार बताये गये कारणों की वजह से परिणाम ठीक नहीं समझे गये। समिति सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था के आंकड़े चाहती थी परन्तु ये आंकड़े केवल उस आर्थिक व्यवस्था के एक भाग के ही थे। अब वे आठवीं बार कार्य कर रहे हैं तथा उन्होंने संस्था, तथा प्रणाली को बिल्कुल ठीक कर लिया है। राष्ट्रीय आय समिति, १९५२–५३ के राष्ट्रीय आय प्राक्कलन तैयार करने के इन आंकड़ों का अधिकाधिक उपयोग करेगी।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग

*१२६४. **श्री एस० एन० दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने अध्यापकों को सिनेट तथा सिंडीकेट में अभिमान देने के दृष्टिकोण से विभिन्न राज्य सरकारों को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों को कार्य रूप में परिणित करने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने उनसे अपने अपने राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों में एक उप-कुलपती की नियुक्ति के लिये दिल्ली विश्व-विद्यालय की प्रणाली का अनुसरण करने को कहा है, और

(ग) इन सुझावों पर उन की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि अध्यापकों का सिनेटों तथा सिन्डीकेटों में अधिमान्यता देने के हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों के पुननिर्माण के प्रश्न पर विचार किया जाये ।

(ख) जी हां ।

(ग) राज्य सरकारों से अपनी प्रतिक्रियायें बताने को नहीं कहा गया है केवल उनसे उन पर विचार करने को कहा गया है ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि विभिन्न राज्य सरकारों को ये सुझाव भेजते समय क्या विभिन्न विश्वविद्यालयों से, इस प्रश्न के सम्बन्ध में उनकी सम्मतियां प्राप्त की गयीं थीं, तथा यदि हां, तो वे सम्मतियां क्या थीं ?

डा० एम० एम० दास : विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने सम्पूर्ण देश का दौरा किया था। उसने सभी विश्वविद्यालयों को देखा तथा उन से परामर्श करने के बाद ही, वह इस निर्णय पर पहुंचा था । इसलिये उनसे पुनः परामर्श करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस विषय बिशेष के सम्बन्ध में भी उनकी सम्मति ली गई थी या नहीं ?

डा० एम० एम० दास : इस प्रश्न विशेष के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय आयोग द्वारा सिफारिशें की गयी हैं । तथा इन सिफारिशों को करने से पहले आयोग ने सम्पूर्ण देश का दौरा किया था और सभी विश्वविद्यालयो से परामर्श किया गया था ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : यदि यह परिवर्तन करना अपेक्षित हो तो क्या राज्य सरकारों को विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने के लिये कोई विधान पुरः स्थापित करना होगा, तथा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कितनी राज्य सरकारें अपने अधिनियमों को संशोधित करने पर सहमत हो गयी हैं ?

डा० एम० एम० दास : जैसा कि माननीय सदस्य जानतें हैं, कि हमें इस सम्बन्ध में कोई निदेंश जारी करने के कोई संविधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं, हमने केवल राज्य सरकारों को कुछ सुझाव तथा परामर्श दिया है और स्वीकार करना अथवा न करना राज्य सरकारों का काम है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मेरा प्रश्न समझा नहीं गया है । कितनी राज्य सरकारों ने ऐसा विधान प्रस्तुत करना स्वीकार किया है ?

डा० एम० एम० दास : मैंने उत्तर में बताया कि हमने राज्य सरकारों से कोई उत्तर नहीं मांगा है। हमने उनसे केवल इस पर विचार करने के लिये कहा है ।

अमरीकी धर्म-प्रचार स्थान

*१२६९. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में कितने धर्म-प्रचार-स्थान खोले गये हैं ; और

(ख) उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां खोले गये हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख) । १९४७ के पश्चात् खोले गये नये धर्म-प्रचार-स्थान अथवा शाखाओं की संख्य ५५ है । यह ज्ञात नहीं कि उनमें से कितने अमरीकी हैं । यह सूचना एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत में आने अथवा धर्म प्रचार स्थान खोलने से पूर्व सरकार से कोई अनुमति ली गई है तथा क्या उन पर कोई शर्तें लगायी गई थीं ?

श्री दातार : सामान्य अनुमति ली गई है तथा जो कार्य उनको करना होता है उसके सम्बन्ध में कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि वे शर्तें क्या हैं ?

श्री दातार : शर्तें यह हैं कि उनको राजनीति में कोई भाग नहीं लेना होगा तथा जिस कार्य के लिये अनुमति दी गई है केवल वही कार्य करना होगा।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को इनके द्वारा राजनीति तथा समाज में किये जा रहे अवांछनीय कार्यों के सम्बन्ध में कोई जानकारी है ?

श्री दातार : सरकार को कुछ शिकायतें मिली हैं तथा वह उन पर विचार कर रही है।

श्री टी० एन० सिंह : क्योंकि माननीय मंत्री हमें इन धर्म-प्रचार-स्थानों के स्थापना स्थानों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दे सके हैं, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उनके द्वारा बताये गये ५५ धर्म-प्रचार-स्थानों के आंकड़े ठीक हैं ?

श्री दातार : ये आंकड़े विशेष रूप में राज्य सरकारों से प्राप्त किये गये हैं। इस सभा के एक माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न किया गया था तथा उसके आधार पर हमने यह सूचना मंगाई थी और यह सूचना हमें राज्य सरकारों से प्राप्त हुई है।

श्रेष्ठि-चत्वर

*१२७१. **डा० जे० एन० पारिख :** क्या वित्त मंत्री भारत में श्रेष्ठि-चत्वरों के विनियमन से सम्बन्धित सरकार की नीति बताने की कृपा करेंगे ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : प्रतिभूतियों में ठेकों का विनियमन करने के लिए एक विधेयक का प्रारुप तैयार कर लिया गया है। सरकार उसे यथा शीघ्र संसद् में प्रस्तुत करने का विचार करती है। इस विधेयक में अन्तर्भूत नीति प्रतिभूतियों अवांछित खरीद फरोख्त को रोकने के उद्देश्य से इन श्रेष्ठि-चत्वरों की रचना, व्यापारिक प्रणालियों तथा तरीकों पर नियन्त्रण करने के अधिकारों को ग्रहण करके इनके कार्यकरण को नियंत्रित करना है।

डा० जे० एन० पारिख : क्या सरकार का यह विचार है कि इस समय ये श्रेष्ठि-चत्वर ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं ?

श्री एम० सी० शाह : उनमें बहुत सी बुराइयां हैं, तथा सत्य यह है कि संविधान के अनुसार यह एक केन्द्रीय विषय है तथा इस देश के समस्त श्रेष्ठि-चत्वरों को नियंत्रित करने के लिये एक विधेयक रखना चाहते हैं।

डा० जे० एन० पारिख : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वायदे के सौदों से सम्बन्धित शासन तन्त्र को इसके लिये काम में लाने का विचार है, अथवा कोई एक बिल्कुल नवीन शासनतन्त्र स्थापित किया जायेगा ?

श्री एम० सी० शाह : इस विधेयक में एक नवीन शासन-तन्त्र की व्यवस्था है। वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्यों) में एक समवाय संगठन विभाग है तथा कुछ समय के लिये इसका प्रशासन इस विभाग द्वारा संभाल लिया जायेगा, परन्तु बाद में हमारा विचार परिषदें स्थापित करने का है, जिनमें हम उद्योग तथा व्यापार के प्रतिनिधियों को भी इसकी प्रशासन व्यवस्था में सम्मिलित करेंगे।

नौ-सेना जल-पोतों की प्रतिस्थापना

*१२७३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या रक्षामंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय नौ-से के वर्तमान जल-पोतों का अच्छे तथा नये जल-पोतों से प्रतिस्थापन करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये सरकार कितने नवीन जल-पोतों को क्रय करने की प्रस्थापना करती है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां, धीरे धीरे।

(ख) इस सूचना को बताना लोक-हित में नहीं होगा।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जन सकता हूं कि क्या यह बताना लोकहित में होगा कि इस सम्बन्ध में कितना व्यय किये जाने की सम्भावना है ?

श्री सतीश चन्द्र : इस पुनः स्थापन कार्यक्रम में कई वर्ष लगेंगे और व्यय उपलब्ध जल-पोतों की लागत पर निर्भर होगा। व्यय प्रति वर्ष भिन्न भिन्न होगा। जल-पोत का मूल्य उसकी निर्माण लागत तथा किसी वर्ष विशेष में विदेशों में सामान के मूल्य पर निर्भर होगा।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह सच है कि जिन जहाजों के खरीदे जाने की सम्भावना है उनमें से कुछ भारत में भी बनाये जायेंगे ?

श्री सतीश चन्द्र : जी हां श्रीमान्, कुछ जहाज़ भारत में बनाये जायेंगे। वास्तव में विशाखापत्तनम् के जहाज़ बनाने के एक कारखाने को एक जहाज़ बनाने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। एक और जहाज़ बनाने का काम भी उसे शीघ्र ही सौंपा जायेगा और ग़ैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा भारत में छोटे छोटे जहाज़ भी बनाये जायेंगे।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार नौ-सेना के मुख्य कार्यालय में एक नौ-सेना निर्माण विभाग खोलने की प्रस्थापना करती है ?

श्री सतीश चन्द्र : हां श्रीमान्, नौ-सेना के मुख्य कार्यालय में एक नौ-सेना निर्माण-शाखा खोलने का विचार है जो भारत तथा अन्य देशों में नये जहाजों के निर्माण के लिये नमूने आदि बनाने में सहायता करेगी।

श्री कासलीवाल : मैं जानना चाहता हूं कि नये जहाज़ "नाइजीरिया" को कब से काम पर लगाया जायगा ?

श्री सतीश चन्द्र : इसमें लगभग दो वर्ष लगेंगे।

श्रवण नेत्र शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय बोर्ड

*१२७४. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रवण नेत्र शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय बोर्ड की पिछली बैठक कब हुई थी;

(ख) राष्ट्रीय बोर्ड की सिफारिश के अनुसार जिन राज्यों ने ऐसे बोर्ड बनाये हैं उनके नाम क्या हैं ;

(ग) वे अनुमोदित विषय कौन से हैं जिन पर फिल्में तैयार की जाने को थीं और इस योजना के अन्तर्गत अब तक तैयार की गई फिल्मों की संख्या कितनी है ; और

(घ) इन फिल्मों को बनाने में कुल कितना व्यय हुआ है और इन फिल्मों का क्या उपयोग किया जा रहा है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) ६ और ७ मई, १९५३

(ख) अभी तक इन राज्यों ने श्रवण नेत्र शिक्षा बोर्ड बनाये हैं :

(१) अजमेर (२) आंध्र (३) बिहार (४) कुर्ग (५) हैदराबाद (६) मद्रास (७) मनीपुर (८) उत्तर प्रदेश।

(ग) जिन अनुमोदित विषयों पर फिल्में तैयार की जाने को थीं उनकी सूची सम्बद्ध है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५३] अभी तक इन प्रस्थापित फिल्मों में से एक भी तैयार नहीं की गयी है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या सरकार को पता है कि बच्चों की फिल्में प्रसारण मंत्रालय द्वारा भी बनाई जा रही हैं ?

डा० एम० एम० दास : हां, श्रीमान्, हमें यह भली भांति ज्ञात है । उनके अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित—इस बोर्ड द्वारा प्रस्तावित—फिल्में भी उस मंत्रालय द्वारा बनाई जायेंगी ।

श्री के० सी० सोधिया : इन फिल्मों का निर्माण शिक्षा मंत्रालय के आधीन है या प्रसारण मंत्रालय के ।

डा० एम० एम० दास : माननीय सदस्य को ज्ञात होना चाहिये कि शिक्षा मंत्रालय के पास फिल्में बनाने की कोई मशीनरी नहीं है । आवश्यक मशीनरी सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के पास है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या उसने अभी तक कोई फिल्में तैयार की हैं ?

डा० एम० एम० दास : मैंने उत्तर में पहले ही निवेदन कर दिया है कि उपयुक्त व्यक्तियों के अभाव के कारण अभी तक कोई फिल्म तैयार नहीं की गयी है ।

श्रीमती इला पाल चौधरी : क्या मैं जान सकती हूं कि जैसा कि हमने आज पत्रों में देखा है, ये जो बच्चों की फिल्में बनायी जाने वाली हैं वे क्या इसी योजना के अन्तर्गत बनायी जायेंगी ?

डा० एम० एम० दास : जी हां बच्चों के मनोरंजन की कुछ फिल्में इसी योजना के अन्तर्गत तैयार की जायेंगी ।

सूर्य शक्ति गवेषणा (यूनेस्को विशेषज्ञ)

*१२७५. **श्री आर० एस० दीवान :** क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सूर्य शक्ति गवेषणा के लिये यूनेस्को के एक विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त की गयी हैं ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : जी नहीं श्रीमान् । किन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि प्रयोगशाला के प्रलेख्यीकरण केन्द्र (डाक्यूमेन्टेशन सेन्टर) में यूनेस्को के एक अनुवाद विशेषज्ञ श्री ए० एल० गार्डनर सूर्य शक्ति को काम में लाने के कार्य में दिलचस्पी लेते रहे हैं और उन्होंने अपने घर की छत पर अनेक चपटे शीशों को किसी विशेष क्रम से जमाया है जो सूर्य की शक्ति को एक स्थान पर केन्द्रित कर देते हैं, और इसमें हमारे कुछ विशेषज्ञों ने बड़ी दिलचस्पी दिखाई है । अतः हमने उन्हें प्रयोगशाला में एक सूर्य शक्ति यंत्र बनाने के हेतु प्रोत्साहन दिया है ।

श्री आर० एस० दीवान : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह महानुभाव कला के एक साधारण स्नातक हैं, और अनुवाद विशेषज्ञ हैं और विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तथा जो प्रयोग उन्होंने किया था वह असफल रहा था ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं उस प्रयोग को असफल नहीं कह सकता हूं । उस प्रयोग से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं । उन्होंने जो काम किया है उससे हमारे अनेक वैज्ञानिक प्रभावित हुए हैं ।

राष्ट्रीय योजना ऋण बन्धपत्र

*१२७७. **श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राष्ट्रीय योजना ऋण बन्धपत्रों के जारी

किये जाने में असाधारण विलम्ब हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इन बन्धपत्रों के जल्दी जारी किये जाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) और (ख)। जैसा कि मैंने श्री मात्तन के २८ सितम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १४२९ के उत्तर में बताया था, प्रारम्भ में कुछ स्थानों पर विशेषत: मद्रास में कुछ विलम्ब हो गया था। ९०,००० से अधिक इन सब ऋण-आवेदन पत्रों के बन्ध पत्र जारी कर दिये गये हैं। केवल १४०० आवेदन पत्र कुछ त्रुटियों के कारण अभी विचाराधीन हैं।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह विदित करने में, कि जो प्राधिकारी इस ऋण के लिये रुपया ले वही बन्ध पत्रों को जारी करने का भी प्राधिकारी हो, कोई विशेष आपत्ति है ?

श्री एम० सी० शाह : यह सब प्रबन्ध रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। विलम्ब न होने देने के लिये, रिजर्व बैंक की शाखाओं को भुगतान के सम्बन्ध में महालेखाध्यक्ष के अनुमोदन बिना इस कार्य को करने का अधिकार दे दिया गया है। ये भुगतान राजकोषों या उपराजकोषों में किये जाते हैं। तब वे महालेखाध्यक्ष के पास जाते हैं। महालेखाध्यक्ष द्वारा सत्यापित किये जाने के पश्चात् ये बन्धपत्र जारी किये जाते हैं। अब यह आदेश दिये गये है कि उन्हेंमहालेखाध्यक्ष की जांच की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार विलम्ब को दूर किया जा रहा है।

श्री टी० एन० सिंह : क्या पहले हुआ यह विलम्ब प्रक्रिया की इस कठिनाई के कारण हुआ था या रिजर्व बैंक तथा इम्पीरियल बैंक में कर्मचारियों के अभाव के कारण हुआ था ?

श्री एम० सी० शाह : इस प्रक्रिया के कारण कुछ विलम्ब हुआ था। जहां तक मद्रास का सम्बन्ध था, वहां कर्मचारियों के लिये स्थान का प्रबन्ध करने में कुछ कठिनाई हुई थी। उन्होंने उसी समय स्थान परिवर्तन किया था। उन्हें एक अच्छा स्थान प्राप्त हो गया, अत: वे सब आवेदनपत्र जल्दी ही निवटा दिये गये थे पहले केवल प्रारम्भ में ही इस प्रक्रिया के कारण विलम्ब हुआ था।

भूतपूर्व सैनिकों को कृषि सम्बन्धी प्रशिक्षण

*१२७९. **श्री रनदमन सिंह** : क्या रक्षा मंत्री १७ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिये बुनियादी कृषि सम्बन्धी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है ;

(ख) प्रत्येक पाठ्यक्रम में कितना समय लगता है ;

(ग) ऐसी संस्थाओं में अधिक से अधिक कितने भूतपूर्व सैनिक लिये जा सकते हैं ; और

(घ) इन पाठ्यक्रमों में और भी अधिक सम्मिलित हों इसका सुनिश्चय करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या वह क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) एक विवरण पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५४]

(ख) प्रत्येक पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष है।

(ग) प्रत्येक संस्था में कुल जितने स्थान उपलब्ध हैं उनमें से अधिक से अधिक २५ प्रतिशत स्थान भूतपूर्व सैनिकों को दिये

जा सकते हैं। मैं यहां यह बता देना चाहता हूं कि अगले दो वर्षों में २,२५० भूतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण दिये जाने की आशा है।

(घ) प्रेस, रेडियो, सैनिकों, नाविकों तथा हवाबाजों के जिला बोर्डों, भर्ती करने के दफ्तरों तथा रेजीमेन्टों के केन्द्रों से इस प्रशिक्षण योजना का अधिकाधिक प्रचारकिया गया है। ये कार्य समय समय पर दोहराये जायेंगे।

श्री रनदमन सिंह: जिन राज्यों में यह सलाहकार समितियां नहीं बनाई गई हैं वहां के आदिवासियों को किन तरीकों से लाभ पहुंचाया जा रहा है ?

सरदार मजीठिया : जहां यह स्कूल नहीं है वहां तो उनको कोई मदद नहीं की जा सकती है क्योंकि पढ़ाई तो वहीं पर हो सकती है जहां पर स्कूल होते हैं।

श्री रनदमन सिंह : जब संविधान की सूची ५ के पैराग्राफ ४ के अनुसार राज्यों के अन्दर यह सहकार समितियां और आदिवासी सलाहकार कौंसिल बनाने के आदेश ह तो वह क्यों नहीं बनाई गई ?

अध्यक्ष महोदय : उन का प्रश्न यह है कि संविधान में उपबन्ध होते हुए भी यह सलाहकार बोर्ड क्यों नहीं बनाये गये हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : वे प्रश्न १२९७ के सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं प्रश्न १२७९ के सम्बन्ध में नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह नहीं है कि माननीय सदस्य जो अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं वह मूल प्रश्न के क्षेत्र में है या नहीं। प्रश्न तो यह है कि क्या सम्बन्धित मंत्री को यह प्रश्न उचित रूप से समझाया गया है या नहीं। यदि यह मूल प्रश्न से असंगत है, तो इसे ऐसा बताना माननीय मंत्री का कार्य है। अब मैं दूसरा प्रश्न लेता हूं।

विदेशी भाषाओं का स्कूल

*१२८२. **श्री भक्त दर्शन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आज कल विदेशी भाषाओं के स्कूल में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : १ दिसम्बर, १९५४ को ३४८ विद्यार्थी थे।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह व्यक्ति किन किन भाषाओं में शिक्षा पा रहे हैं, विशेषकर चीनी और तिब्बती भाषा में कितने व्यक्ति शिक्षा पा रहे हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : इस वक्त जो भाषायें पढ़ाई जा रही हैं वे यह हैं :

फ्रेंच, जर्मन, रशियन, चाइनीज़, पर्शियन अरेबिक, जापानीज; बर्मीज और तिब्बती।

श्री भक्त दर्शन: मैंने यह जानना चाहा था कि तिब्बती और चीनी भाषाओं में आज कल कितने छात्र शिक्षा पा रहे हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : तीन अलग अलग तरह के कोर्सेज़ हैं : प्रिलिमिनरी, ऐडवान्स और इंटरप्रेटरशिप। मालूम नहीं कि माननीय सदस्य किस के बारे में जानना चाहते हैं। अगर वह मेरे पास आयें तो क्वैश्चन आवर के बाद में उनको बतला दूंगा।

श्री भक्त दर्शन: मैं यह जानना चाहता हूं कि इन विदेशी भाषाओं की शिक्षा देने के लिये छात्रों को छात्रवृत्ति या अन्य प्रकार के कोई प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है ?

श्री सतीश चन्द्र : जब गवर्नमेंट के आफ़िसर्स को मिनिस्ट्रीज़ स्पान्सर करती हैं तब उन कैन्डिडेट्स की फ़ीस उस मिनिस्ट्री की तरफ़ से ४० रुपया महीना के हिसाब से इस स्कूल को मिलती है।

विभाजन से पूर्व का फ़ौजी सामान

*१२८३. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या रक्षा मंत्री २३ फरवरी, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से सरकार का पाकिस्तान सरकार के साथ विभाजन से पूर्व के फ़ौजी सामान के विनिमय के विषय में कोई पत्र-व्यवहार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो यह पत्र-व्यवहार अब किस स्थिति में है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) और (ख) । नहीं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो डिफ़ेन्स के इक्विपमेन्ट्स वगैरह पाकिस्तान में रह गये थे उनका समझौता कब तक हो जायेगा या क्या इस सिलसिले में कोई कार्यवाही चल रही है ?

श्री त्यागी : इस वक्त समझौते की कोई कार्यवाही नहीं चल रही है । चूंकि बहुत बड़े बड़े सवालों पर दोनों मुल्कों में बात चीत चल रही थी इसलिये इस सवाल को आगे नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब सब मसले तय होंगे तो यह मामला भी तय हो जायेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि जो सामान हमारा पाकिस्तान में आउटस्टैन्डिग पड़ा हुआ है उसका कुल मूल्य अन्दाजन कितना होगा ?

श्री त्यागी : उसके मूल्य का अन्दाजा इस वक्त नहीं हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान का भी कुछ सामान हमारे यहां पड़ा है और हमारा वहां पड़ा है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : किस का सामान ज्यादा है, भारत का या पाकिस्तान का ?

श्री त्यागी : मेरा ख्याल है कि रुपया तो हमारा ज्यादा होगा पाकिस्तान में जो कि यहां आना चाहिये और सामान शायद पाकिस्तान का ज्यादा होगा ।

राष्ट्रीय प्रयोगशालायें

*१२८४. सरदार हुक्म सिंह : क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रयोगशालायें स्थापित कर दी गई हैं और क्या उन्होंने अब कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) क्या इन प्रयोगशालाओं में की गई गवेषणा और अनुसंधान के फलस्वरूप १९५४ में कोई औद्योगिक उत्पाद तैयार हुआ है और विक्रय के लिये बाज़ार में रखा गया है ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क)और(ख)। अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [देखिये .परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५५]

सरदार हुक्म सिंह : प्रश्न का भाग (ख) यह है कि क्या इन प्रयोगशालाओं में की गई गवेषणा और अनुसंधान के फलस्वरूप १९५४ में कोई औद्योगिक उत्पाद तैयार हुआ है और विक्रय के लिये बाज़ार में रखा गया है । मुझे जो विवरण दिया गया है उसमें इन को चार वर्गों में विभाजित किया गया है : उद्योग विधियां जो तय्यार हो रहीं है उद्योग, विधियां जिनके लिये उत्पादन व्यवस्था पूरी हो चुकी है, उत्पादन की उद्योग विधियां जिन के लिये अनुज्ञप्तियों की वार्ता की जा चुकी है और वह उद्योग विधियां जिन के लिये अनुज्ञप्तियों की वार्ता की जा रही है ।

परन्तु मुझे प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर नहीं मिला कि क्या इन के अनुसार तय्यार किये गये उत्पाद बाज़ार में बिक्री के लिये रखे गये हैं । क्या कोई ऐसी भी उद्योग विधियां हैं जो १९५४ में पूरी की गयी हैं और बाज़ार में बिक्री के लिये रखी गई हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: जहां तक हमारी उद्योग विधियों का सम्बन्ध है हमने इनको उत्पादन के उपयुक्त बना दिया है । इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा समिति अथवा हमारा मंत्रालय कोई और जानकारी नहीं देता है क्योंकि यह बताना कि उस की बिक्री हो रही या नहीं उद्योगपतियों का काम है ।

सरदार हुक्म सिंह : उन की बिक्री हो रही है या नहीं यह तो एक पृथक प्रश्न है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी प्रयोगशालाओं ने कुछ उद्योग विधियों को बिक्री के लिये बाज़ार में रखा है या निजी फर्मों को हस्तान्तरित किया है या पट्टे पर दिया है, और वह उद्योग विधियां कौन सी हैं ।

श्री के० डी० मालवीय : हमने उन उद्योग विधियों की एक तालिका दी है जो निजी उद्योग पतियों को दी गई हैं और जिन के सम्बन्ध में वार्ता चल रही है । अब यह बताना कि क्या यह उत्पाद बाज़ार में बेचे जा रहे हैं या नहीं, उन का काम है । हम नें उनको दे दिया है और माननीय सदस्य शब्द "बेच दिये गये" प्रयोग कर सकते हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : वे मुख्य निबन्धन कौन से हैं जिन के आधीन प्रयोग शालाएं इन उद्योग विधियों को निजी फर्मों को पट्टे पर देती हैं ? क्या उनको कोई कमीशन या लाभ का कोई अंश मिलता है ?

श्री के० डी० मालवीय : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा समिति का काम इन उद्योग विधियों को बेच कर पैसा कमाना नहीं है । हम उद्योगपतियों को अपनी गवेषणाओं के परिणामों को काम में लाने के लिये प्रोत्साहित करना चाहते हैं । साधारणतया हम केवल नाममात्र स्वामित्व वसूल करते हैं ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या यह प्रयोगशालायें पूर्ण रूप से सुसज्जित हैं तथा विशेषज्ञों द्वारा चलाई जा रही हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : हां ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : प्रश्न के भाग (क) के सम्बन्ध में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इगर्टन समिति ने ज्योतिष सम्बन्धी गवेषणा की सिफ़ारिश की थी और क्या उस पर विचार किया जा चुका है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस विशिष्ट प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता होगी ।

पंजाब के हरिजन विद्यार्थी

***१२८५. श्री डी० सी० शर्मा:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हरिजन विद्यार्थियों की माध्यमिक शिक्षा के लिये पंजाब सरकार को या हरिजन सेवक संघ को अभी तक कोई अनुदान दिया है ; और

(ख) यदि हां तो कितना ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख)। माननीय सदस्य का ध्यान ८ दिसम्बर, १९५४ के श्री केशवैयंगार के अतारांकित प्रश्न संख्या ६४० के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें बताया गया था कि अस्पृश्यता उन्मूलन के लिये केन्द्र से राज्य सरकारों को दिया गया अनुदान मुख्य रूप से अत्यधिक प्रचार करने तथा राज्य सरकारों के प्रयत्नों को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिये है और जिन अनेक योजनाओं को राज्य सरकारें आरम्भ करना चाहती

हैं उनके लिये निधियों का आवंटन करना और इन योजनाओं के कार्यान्विति के लिये गैर सरकारी संस्थाओं को छांटना भी राज्य सरकारों का काम है।

श्री डी० सी० शर्मा : माननीय मंत्री ारा उल्लिखित प्रयोजन के लिये पंजाब सरकार को कितना धन दिया गया था ?

श्री दातार : उसको १,३९,००० रुपये दिये गये हैं।

श्री डी० सी० शर्मा : पंजाब सरकार को दिये गये धन का अन्य राज्यों के दिये गये धन की तुलना में क्या अनुपात है और क्या वह राशि उक्त राज्य के हरिजनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए दी गई थी ?

श्री दातार: वस्तुतः इसी बात पर तो ध्यान ही दिया जाता है। राज्य के हरिजनों की संख्या तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गयी योजनाओं की आवश्यकताओं आदि सभी पर विचार किया जाता है तब कहीं राज्यों के लिये अधिकतम सीमायें निर्धारित की जाती हैं।

श्री डी० सी० शर्मा: क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान्.....

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे।

राष्ट्रीय छात्र सेना दल

*१२८७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ में कितनी लड़कियों ने राष्ट्रीय छात्र सेना दल में नाम लिखाया है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : १८६ लड़कियों ने नई बनाई गयी टुकड़िय में नाम लिखाया है और १२६ लड़कियों ने वर्त्तमान टुकड़ियों में प्रतिवर्ष रिक्त होने वाले स्थानों की पूर्ति करने के लिये नाम लिखाया है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं राज्य वार आंकड़े जान सकता हूं।

श्री सतीश चन्द्र : नई भर्ती वाले १८६ के राज्यवार आंकड़े इस प्रकार हैं—

बिहार: २ अफसर और ६० छात्र सैनिक;

मध्य प्रदेश : १ अफ़सर और ३० छात्र सैनिक ;

अजमेर : १ अफ़सर तथा ३० छात्र सैनिक ;

त्रिपुरा: १ अफ़सर तथा ३० छात्र सैनिक

राजस्थान: १ अफ़सर तथा ३० छात्र सैनिक।

श्रीमती सुषमा सेन : क्या छात्र-सेवा दल की लड़कियों को वही शारीरिक व्यायाम करने पड़ते हैं जो लड़कों से कराये जाते हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : दोनों ही प्रायः एक ही जैसी ड्रिल करते हैं और इस वर्ष से लड़कियों को शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण देना भी आरम्भ कर दिया गया है। इस वर्ष के अन्त तक हमारे पास ५,००० से अधिक छात्रा सैनिक हो जायेंगी। अभी तो शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

श्रीमती इला पालचौधरी उठीं—

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

हवा से चलने वाली चक्कियां

*१२८८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों में और उनके किन किन क्षेत्रों में हवा से चलने वाली चक्कियों का चलाया जाना सम्भव पाया गया है ; और

(ख) क्या इन चक्कियों के लिये आवश्यक सामान इस देश में उपलब्ध है ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय):

(क) (१) दक्षिण पश्चिम राजस्थान।

(२) सौराष्ट्र के कुछ इलाके।

(३) बेलगाम और धारवार जिले बम्बई में।

(४) नागरकोइल और केप-कमोरिन त्रावनकोर-कोचीन में।

(५) कोइम्बटोर मद्रास में ; और

(६) उड़ीसा में गोपालपुर के पास।

(ख) जी नहीं। लेकिन इस बात की कोशिश हो रही है कि ऐसी मिलों में अपने देश के ही सामान से बनाने का यत्न किया जाये।

श्री विभूति मिश्र : क्या मैं पूछ सकता हूं कि जहां यह मिलें लगानी ठीक समझी जाती हैं वहां २४ घंटों में कितनी बिजली पैदा हो सकती है।

श्री के० डी० मालवीय : इस तरह की कोई सूचना नहीं दी जा सकती। क्योंकि हवा के प्रवाह की तेजी अगर काफ़ी नहीं होगी तो बिजली नहीं मिल सकती है या पानी नीचे से ऊपर नहीं निकाला जा सकता है। इसलिये यह सब हवा के प्रवाह की गति पर निर्धारित करना है। अगर हवा का प्रवाह काफ़ी नहीं होगा तो कुछ भी बिजली नहीं मिलेगी।

श्री विभूति मिश्र : क्या इस सम्बन्ध में कोई एक्सपेरीमेंट किये गये हैं और यदि हां तो उनका क्या नतीजा निकला है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुनासिब अनुसंधान हो रहे हैं। विविध क्षेत्रों में हवा का प्रवाह नापा जा रहा है। हमारे विशेषज्ञों द्वारा राजस्थान में एक जगह जहां कि मिल लगायी जा चुकी है अनुसंधान हो रहा है। इस बात का पता लगाने की कोशिश हो रही है कि साल में कितने महीनों में हवा का कैसा प्रवाह होगा। इस बात के पता लगाने के बाद ही कोई चीज निर्धारित की जा सकती है।

राष्ट्रीय आय समिति

*१२९०. श्री मुरारका : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति के इस सुझाव पर विचार किया है कि राष्ट्रीय नमूना परिमाप का आयोजन तथा संचालन एक सुदृढ़ प्रविधिक समिति की देखरेख में किया जाये जिसमें योग्य अर्थशास्त्री भी रखे जाने चाहियें ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क) और (ख)। यह सिफ़ारिश अभी तक विचाराधीन है।

श्री मुरारका : यह प्रतिवेदन फरवरी, १९५४ में प्रस्तुत किया गया था। और अब दिसम्बर, १९५४ है। सरकार को इस प्रतिवेदन पर विचार करने में कितना समय लगेगा ?

श्री एम० सी० शाह : इस पर विचार किया जा रहा है। कुछ कार्यवाही की जा चुकी है, और शीघ्र ही कोई विनिश्चय किया जायेगा और कार्य संचालन दल नियुक्त किये जाने वाले हैं। इस विषय पर अगस्त में कैबिनेट के सांख्यकीय परामर्शदाता से विचार विमर्श किया गया था और उसके बाद यह विनिश्चय किया गया कि केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन के आधीन कार्य संचालन दल होने चाहियें और यह कार्य संचालन दल शीघ्र ही स्थापित कर दिये जायेंगे।

श्री मुरारका : अभी तक क्या कुछ कार्यवाही की गई है ?

श्री एम० सी० शाह : जैसा कि मैं बता चुका हूं इस विषय पर ३० अगस्त

१९५४ को केबिनेट के सांख्यकीय परामर्श-दाता से बातचीत की गई थी, और उनके परामर्श के अनुसार, हम राष्ट्रीय आय समिति की उन सिफ़ारिशों पर जो तत्सम्बन्धी मंत्रालय द्वारा परिपालन की दृष्टि से कठिन समझी गई थीं तथा जिसमें राष्ट्रीय नमूना परिमाप सम्बन्धी सिफ़ारिश भी सम्मिलित है, विचार करने के लिये कार्य संचालन दल स्थापित करने जा रहे हैं।

श्री मुरारका : क्या सरकार ने राष्ट्रीय परिमाप योजना का पथ प्रदर्शन करने के लिये योजना आयोग की गवेषणा कायक्रम समिति का उपयोग करने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

श्री एम० सी० शाह : हां।

अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन

*१२९१. **श्री एस० एन० दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही में सौराष्ट्र में हुए अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन द्वारा की गई सिफ़ारिशों और सुझावों तथा उसके द्वारा स्वीकृत संकल्पों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : सरकार को सम्मेलन के संयोजकों से कोई भी सिफ़ारिशें, सुझाव या संकल्प प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस तरह के महत्वपूर्ण सम्मेलनों में सरकार अपने पर्यवेक्षक भेजती है, और अगर ऐसा है, तो इस सम्मेलन में सरकार का कोई पर्यवेक्षक गया था ?

डा० एम० एम० दास : एक अफ़सर को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिये भेजा गया था।

श्री एस० एन० दास: क्या उस अफ़सर ने वहां से वापस आ कर वहां के प्रस्तावों, सुझावों के सम्बन्ध में सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है ?

डा० एम० एम० दास : सरकार को जब तक उक्त सम्मेलन से किसी न किसी प्रकार के सुझाव, सिफ़ारिशें तथा संकल्प प्राप्त न हों वह कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है।

श्री एस० एन० दास : क्या शिक्षा मंत्रालय में इस तरह की कोई व्यवस्था है कि ऐसे महत्वपूर्ण सम्मेलनों के प्रस्तावों पर वहां से प्रस्ताव मंत्रालय में आने के पूर्व सरकार खुद विचार करे और उन पर अमल करे ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): जब तक बाकायदा एक बात गवर्नमेंट के सामने न आये और वह ज़िम्मेदारी के साथ पेश न की जाय उस वक्त तक मुश्किल है कि गवर्नमेंट इस बारे में कोई कार्यवाही करे।

नौसेना गोदी, बम्बई

*१२९३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौसेना गोदी, बम्बई के विकास तथा निर्माण की अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ख) क्या कार्य आरम्भ हो गया है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) २४ करोड़ रुपये।

(ख) कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जाने वाला है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या इस काम को करने का ठेका दे दिया गया है, और यदि हां, तो किस को ?

श्री सतीश चन्द्र : कार्यक्रम के प्रथम चरण के कुछ भाग का ठेका मेसर्स हिन्द कंस्ट्रक्शन, लिमिटेड को दिया जा चुका है।

ढलाइ स्कूल, खड़गपुर

*१२९४. **श्री के० सी० सोधिया** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढलाई फ़ोरमैनों और सुपरवाइज़रों को प्रशिक्षण देने के लिये खड़गपुर में खोला जाने वाला ढलाई स्कूल आरम्भ कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो कब तक उसके खोले जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या यह एक पूर्णतः सरकारी संस्था होगी ;

(घ) यदि हां तो उसका पूंजी तथा आवर्तक व्यय क्या होगा ; और

(ङ) कुल कितने प्रशिक्षार्थियों को उसमें भर्ती किया जा सकेगा तथा प्रवेश के लिये उनको किस प्रकार चुना जायेगा ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) नहीं। मार्च १९५४ से, ढलाई घर में काम करने वालों के लिये अल्पकालीन प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम आरम्भ किये गये हैं।

(ख) जुलाई १९५६।

(ग) हां। वह भारतीय प्रोद्योगकीय विद्यालय-इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ़ टेकनालोजी खड़गपुर के कार्यकलापों का यह एक अभिन्न अंग होगा।

(घ) लगभग ५ लाख रुपये भवन आदि के लिये, १० लाख रुपये उपकरणों के लिये तथा ७५,००० रुपये प्रति वर्ष आवर्तक व्ययों के लिये।

(ङ) (१) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम १०।

(२) डिप्लोमा पाठ्यक्रम २०।

(३) प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम—
न्यूनतम ५
अधिकतम १०।

जहां तक प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रमों का सम्बन्ध है यह चुनाव विद्यालय (इंस्टीट्यूट) की समिति द्वारा उन व्यक्तियों में से किया जायेगा जिनका अनुमोदन उद्योग द्वारा किया गया हो तथा अन्य पाठ्य क्रमों के सम्बन्ध में यह चुनाव सभी उम्मीदवारों में से किया जायेगा जिसमें सीधे आवेदन करने वाले प्रार्थी भी सम्मिलित होंगे।

श्री के० सी० सोधिया : इन सीधे भर्ती किये जाने वालों के लिये क्या योजनायें ह ?

डा० एम० एम० दास : एक वर्ष की अवधि के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम यान्त्रिक अभियन्त्रणा (मिकेनिकल इंजीनियरिंग) अथवा धातुकर्मिकता (मैटालर्जी) के स्नातकों के लिये जिन्हें एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव हो, अथवा ढलाई व्यापार में तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त विज्ञान के स्नातकों के लिए खुले रहेंगे। ढलाई प्रणाली में उपाधिपत्र पाठ्यक्रम यान्त्रिक अभियन्त्रणा में (डिप्लोमा) उपाधिपत्र प्राप्त व्यक्तियों के लिए अथवा ढलाई का एक वर्ष का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त तथा विज्ञान में उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए खुले रहेंगे।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इन सीधे भर्ती किये जाने वालों को नौकरी देने की कोई व्यवस्था की गयी है ?

डा० एम० एम० दास : वह हमारे रिक्त स्थानों पर निर्भर है। यदि कोई स्थान रिक्त होगा, तो भर्ती की जायगी यदि नहीं, तो कोई भर्ती नहीं की जायगी।

कांच फूकने के विशेषज्ञ

*१२९५. **श्री आर० एस० दीवान :** क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कांच फूंकने के विशेषज्ञ ने अपनी नियुक्ति में से अब तक राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नयी दिल्ली में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : कांच फूंकने वाले विशेषज्ञ ने ११ कर्मचारियों को जिसमें कांच फूंकने वाले यान्त्रिकों तथा शिशिक्षु भी सम्मिलित हैं अब तक प्रशिक्षित किया है ।

श्री आर० एस० दीवान : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने कलकत्ता या बम्बई में कांच प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ ढूंढने का कोई प्रयत्न किया है ?

श्री के० डी० मालवीय : श्री फ्रान्ज किस महोदय विशेष योग्यता के कांच प्रौद्योगिकी-विशेषज्ञ कहे जाते हैं और वह यहां हमारे कुछ लोगों को प्रशिक्षण देने को आये हैं । मैं नहीं समझता कि हमारे देश में ऐसी योग्यता के कोई कांच फूंकने के विशेषज्ञ हैं ।

श्री आर० एस० दीवान : क्या सरकार ने किसी भारतीय विशेषज्ञ को इस विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए विदेशों को भेजा है, जैसे कि बम्बई की टाटा गवेषणा संस्था ने किया है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे टाटा गवेषणा संस्था के प्रयत्नों के विषय में कोई जानकारी नहीं है । हमारे लोगों ने अवश्य ही प्रयत्न किये होंगे और उन्होंने हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट विशेषज्ञ चुना है ।

कैन्टीन भांडार विभाग

*१२९६. **श्री गिडवानी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैन्टीन भांडार विभाग (भारत) के कर्मचारी निःशुल्क चिकित्सा सहायता और उपदान आदि के अधिकारी हैं ; और

(ख) रक्षा सेवाओं के किन अन्य श्रेणियों के असैनिक कर्मचारी इस सहायता के अधिकारी हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) उन स्टेशनों पर जहां विभागीय डिपो स्थित हैं, विभाग की ओर से चिकित्सा-पदाधिकारी निःशुल्क चिकित्सा-सम्मति परामर्श देने के लिए रखे गये हैं ।

(ख) सभी श्रेणी के असैनिक कर्मचारी जिन्हें रक्षा सेवा प्राक्कलनों में से वेतन दिया जाता है, इस प्रकार की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं । कैन्टीन भांडार विभाग के कर्मचारियों को इन प्राक्कलनों में से वेतन नहीं दिया जाता है और वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं ।

श्री गिडवानी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्यों कैन्टीन भांडार विभाग के कर्मचारियों को अन्य असैनिक कर्मचारियों के समान स्तर पर माना जाता है, और यदि हां, तो क्या वे स्थायी पदाली में हैं ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि मैंने कहा यह एक पंजीबद्ध संस्था है । कैन्टीन भांडार विभाग एक पंजीबद्ध संस्था है तथा एक वाणिज्यिक संस्था भी है ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार उन्हें स्थायी बनाने के प्रश्न पर विचार नहीं करेगी जिससे कि उनको सेवा की संरक्षिता प्राप्त हो, क्यों कि यह विभाग अब एक लाभदायक विभाग है और एक स्थायी संस्था है ?

सरदार मजीठिया : वह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधान है ।

श्री भागवत झा आजाद : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि इस संस्था के कर्मचारी निःशुल्क चिकित्सा-सहायता पा रहे हैं और रक्षा मंत्रालय के अधीन हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का स्थायी स्तर न देने के क्या कारण हैं ?

सरदार मजीठिया : मैंने प्रश्न के उस भाग का उत्तर पहले ही दे दिया है । वह एक पंजीबद्ध संस्था है, और वह इस प्रकार रक्षा विभाग के अधीन नहीं है, यद्यपि यह सच है कि म, सचिव तथा अन्य सदस्य नियन्त्रण बोर्ड में हैं ।

वन सहकारी समितियां

*१२९७. **श्री रनदमन सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासियों के आर्थिक कल्याण के लिये किन किन राज्यों में वन सहकारी समितियां बनाई गई हैं ;

(ख) इन सहकारी समितियों से आदिवासियों को कहां तक लाभ प्राप्त हुआ है ; और

(ग) क्या विन्ध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी समितियां बनाई हैं या बनाने का विचार करती है ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) (क) से (ग) । किसी भी क्षेत्र में इन सहकारी समितियों का संगठन करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है । इसलिये भारत सरकार को यह सूचना नहीं है कि किन राज्यों में ये जंगलाती सहकारी समितियां बनायी गयी हैं । हां, बम्बई की सरकार ने इस साल अपनी योजनाओं में एक योजना जंगलों में काम करने वाले श्रमिकों की समितियों को आर्थिक सहायता देने की शामिल कर ली है, जिसके लिये केन्द्रीय सरकार संविधान की धारा २७५ (१) की नीति के अनुसार अनुदान देगी । ये समितियां बम्बई में अक्तूबर सन् १९५३ में चलायी गयी थीं । इसलिये आदिवासियों ने इनसे अभी तक कितना लाभ उठाया है यह कहना क़बल अज़ वक्त है और यह भी नहीं मालूम है कि किस हद तक इन समितियों का संगठन हो चुका है ।

श्री रनदमन सिंह : जिन राज्यों में अभी तक ये समितियां नहीं बनायी गयी हैं उन राज्यों के आदिवासियों को किन किन तरीकों से लाभ पहुंचाया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : उन स्थानों में जहां ये समितियां नहीं बनायी गयी हैं, वहां आदिवासियों की किस प्रकार सहायता की जाती है ?

श्री दातार : यदि वहां कोई समितियां न हों, तो दूसरे तरीके अपनाये जाते हैं, और कुछ मामलों में सरकार स्वयं ऋण और अनुदान देती है ।

श्री के० डी० मालवीय : जहां सहकारी समितियों का संगठन नहीं हुआ है वहां केन्द्रीय सरकार स्वयं प्रत्यक्ष रूप से सहायता कर सकती है ।

श्री रनदमन सिंह : वह कौन कौन से राज्य हैं जहां यह समितियां अभी तक नहीं बनी हैं ?

श्री दातार : नोटिस की जरूरत है ।

श्री भक्त दर्शन : चूंकि प्लानिंग कमीशन ने इन वन श्रमिक संघों को वन उद्योग के लिये बहुत महत्वपूर्ण बतलाया है क्या मैं जान सकता हूं कि जिस तरीके से कि बम्बई राज्य में यह

समितियां बड़ी सफल रही हैं उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों की सरकारों को इस बारे में कोई सलाह दी जा रही है ?

श्री दातार : बम्बई गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारत और चीन के बीच छात्रों का आदान-प्रदान

*२५०. **श्री एम० एल० द्विवेदी :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या शि ा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत और चीन के बीच छात्रों के आदान-प्रदान के लिए हुए करार के फल-स्वरूप कितने विद्यार्थी भारत से चीन गये और चीन से भारत आये ;

(ख) इन दोनों देशों के बीच विद्यार्थियों के आदान-प्रदान के विषय में क्या शर्तें हैं ; और

(ग) विद्यार्थियों को नाम निर्देशित करने और उनको चीन भेजने के लिये क्या कसौटी रखी गयी है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (ग)। संगत जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५६]

रूसी छात्र

*१२५५. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न विश्व विद्यालयों में कितने रूसी छात्र अध्ययन कर रहे हैं ; और

(ख) भारत में रहते समय उन्हें कौन से नियमों तथा विनियमों का पालन करना पड़ता है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जहां तक भारत सरकार को ज्ञात है, कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला

*१२५७. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला में ऐसे कितने गवेषणा-कार्य किये गये हैं जो कोई अन्तिम निर्णय तक पहुंचने के पहले छोड़ दिये गये हैं ; और

(ख) उसके क्या कारण हैं ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री श्री (के० डी० मालवीय) (क) तथा (ख) । अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५७]

प्रविधिक शिक्षा

*१२६०. **श्री वी० पी० नायर :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शैक्षणिक वर्ष १९५३–५४ में, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं में कितने छात्र प्रविधिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे ; और

(ख) उसी अवधि में कुल कितने छात्रों को विश्व विद्यालय तथा प्रविधिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां दी गयी थीं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) (क) २,६१३ ।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं में १,१८४।

भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर

*१२६१. श्री बहादुर सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर के भारतीय विज्ञान संस्था की विकास योजना को पूर्णतया कार्यान्वित कर दिया गया है ; और

(ख) क्या वह संस्था इन दिनों वैमानिक अभियंत्रणा के विषय में कोई उच्च कार्य-कर रही है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) योजना करीब करीब पूरी होने को है।

(ख) हां।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक बल

*१२६५. श्री ब्रह्म चौधरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने आसाम में प्रादेशिक सेना तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक बल की टुकड़ियां स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या ये टुकड़ियां (१) सामूहिक योजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों (२) बाढ़ से रक्षा करने के कार्यों और (३) ग्रामीण क्षेत्रों में अग्नि बुझाने के कार्यों से सम्बद्ध होंगी ; और

(ग) यदि हां, तो किस हद तक ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) प्रादेशिक सेना की कुछ टुकड़ियां आसाम में स्थापित की गयी हैं। जनवरी १९५४ में एक सहायक प्रादेशिक बल शिविर सिलचर में रखा गया था और लगभग ४३० व्यक्तियों को एक सप्ताह तक प्रारम्भिक सैनिक प्रशिक्षण दिया गया था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक बल योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(ख) और (ग)। प्रादेशिक सेना को नियमित सेना की रक्षा की द्वितीय पंक्ति के रूप में बनाया गया है और आवश्यकता पड़ने पर उसकी टुकड़ियों से सेवा ली जा सकती है। प्रादेशिक सेना के व्यक्तियों के साधारणतया पूरे समय के कोई दूसरे व्यवसाय होते हैं। अतः उन्हें सामूहिक योजना आदि के लिए काम में लाना उपयुक्त नहीं समझा जाता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक बल योजना का ब्यौरा अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत ३० दिन तक शिविरों में प्रारम्भिक सैनिक प्रशिक्षण देने की प्रस्थापना है। जहां तक सम्भव होगा, ये शिविर सामूहिक योजना क्षेत्र में ही होंगे।

समाज तथा ग्राम सुधार

*१२६६. श्री गणपति राम : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज तथा ग्राम सुधार के लिये सामाजिक कार्यकर्त्ता सरकार द्वारा प्रशिक्षित किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या क्या है और उनको किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) और (ख)। सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

प्रविधिक विद्यालय

*१२६७. श्री आर० एन० एस० देव : क्या शिक्षा मंत्री पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो ;

(क) मंत्रालय के अन्तर्गत प्रविधिक विद्यालयों के नाम तथा जहां वह स्थित है उन स्थानों के नाम, राज्यवार; और

(ख) खोले जाने वाले प्रस्थापित प्रविधिक उच्च विद्यालयों (हाई स्कूलों) की संख्या और उन स्थानों के नाम जहां वे स्थापित किये जाने को ह ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) एक प्रविधिक उच्च माध्यमिक विद्यालय है जो दिल्ली पोलीटैकनिक, दिल्ली का भाग है।

(ख) माध्यमिक शिक्षा के पुनर्संगठन सम्बन्धी मन्त्रालय की योजना के अन्तर्गत बहुप्रयोजनीय विद्यालयों में बदले जाने वाले ५०० उच्च विद्यालयों (हाई स्कूलों) में २०० प्रविधिक पाठ्यक्रमों का उपबन्ध करने की प्रस्थापना है। ऐसे विद्यालयों का चुनाव राज्य सरकारों द्वारा किया जायेगा।

आन्ध्र राज्य निर्वाचन

*१२६८. श्री मी० आर० चौधरी
श्री मोहन राव :

क्या विधि मंत्री आन्ध्र राज्य में फरवरी, मार्च, १९५५ में होने वाले निर्वाचनों का अनुमानित व्यय बताने की कृपा करेंगे ?

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) आन्ध्र विधान सभा के होने वाले सामान्य निर्वाचनों पर कोई ३० लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है।

अंदमान में संचार सुविधायें

* १२७०. श्री एस० सी० सामन्त : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक (१) दक्षिण अंदमान द्वीपों को पोर्ट ब्लेयर की वर्तमान सड़कों से मिलाने तथा (२) मुख्य भूमि से अंदमान द्वीपों के विभिन्न भागों को जाने वाले जहाजों की संख्या में वृद्धि करने में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) क्या यह सच है कि रनगोर क्षेत्र में निवास कर रहे विस्थापित व्यक्तियों को अपने माल को बिक्री के लिये पोर्ट ब्लेयर तथा अन्य स्थानों को निर्यात करने की सुविधायें प्राप्त नहीं हो रही हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) (१) आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५८]।

(२) केवल जलयान "महाराजा" मुख्य भूमि, अण्डमान सेवा पर नियमित रूप से चल रहा है। इमारती लकड़ी का जो नौभार जलयान "महाराजा" की माल ढोने की क्षमता से अधिक होता है वह, जब भी कभी आवश्यकता पड़ती है, भारतीय तटीय सम्मेलन द्वारा नाम निर्देशित जलयानों द्वारा ले जाया जाता है।

(ख) जो व्यक्ति वहां बस गये हैं वह धान और शाक सब्जियां पैदा कर रहे हैं जो स्वयं उनकी आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त हैं और अभी उनके पास निर्यात के लिये कोई अतिरेक नहीं है। परन्तु तो भी, अन्तर्द्वीप यातायात स्थिति में सुधार करने के लिये निकट भविष्य में एक जलयान के खरीदे जाने की सम्भावना है।

भारत-अमरीका शिल्पिक सहयोग समझौता

*१२७२. डा० सत्यवादी : क्या वित्त मंत्री १५ सितम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ९३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-अमरीका शिल्पिक सहयोग समझौता जिस पर १९५२ में हस्ताक्षर किये गये थे, के अनुसार प्रतिवेदन तैयार किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) और (ख)। प्रतिवेदन अभी तैयार नहीं हुआ है। जब तैयार हो जायेगा तो उसकी प्रतियां सभा पटल पर रखी जायेंगी।

प्राचीन साहित्य (अनुवाद)

*१२७६. मुल्ला अब्दुल्ला भाई : क्या शिक्षा मंत्री १५ अप्रैल, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १८०५ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय प्राचीन साहित्य का विदेशी भाषाओं में अनुवाद करने का प्रस्ताव क्रियान्वित कर दिया गया है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : जी हां।

विदेशों में प्रशिक्षण

*१२७८. श्री माधव रेड्डी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रिया सरकार द्वारा भारतीय शिशिक्षुओं को विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षण देने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के साथ क्या शर्तें हैं ; और

(ग) क्या इस विषय में कुछ निश्चय किया गया है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (ग)। सूचना बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५ ९]

लेख-प्रमाणक अधिनियम, १९५२

*१२८०. श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेख-प्रमाणक अधिनियम, १९५२ को लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं जबकि इसे अगस्त १९५२ में पूर्णतः पारित कर दिया गया था ;

(ख) क्या सरकार इसे निकट भविष्य में लागू करने का विचार करती है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) (क) सरकार ने इस अधिनियम की धारा १५ के अन्तर्गत नियमों पर राज्य सरकारों, उच्च न्यायालयों और विधि-जीवी संघ के परामर्श से अन्तिम विचार किये बिना इस अधिनियम को लागू करना ठीक नहीं समझा। इस परामर्श में कुछ समय लग गया है।

(ख) और (ग)। जी हां, ज्यों ही नियम, आवेदन पत्र आदि जो अन्तिम निर्णयाधीन हैं प्रकाशन के लिए तैयार हो जायेंगे इस अधिनियम को लागू कर दिया जायेगा।

भारत-अमरीकी करार

*१२८१. श्री मगन लाल बागडी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल में हुये भारत-अमरीकी करार के अधीन रेलवे पुनर्वास कार्यक्रम हेतु कितने विशेषज्ञ भारत को भेजे जायेंगे; और

(ख) कब उनके आने की आशा है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) श्रीमान् केवल एक विशेषज्ञ।

(ख) संयुक्त राज्य शिल्पिक सहयोग शिष्ट मंडल ने एक व्यक्ति का नाम सुझाव में पेश किया है। मामला अभी विचाराधीन है।

रूस में भारतीय विद्यार्थी

*१२८६. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस में भारत के कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) क्या रूसी प्राधिकारियों द्वारा उन पर कोई प्रतिबन्ध लगाए गए हैं ; और

(ग) वे किन किन विषयों का अध्ययन कर रहे हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) एक भी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

सैन्य सामान के कारखाने

*१२८९. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्य सामान के कारखानों को बन्दूकों की नालियां बनाने के लिये दिये गये आदेश वापस ले लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनुमोदन प्रमाणपत्र

*१२९२. **श्री आर० एन० एस० देव :** क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रमशः १९५१–५२, १९५२–५३, १९५३–५४ और १९५४–५५ में उड़ीसा सरकार द्वारा अनुमोदन प्रमाणपत्र देने से इनकार करने के विरुद्ध खनिज रियायत नियम, १९४९ के अन्तर्गत विचार करने हेतु संघ सरकार के पास कितने आवेदन पत्र आये ;

(ख) कितने आवेदन पत्रों को निपटा दिया गया और कितने अभी शेष पड़े हैं ; और

(ग) कितने आवेदन पत्र स्वीकार किये गये और कितने अस्वीकार ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (ग)। मांगी गयी सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६०]**

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जातियों आदि का कल्याण

*१२९८. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यप्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों आदि की उन्नति के लिए १९५४–५५ में भारत सरकार के पास कोई विशेष योजना भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा और आर्थिक पहलू क्या हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख)। भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के लिए १९५४–५५ के लिए अनुमोदित योजना का विस्तार बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६१]**।

योग आश्रम

*१२९९. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या शिक्षा मंत्री ३० नवम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ५४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केवल्याधान श्रीमान् माधव योग मन्दिर समिति, पूना के गवेषणा कार्य का क्या परिणाम रहा ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६२]**

एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग

***१३००. श्री मगन लाल बागडी :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में हुई एशिया तथा सुदूरपूर्व आर्थिक आयोग की (प्रादेशिक) उपसमिति की खनिज संसाधन सम्बन्धी बैठक में किसी भारतीय शिष्टमण्डल ने भाग लिया ; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या निश्चय हुये ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) समिति में कोई निश्चय नहीं किया गया। उपसमिति द्वारा की गयी मुख्य मुख्य सिफारिशों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६३]**

सर्वेक्षण प्रशिक्षण पाठशाला

***१३०१. सरदार हुक्म सिंह :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्वेक्षण प्रशिक्षण पाठशाला, देहरा दून में १९५४ में अब तक कितने केन्द्रीय तथा राज्य सरकार अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ; और

(ख) क्या १९५४ में किसी पड़ौसी देश ने अपने किसी अधिकारी को इस संस्था में प्रशिक्षण के लिए भेजा ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) १९५४ में केन्द्रीय सरकार के आ अधिकारियों और राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किये गये आठ अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

(ख) नहीं, श्रीमान्। यह १९५३ में जो ५ अधिकारी आये थे उन्होंने १९५४ में प्रशिक्षण समाप्त किया।

हीरे

***१३०२. श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ में अब तक भारत की हीरों की खानों से कुल कितनी मात्रा में हीरे निकाले गये ;

(ख) १९५३–५४ में अब तक इन खानों से कुल कितनी स्वामित्व राशि प्राप्त हुई ; और

(ग) क्या इन हीरों पर अन्य किसी प्रकार का भी कर लगाया जाता है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) खनिज उत्पादन के आंकड़े पत्री वर्ष के अनुसार इकट्ठे किये जाते हैं। १९५३ में भारत में हीरे का कुल उत्पादन २,२०७ कैरेट था। १९५४ के सम्बन्ध में सूचना तैयार होने का अभी समय न ीं है।

(ख) १,००,७८० रुपये।

(ग) हां, श्रीमान्।

करेन्सी नोट

***१३०३. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करेन्सी नोट प्रेस नासिक में, १९५३ में विभिन्न मूल्यों के बने करेन्सी नोटों का सम्पूर्ण मल्य क्या है ; और

(ख) इसी समय में विदेशों के लिए छापे गये करेन्सी नोटों का सम्पूर्ण मूल्य क्या है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) १९५३ में करेन्सी नोट प्रस नासिक में छपे विभिन्न मूल्यों के भारतीय करेन्सी नोटों का कुल मूल्य ६६,८३० लाख रुपये है।

(ख) १९५३ में विदेशों के लिए छपे करेन्सी नोटों का कुल मूल्य २२०·३५ लाख पये है।

राष्ट्रीय आय समिति

१३०४. श्री मुरारका : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय आय समिति के अन्तिम प्रतिवेदन की विभिन्न सिफारिशों की ओर आकर्षित किया गया है कि आंकड़े इकट्ठा करने के लिए एक रूप प्रक्रिया चलाई जाय ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में, अब तक क्या कार्यवाही की है और सरकार आंकड़ों को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जी हां। उसके निर्देश पदों के अनुसार राष्ट्रीय आय समिति ने उपलब्ध आंकड़ों की विशेषता और क्षेत्र का विकास करने और अतिरिक्त आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए बहुत सी सिफारिशें की हैं।

(ख) इन सिफारिशों पर विभागीय अंकशास्त्री समिति और बाद में केन्द्रीय तथा राज्य अंक शास्त्रियों के संयुक्त सम्मेलन ने विचार किया था। यह सिफारिश इस समय कार्यान्विति की तीन अवस्थाओं में है। क्योंकि कुछ को कार्यान्वित करने के लिए प्रभावपूर्ण कार्यवाहियां की जा रही हैं, और कुछ के सम्बन्ध में या तो प्रारम्भिक कार्यवाही की जा चुकी है या समुचित परीक्षण के बाद की जायेगी ; और शेष सिफारिशें अब भी सम्बन्धित मंत्रालयों और केन्द्रीय सांख्यकी संघ के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल

***१३०५. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली संयुक्त सेवा शाखा परीक्षा में बैठने के समय कोई रियायतें दी जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे रियायतें क्या हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम विश्वविद्यालय

***१३०७. श्री रनदमन सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम विश्व विद्यालय स्थापित करने की सम्भावनाओं पर विचार करने के लिये कोई समिति बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निश्चय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक निश्चय होने की आशा है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (ग) : माननीय सदस्य का ध्यान, १७ नवम्बर १९५४ को श्री रिशांग किशिंग

द्वारा लोक सभा में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०९ के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है। उसमें उल्लिखित समिति के निर्देश के निबन्धनों में मुख्यतः ग्राम विश्वविद्यालयों के लिए एक सम्भावित ढांचे की सिफारिश करने के लिए कहा गया है।

भाग 'ख' राज्यों में सीमा शुल्क

८०४. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन भाग 'ख' राज्यों में अब भी सीमा शुल्क लिया जाता है ;

(ख) इन राज्यों को सीमा शुल्क से, उस पर होने वाले व्यय को पूरा करने के बाद, कितनी वार्षिक आय होती है ;

(ग) सीमा शुल्क को अवधि से पूर्व समाप्त करने की योजना को कार्यान्वित करने में क्या प्रगति हुई है और इन राज्यों में इसके कब तक समाप्त हो जाने की आशा है ;

(घ) क्या सीमा शुल्क के बन्द हो जाने के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार को किसी राज्य के लिये कुछ आवर्तक या अनावर्तक अनुदान देना पड़ेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो इन अनुदानों की राशि क्या है और भुगतान कब किया जायेगा ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) तथा (ख) : उन राज्यों की जिन में आन्तरिक सीमा शुल्क लिया जाता है और अन्होंने १९५४-५५ के अपने आय-व्ययक में इन सीमा शुल्कों से होने वाली वार्षिक आय का जो अनुमान बताया है वह इस प्रकार है :—

हैदराबाद	...	१६४ लाख रुपये
राजस्थान	...	३१३ लाख रुपये
मध्य भारत	...	७४ लाख रुपये
सौराष्ट्र	...	१० लाख रुपये

(ग) सम्बन्धित राज्य सरकारें आन्तरिक सीमाशुल्क को कम करने अथवा समाप्त करने के सम्बन्ध में यथा सम्भव कार्यवाही कर रही हैं और केन्द्रीय सरकार के परामर्श से उन्होंने यह निश्चय किया है कि १ अप्रैल १९५५ से ये सीमा शुल्क बिल्कुल ही समाप्त कर दिये जाय।

(घ) तथा (ङ). आशा है कि १ अप्रैल, १९५५ से आन्तरिक सीमा शुल्क को बिल्कुल बन्द कर देने के परिणामस्वरूप होने वाली हानि की पूर्ति करने के लिए राजस्थान तथा मध्यभारत की सरकारों को केन्द्र से कुछ आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी इन राज्यों को दी जाने वाली यह आर्थिक सहायता कितनी तथा किस प्रकार की होगी यह प्रश्न अभी विचाराधीन है।

सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना

८०५. **श्री डी० सी० शर्मा**: क्या **शिक्षा** मंत्री २० सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११११५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन विदेशी छात्रों पर, जो सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत भारतवर्ष में शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, १९५४–५५ में अब तक कितना व्यय किया गया ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : ५,३६,४५८ रुपये।

बेकारी

८०६. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री राम दास :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने बेकारी कम करने के लिए अगस्त १९५३ में जो

योजना आरम्भ की थी उससे सभी राज्यों ने लाभ उठाया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने इस योजना में अभी तक भाग नहीं लिया है ;

(ग) इस योजना के अधीन विभिन्न राज्यों में अब तक कुल कितने ग्राम-स्कूल अध्यापक एवं समाज-शिक्षा कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति की गई है ;

(घ) क्या इस योजना के अधीन कोई शिल्पिक अथवा व्यावसायिक स्कूल भी खोले गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो ये कितने स्थानों में एवं कहां कहां खोले गये हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) अधिकांश राज्य इस योजना में भाग ले रहे हैं।

(ख) अन्दमान तथा निकोबार टापुओं को इसमें कोई रुचि नहीं है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, और जम्मू तथा काश्मीर के प्रस्ताव अभी तैयार हो रहे हैं।

(ग) ३० नवम्बर, १९५४ तक ५९,३३७ अध्यापकों तथा १,९९३ समाज शिक्षा कार्यकर्त्ताओं की मंजूरी दी जा चुकी है। प्रत्येक राज्य में कितने अध्यापकों एवं कार्यकर्त्ताओं की वस्तुतः नियुक्ति हो गई है यह जानकारी अभी सब राज्यों से नहीं मिली है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय नाटक उत्सव

८०७. **श्री डाभी :**
श्री एल० जोगेश्वर सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री संगीत नाटक अकादमी के तत्वावधान में दिल्ली नाट्य संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नाटक उत्सव के दिनों दिल्ली में दिखाये जाने वाले नाटकों के नाम, उनके लेखकों के नाम तथा वे किस किस भाषा में होंगे यह बताने की कृपा करेंगे :

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

लाल किला संग्रहालय

८०८. **श्री बहादुर सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाल क़िला संग्रहालय को देखने वाले दर्शकों की प्रतिमास औसत संख्या कितनी है; और

(ख) सितम्बर, अक्तूबर तथा नवम्बर १९५४ में दर्शकों के प्रवेश-पत्रों से कितना धन प्राप्त हुआ ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) ३६,५५१।

(ख)

मास	प्रवेश पत्रों से प्राप्त धन रु० आ० पा०
सितम्बर, १९५४	३,८१८ ६ ०
अक्तूबर, १९५४	५,०७५ १४ ०
नवम्बर, १९५४	५,६१३ १२ ०

विदेशी पूंजी

८०९. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९४७, १९५० तथा १९५४ में भारत स्थित विदेशी बैंकों तथा बीमा कम्पनियों में कुल कितनी पूंजी लगी ई थी; और

(ख) इस प्रकार के साथों की संख्या सन् १९४७ में कितनी थी तथा अब कितनी है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) विदेशी बैंकों तथा बीमा कंपनियों में १९४७, १९५० तथा १९५४ में कुल कितनी विदेशी पूंजी लगी हुई थी सरकार के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। भारत में विदेशी आस्तियों तथा दायित्वों के सम्बन्ध में रिज़र्व बैंक इस समय जांच कर रहा है, इसके पूरे हो जाने के बाद १९५३ के अंत तक की स्थिति का पता चल जायेगा।

(ख) भारतवर्ष में जो विदेशी बैंक कार्य कर रहे हैं १९४७ के अंत में उनकी संख्या १५ तथा अक्तूबर १९५४ के अंत में उनकी संख्या १४ थी। इसके अतिरिक्त १९४७ के अंत में, एक अनुसूचित बैंक, जिसकी संस्थापना पाकिस्तान में हुई थी, काम कर रहा था तथा ऐसे दो बैंक जिनकी स्थापना पाकिस्तान में हुई थी अक्तूबर, १९५४ में भारतवर्ष में काम कर रहे थे। विदेशी बीमा कम्पनियों की संख्या, जिनका पंजीयन बीमा अधिनियम., १९३८ के अधीन हुआ था, १५ नवम्बर १९४७ को ११० तथा १५ नवम्बर १९५४ को १०४ थी।

कलकत्ता में देखी गई चमकदार वस्तु

८१०. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३१ अक्तूबर १९५४ को दमदम हवाई अड्डे की नियंत्रण मीनार से आकाश में एक बहुत ही उज्वल चमकदार वस्तु जिसका लम्बा पुंच्छल था, दिखाई पड़ी थी।

(ख) क्या यह पता चलाया है कि वह वस्तु क्या थी ?

(ग) क्या इस प्रकार की वस्तुयें देश के किसी अन्य भाग में भी अक्तूबर १९५४ में दिखाई पड़ी थीं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) समाचार पत्रों में जो समाचार छपे हैं उनके अतिरिक्त सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां। समाचार पत्रों में छपा है कि इस प्रकार की कोई वस्तूएं ७ तथा ११ अक्तूबर को बम्बई में भी दिखाई पड़ी थीं।

जिला जनगणना पुस्तिकायें

८११. **श्री आर० एन० एस० देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे सभी १९५ ज़िला जनगणना पुस्तिकाएं जो छप रही थीं, जैसा कि भारत की जन गणना १९५१, खंड १ भाग १—क—प्रतिवेदन में बतलाया गया है, छप गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो राज्यनुसार, उन ज़िलों के नाम क्या हैं एवं उनकी संख्या कितनी है जिनकी ज़िला जनगणना पुस्तिकाएं अभी छपनी शेष हैं ; और

(ग) इस देरी के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं।

(ख) उन ज़िलों के नाम बताने वाला विवरण, जिनकी ज़िला जनगणना पुस्तिकाएं अभी छपनी शेष हैं, संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६४**]

(ग) ज़िला जन गणना पुस्तिकाएं राज्यों द्वारा प्रकाशित करवाई जाती हैं उनमें छपाई का काफी काम है और वह भी जटिल प्रकार का होता है। राज्यों के सरकारी मुद्रणालयों में बहुत अधिक काम है अतः वे जल्दी ही किसी चीज़ को नहीं छाप पाते। सम्बन्धित राज्य

सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे शीघ्र ही इन पुस्तिकाओं को छपायें और जहां सम्भव हो गैर-सरकारी मुद्रणालयों से काम करा लें।

अन्दमान में बसाया जाना

८१२. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान तथा निकोबार टापुओं के रंगोत क्षेत्र में अब तक कितने विस्थापित व्यक्ति बसाये गये हैं ;

(ख) कितने परिवारों के निकट भविष्य में वहां बसने के लिये जाने की आशा है ?

(ग) क्या उनके लिये पीने के पानी का कोई प्रबन्ध किया गया है ;

(घ) इस समय वे वहां किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं ;

(ङ) क्या गत वर्ष उन्होंने जो चावल उत्पादन किया था वह उनकी आवश्यकताओं के लिये काफ़ी था, और

(च) यदि नहीं, तो उस कमी की पूर्ति किस प्रकार से की गई थी ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) मध्य अन्दमान में रंगोत घाटी तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में २,०७१ परिवार बसाये गये हैं।

(ख) अन्दमान में रंगोत क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में ५०० परिवारों के, जिनमें ३५० विस्थापित परिवार भी सम्मिलित हैं, वर्ष १९५५ में बसायें जाने की आशा है।

(ग) पीने का पानी ताज़े पानी के चश्मों से मिल जाता है। कुछ पक्के कुएं भी बनाए गये हैं।

(घ) वहां के ये निवासी धान तथा सब्जियां उगा रहे हैं।

(ङ) तथा (च): वर्ष १९५३ में बसाये गये लोगों ने अपनी आवश्यकता के लिए काफ़ी चावल पैदा कर लिया था। चालू वर्ष में जो लोग बसाये गये हैं, उन्हें अभी अपनी फ़सलें काटनी हैं।

पुलिस के अत्याचार

८१३. **श्री दशरथ देव:** क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से सितम्बर १९५४ में कोई शिकायत की गई है कि त्रिपुरा राज्य के केलाशहर डिवीज़न के डिनोमा छाड़ा क्षेत्र में एक मामले में पुलिस ने बड़ा अत्याचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस मामले के तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस मामले की जांच करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग): प्रश्न नहीं उठते।

कैन्टीन भांडार विभाग

८१४. **श्री गिडवानी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैन्टीन भांडार विभाग (भारत) के कर्मचारियों के वेतन क्रम में हाल में कोई परिवर्तन हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संशोधन अथवा परिवर्तन के परिणामस्वरूप वार्षिक व्यय में कुल कितनी वृद्धि हुई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) जी हां।

(ख) एक वर्ष में लगभग ४२,००० रुपये।

ब्याज रहित ऋण

८१६. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में अब तक सरकार ने कुल कितना ब्याज रहित ऋण दिया है ;

(ख) ये ऋण किस विशेष उद्देश्य के लिए दिये गये हैं ; और

(ग) इसी अवधि में विभिन्न राज्य सरकारों ने कुल कितने ऋण की प्रार्थना की थी ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) तथा (ख). चालू वित्तीय वर्ष में ३१ अक्तूबर १९५४ तक, लगभग २०७ लाख रुपये के ब्याज रहित ऋण दिये गये हैं। मुख्य मदें निम्न हैं :—

(१) हथकरघा उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकारों को ऋण ...	१८९ लाख रुपये।
(२) अन्दमान द्वीप समूह में बस्तियां बनाने के लिए ऋण ...	१२ लाख रुपये।
(३) ग्रामोद्योगों के विकास के लिए ऋण ...	४ लाख रुपये।
(४) छात्रावासों के निर्माण के लिए शिक्षा संस्थाओं को ऋण ...	२ लाख रुपये।
	२०७ लाख रुपये।

(ग) इस प्रश्न का सम्बन्ध सम्भवत: ब्याज-रहित ऋणों से है। इस अवधि में राज्य सरकारों ने लगभग १९६ लाख रुपये मांगे थे।

आसाम की नाट्य संस्थाओं को अनुदान

८१७. **श्री के० पी० त्रिपाठी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में आसाम की किसी नाट्य संस्था को कोई अनुदान दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या नाम है;

(ग) क्या इसी अवधि में आसाम की किसी संगीत संस्था को ऐसा ही अनुदान दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या नाम है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अफीम

८१८. **श्री बी० डी० शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल किन-किन राज्यों में अफीम की खेती होती है; और

(ख) १९५४ में किन-किन राज्यों में इसकी खेती पर रोक लगायी गयी थी ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) इस समय अफीम निकालने के लिये मध्य भारत, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा कुछ मात्रा में जम्मू तथा काश्मीर राज्यों में पोस्त की कृषि होती है बीज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल तथा देहरादून के ज़िलों में भी इसकी कृषि की आज्ञा है। पंजाब तथा पैप्सू के राज्यों में केवल बीज के लिए इसकी कृषि की जाती है।

(ख) १ अक्तूबर, १९५४ से हिमाचल प्रदेश में पोस्त की कृषि पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

कच्ची चीनी मिट्टी

८१९. **श्री देवगम :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति वर्ष कच्ची चीनी मिट्टी (काओलिन) का कितना उत्पादन होता है ; और

(ख) स्वदेशी चीनी मिट्टी अन्य देशों की मिट्टी की तुलना में कैसी है ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). एक विवरण, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६५]**

लोक-सभा

वाद-विवाद

Chamber Fumigated 18/X/72

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ९, १९५४

(६ दिसम्बर से २४ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
7-4-9
Fumigated
On 2/7/13
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खंड ९ में अंक १६ से अंक ३२ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय-सूची

खंड ९—अंक १६–३२ ६ से २४ दिसम्बर, १९५४.

अंक १६—सोमवार, ६ दिसम्बर, १९५४.

	स्तम्भ
श्री गिरजा शंकर बाजपेयी की मृत्यु	१२०५–०६
स्थगन प्रस्ताव —	
बैंक कर्मचारियों की हड़ताल	१२०७–१२
राज्य-सभा से सन्देश	—
ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	१२१३–१४
याचिका प्राप्त	१२१४
ारांकित प्रश्न संख्या १४६८ पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि .	१२१४–१५
भा की बैठकों से सदस्यों के अनुपस्थित रहने से सम्बन्धित समिति—	
छठा प्रतिवेदन—स्वीकृत	१२१५–१६
ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	१२१६–८६
खंड ६६ से ८०	१२१८–२७
खंड ८१ से ८८	१२२७–५७
खंड ८९ से ९६ और ९८ से १०२ . . .	१२५७–८६

अंक १७—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४.

भा का कार्य—	
सत्र के शेष भाग के लिये सरकारी कार्य का क्रम . . .	१२८७–८८
ण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खण्डों पर विचार—समाप्त . . .	१२८४–१३८७
खण्ड २२	१२८८–१२९६
खण्ड ८९ से १०२ (खण्ड ९७ को छोड़ कर) और नया खण्ड ९३ क	
खण्ड १०३ से ११३ और ११५, ११६ और अनुसूची, नया	
खण्ड ११५क, खंड १ और २ . . .	१२९६–१३७६
संशोधित रूप में पारित होने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	१३७६–७८

अंक १८—बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
निवारक निरोध अधिनियम सम्बन्धी सांख्यकीय विवरण . .	१३७९–८
विदेशी-जन पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति घोषणायें .	१३८०–८
पुनर्वास वित्त प्रशासन का प्रतिवेदन	१३८
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
याचिका उपस्थापित	१३८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	१३८१
तुर्की की महान राष्ट्र-सभा के प्रधान से प्राप्त सन्देश . . .	१३८२
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संशोधितरूप में पारित	१३८२–१४३१
श्री एम० ए० अय्यंगार	१३८३–८६
श्री ए० एम० थामस	१३८६–९२
श्री एच० एन० मुकर्जी	१३९२–९७
श्री एस० एस० मोरे	१३९७–९९
श्री दातार	१३९९–१४०७
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१४०७–१३
श्री एन० सी० चटर्जी	१४१३–१५
श्री आर० डी० मिश्र	१४१५–२१
डा० काटजू	१४२३–३१
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—	
संयुक्त समिति में सदस्यों के नामनिर्देशित करने का प्रस्ताव—असमाप्त .	१४३१–८८
श्री पाटस्कर	१४३१–४०
श्री वी० जी० देशपांडे	१४४०–४८
श्री टेक चन्द	१४४८–५२
श्री बी० सी० दास	१४५२–५६
श्रीमती जयश्री	१४५६–५७
श्री डी० सी० शर्मा	१४५७–५८

अंक १९—बृहस्पतिवार, ९ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
सशस्त्र पुर्तगाली सैनिकों द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र का अतिक्रमण और एक भारतीय ग्रामीण का अपहरण . . .	१४५९–६०
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक	१४६०–६१
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—	
संयुक्त समिति के लिये सदस्य नाम-निर्देशित करने का प्रस्ताव .	१४६१–१५१
श्री डी० सी० शर्मा	१४६१–६

	स्तम्भ
श्रीमती सुचेता कृपलानी	१४६३–६६
श्री एन० सी० चटर्जी	१४६६–७२
श्री बोगावत	१४७२–७६
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१४७६–६८
श्री पी० सुब्बा राव	१४६२–६७
श्रीमती उमा नेहरू	१४६७–१५००
सरदार इकबाल सिंह	१५००–०२
श्री पाटस्कर	१५०२–१४
निवारक निरोध (संशोधन विधेयक)—	
विचार प्रस्ताव—असमाप्त	१५१६–४६
डा० काटजू	१५१६–४२
श्री एम० एम० गुरुपादस्वामी	१५४२–४६

अंक २०—शुक्रवार, १० दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखा गया पत्र—	
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना . .	१५४७
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१५४७–८६
श्री ए० के० गोपालन	१५४८–५७
श्री जी० एच० देशपांडे	१५५७–६१
श्री वीरस्वामी	१५६१–६३
श्री अशोक मेहता	१५६३–६६
श्री एम० पी० मिश्र	१५६६–७६
श्री वी० जी० देशपांडे	१५७६–८५
श्री टेक चन्द	१५८५–८७
श्री एन० एम० लिंगम	१५८७–८६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	१५८६
सत्रहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	१५६०
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा १०६क का रखा जाना)—	
पुरःस्थापित	१५६१
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा १४२क का रखा जाना)—पुरःस्थापित	१५६१
वनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत	१५६१–१६०४
श्री डाभी	१५६१–६२
डा० पी० एस० देशमुख	१५६२–१६०४

	स्तम्भ
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक (धारा १ और २६, आदि का संशोधन)—	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित	१६०४–१७
श्री यू० सी० पटनायक	१६०४–११
डा० काटजू	१६११–१
श्रीमती इला पालचौधरी	१६१२–१
ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क	१६१३–१
श्री कानावाड़े पाटिल	१६१५–१७
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१६१७–३४
श्रीमती उमा नेहरू	१६१७–१९
श्री पाटस्कर	१६१९–२२
श्रीमती सुषमा सेन	१६२२
श्रीमती जयश्री	१६२२–२३
श्रीमती ए० काले	१६२३
श्रीमती मायदेव	१६२३–२५
श्री केशवैयंगार	१६२५
श्रीमती इला पालचौधरी	१६२५–२६
श्री डी० सी० शर्मा	१६२६–२८
श्री टी० एस० ए० चेट्टियार	१६२८–३०
श्री धुलेकर	१६३१–३३
विद्युत सम्भरण (संशोधन) विधेयक (धारा ७७ आदि का संशोधन)—	
पुरःस्थापित	१६३१

अंक २१—शनिवार, ११ दिसम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
सैन्य सामान निकाय के सिपाही क्लर्कों की छंटनी	१६३५–३८
सभा का कार्य—	
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प के बारे में समय-नियतन	१८३८–३९
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१८३९–१७३
श्री एन० एम० लिंगम	१६३९–४१
श्री एन० सी० चटर्जी	१६४१–४९
श्री रामचन्द्र रेड्डी	१६४९–५०
श्री केशवैयंगार	१६५०–५२
श्रीमती ए० काले	१६५२–५५

	स्तम्भ
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	१६५४–६०
श्री कासलीवाल	१६६०–६२
श्री भागवत झा आज़ाद	१६६२–६६
डा० एन० बी० खरे	१६६६–७६
श्री दातार	१६७७–९०
डा० कृष्णस्वामी	१६९०–९४
श्री चट्टोपाध्याय	१६९४–९७
श्री सी० आर० नरसिंहन	१६९७–९८
श्री मूलचन्द दुबे	१६९८–१७००
पण्डित के० सी० शर्मा	१७००–०२
श्री राघवाचारी	१७०३–०५
कुमारी एनी मैस्करीन	१७०५–०७
श्री आर० सी० शर्मा	१७०७–१४
श्री सारंगधर दास	१७१४–१७
पण्डित ठाकुर दास भार्गव	१७१७–३२
श्री एच० एन० मुकर्जी	१७३२

अंक २२—सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
सैन्य सामान निकाय के सिपाही क्लर्कों की छंटनी	१७३३–३४
न्यूटन चिखली खान में दुर्घटना	१७३५–३८
आंध्र में निर्वाचन सम्बन्धी जलूस पर कथित गोली-कांड	१७३८–३९
पटल पर रखे गये पत्र—	
विमान निगम नियम	१७३९–४०
औद्योगिक वित्त निगम सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन	१७४०
अनुदानों की अनुपूरक मांगें—१९५४-५५—पटल पर रखी गई	१७४०
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (आंध्र राज्य)—१९५४-५५—पटल पर रखी गई	१७४०
मंत्री का एक बैंक से कथित सम्बन्ध	१७४०–४५
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१७४५–१८०८
श्री एच० एन० मुकर्जी	१७४५–५०
डा० एस० एन० सिंह	१७५०–५२
ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क	१७५२–५५
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	१७५५–५९
आचार्य कृपालानी	१७५९–६१
डा० काटजू	१७६१–७४
खंड १ तथा २	१७७४–९९

	स्तम्भ
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१७९९–१८०८
डा० काटजू	१७९९–१८०८
श्री नन्द लाल शर्मा	१८००–०५
श्री लक्ष्मय्या	१८०५–०६
श्री पुन्नूस	१८०६–१८०८

अंक २३—मंगलवार, १४ दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखे गये पत्र—	
रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे, १९५२-५३ . . .	१८०९–१०
रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे, १९५२-५३ का वाणिज्यिक परिशिष्ट .	१८०९–१०
लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, रक्षा सेवायें १९५४ . . .	१८०९–१०
तारांकित प्रश्न संख्या ८६२ के उत्तर में शुद्धि	१८१०
सभा का कार्य—	
सरकारी कार्य के क्रम के बारे में वक्तव्य . . .	१८१०–११
चाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८११–३०
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . १८११–१३,	१८२७–३०
श्री तुषार चटर्जी	१८१४–१७
श्री एन० एम० लिंगम्	१८१७–१९
श्री बर्मन	१८१९–२०
श्री के० पी० त्रिपाठी	१८२०–२३
श्री ए० एम० थामस	१८२३–२४
श्री रामचन्द्र रेड्डी	१८२४–२५
श्री दामोदर मेनन	१८२५–२६
श्री के० सी० सोधिया	१८२६–२७
श्री पुन्नूस	१८२७
खण्ड १ और २	१८३०–३२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	१८३२
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . .	१८३२
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८३२–५५
श्री कानूनगो १८३२–३६,	१८४८–५५
श्री वी० पी० नायर	१८३७–४०
श्री तुलसीदास	१८४०–४१
डा० लंकासुन्दरम्	१८४१–४३
श्री झुनझुनवाला	१८४३–४४

	स्तम्भ
श्री ए० एम० थामस	१८४४–४६
श्री कासलीवाल	१८४६–४७
श्री वी० बी० गांधी	१८४७–४८
खण्ड १ और २	१८५५
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८५५–६२
श्री कानूनगो	१८५५–५६
डा० लंका सुन्दरम्	१८५६–५७
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी	१८५७–६२
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८६३–७७
श्री के० के० देसाई . . १८६३–६४,	१८७४–७७
श्री अमजद अली	१८६४–६५
श्री बिमला प्रसाद चालिहा . . .	१८६५–६६
श्री पुन्नूस	१८६६–६८
श्री बी० एस० मूर्ति	
श्री वेलायुधन	१८६९–७०
श्री केशवैयंगार	१८६८–६९
श्री पी० सी० बोस	१८७०–७१
श्री के० पी० त्रिपाठी	१८७१
श्री एस० वी० रामस्वामी	१८७१–७३
ठाकुर युगल किशोर सिंह .	१८७३–७४
खण्ड १ से ३	१८७८
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . .	१८७८
श्री के० के० देसाई . .	१८७८

अंक २४, बुधवार, १५ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
आन्ध्र में निर्वाचन जलूस पर कथित गोलीकांड . . .	१८७९–८३
पश्चिमी बंगाल में पुलिस वालों की भूख हड़ताल तथा सेना का बुलाया जाना .	१८८३–८५
पटल पर रखे गये पत्र— .	
आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति के अधिनियम . . .	१८८५–८७
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण .	१८८७–८८
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना .	१८८७
दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी के सन्तुलन-पत्र तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	१८८८–८९

स्तम्भ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १८८९
सभा का कार्य—
सरकारी कार्य का क्रम १८८९-९१
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
टेपियोका मांड और आटे के निर्यात पर प्रतिबन्ध . . . १८९१-९२
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प—असमाप्त . १८९२-१९७३
अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान-मंडल) द्वितीय
संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित १९७४

अंक २५—गुरुवार, १६ दिसम्बर, १९५४.

श्री ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव का निधन १९७५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
इम्फाल, मनीपुर में सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज . . . १९७६-७७
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . १९७७
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प—स्वीकृत . १९७७-२००८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—असमाप्त . . २००८-६२

अंक २६—शुक्रवार, १७ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—
पश्चिमी बंगाल में पुलिस के सिपाहियों की भूख हड़ताल और सेना का
बुलाया जाना २०६३-६८
पटल पर रखे गये पत्र—
खनिज कन्सेशन नियमों में संशोधन २०६८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें . . २०६८-९६, २१०८-१०
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—आंध्र . . २०९६-२१०८
विनियोग (संख्या ४) विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . . २१११-१२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत २११२
सरकारी औद्योगिक उपक्रमों की देखभाल और नियंत्रण करने वाली संविहित
निकाय सम्बन्धी संकल्प—अस्वीकृत २११२-५०
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कल्याण विभाग
के बारे में संकल्प—असमाप्त २१५०-५६

स्तम्भ]

श्रीमती विजय लक्ष्मी का त्याग पत्र २१५७
अध्यक्ष को पद से हटाये जाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . २१५७–७४, २२४२–७८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—आन्ध्र . . २१७४–९०, २२२७–२८
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को सौंपा गया २१९०–२२२७
श्री पाटस्कर २१९०–२२००
श्री बर्मन २२०१–०६, २२२३–२५
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय २२०८–१३
श्री आर० डी० मिश्र . . . २२०७–०८, २२१३–२३
आन्ध्र विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . . . २२२७–२९

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान-मंडल) द्वितीय संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत २२२९–३६
श्री पाटस्कर २२२९–३१, २२३२, २२३६
श्री धुलेकर २२३२–३३
श्री आर० के० चौधरी . . . २२३३–३४
पंडित ठाकुर दास भार्गव २२३४–३६
पंडित सी० एन० मालवीय . . . २२३६
खण्ड १ और २ . . . . . २२३७
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत २२३८

चाय (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . २२३८
श्री करमरकर २२३८–३९
श्री ए० एम० थामस २२३८–३९
श्री एन० एम० लिंगम् २२३९
खण्ड १ और २ . . . . . २२३९–४०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . २२४०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—अपूर्ण . . २२४०–४२
डा० एम० एम० दास २२४०–४२

अंक २८—सोमवार, २० दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव— स्तम्भ

सशस्त्र पुर्तगाली सैनिकों द्वारा भारतीय राज्यक्षेत्र का अतिक्रमण . २२७९–८२

पश्चिमी बंगाल में पुलिस वालों द्वारा भूख हड़ताल के बारे में वक्तव्य . २२८२–८४

पटल पर रखे गये पत्र—

विनियोग लेखा (डाक तथा तार) १९५२-५३ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन १९५४ . . . . . २२८४

संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . २२८४–८५

महिलाओं तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक—पुरःस्थापित . २२८५–८६

आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव—अपूर्ण . . . २२८६–२३६४

अंक २९—मंगलवार, २१ दिसम्बर, ११५४.

विदेशों को जीपों तथा सेना के कुछ अन्य सामान के लिये दिये गये आर्डरों के बारे में वक्तव्य २३६५–६६

सभा का कार्य २३६६–६८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

चाय निर्यात के अधिकारों में सट्टेबाज़ी . . . २३६८–७१

आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव—संशोधित रूप में पारित . . २३७१–२४५७

राज्य सभा से सन्देश २४५७–५८

अंक ३०—बुधवार, २२ दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखे गये पत्र—

प्रेस आयोग की सिफारिशों के बारे में विवरण . . २४५९

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . २४५९

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक सम्बन्धी साक्ष्य . . . २४६०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—सातवां प्रतिवेदन —उपस्थापित २४६०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उन्नीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित २४६०

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का विवरण, खण्ड ३—उपस्थापित . . . २४६१

पंचवर्षीय योजना के वर्ष १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव— २४६१

अपूर्ण २५२२, २५२२-५२

परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . २५२२

राज्य सभा मे सन्देश २५५२

अंक ३१—गरुवार, २३ दिसम्बर, १९५४

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
इम्फाल में एक संसद् सदस्य की गिरफ्तारी और प्रजा समाजवादी दल के कार्यालय पर पुलिस का छापा	२५५३–५७
यूगोस्लाविया के संघीय जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधान मंत्री का संयुक्त वक्तव्य . .	२५५७–६१
पटल पर रखे गये पत्र—	
विभिन्न आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	२५६१–६२
जून, १९५३ में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३६वें अधिवेशन की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के विवरण . . .	२५६२–६३
न्यूनतम मजूरी निवारण व्यवस्था के सम्बन्धी अभिसमय संख्या २६ के अनुसमर्थन के बारे में विवरण . . .	२५६३
रक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम—नियम, १९५३ में संशोधन .	२५६३
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
पी० टी० आई० और यू० पी० आई० द्वारा निजी उद्यम को समाचारों का दिया जाना	२५६३–६८
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—सातवां प्रतिवेदन —स्वीकृत	२५६८–७१
समवाय विधेयक की संयुक्त समिति में सदस्यों की नियुक्ति . .	२५७२
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	२५७२–२६१६
श्री पाटस्कर २५७२–७८,	२६०७–२६१६
श्री एन० एम० लिंगम् .	२५७९–८
श्री बी० एस० मूर्ति . . .	२५८१–८३
श्री राघवाचारी .	२५८३–८४
श्री साधन गुप्त	२५८४–८६
श्री टी० एन० सिंह	२५८६–८९
श्री भागवत झा आज़ाद	२५८९–९०
श्री जांगड़े	२५९०–९३
श्री एम० एल० अग्रवाल . . .	२५९३–९५
श्री कासलीवाल	२५९५–९६
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय . . .	२५९६–२६००
श्री कजरोल्कर	२६००–०१
श्री नवल प्रभाकर	२६०१–०४
श्री कक्कन	२६०४–०५
श्री पी० एल० बारुपाल	२६०५–०६

	स्तम्भ
श्री गणपति राम	२६०६–०७
खण्ड १ और २—	
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	२६१६–२६२५
पंच वर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—	
असमाप्त	२६२५–७२
श्री रिशांग किशिंग की गिरफ्तारी	२६७२
राज्य-सभा से सन्देश	२६७२–७४

अंक ३२—शुक्रवार, २४ दिसम्बर, १९५४ ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
मध्य भारत और राजस्थान में अफीम की खेती .	२६७५–७७
पटल पर रखे गये पत्र—	
भारत की रेलों के १९५२-५३ के विनियोग लेखे, भाग १—पुनर्विलोकन	२६७७
भारत की रेलों के १९५२-५३ के विनियोग लेखे, भाग २—ब्योरेवार विनियोग लेखे	२६७७
भारत सरकार की रेलों के १९५२-५३ के ब्लाक लेखे (ऋण लेखों वाले पूंजी के विवरणों सहित), सन्तुलन पत्र और लाभ-हानि के लेखे .	२६७७
१९५२-५३ के लिये रेलवे की कोयला खानों के कार्य का पुनर्विलोकन और सन्तुलन पत्र और कोयले, आदि की पूरी लागत के विवरण	२६७७–७८
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, रेलवे, १९५४	२६७८
केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की दूसरी बैठक में किये गये विनिश्चय के बारे में विवरण	२६७८
तारांकित प्रश्न संख्या ८७६ और १२६५ के उत्तरों में शुद्धि	२६७८–७९
प्रतिभूति ठेके (विनियमन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	२६८०
पंच वर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव— संशोधित रूप में स्वीकृत	२६८०–२७०३
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	२७०३–४३
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उन्नीसवां प्रतिवेदन—वाद-विवाद स्थगित	२७४३–४८
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन)— पुरःस्थापित	२७४८
भारतीय धर्म परिवर्तन (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक—पुरःस्थापित	२७४९–५२
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक— . . .	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	२७५३–६३
श्री धुलेकर	२७५३–५७

स्तम्भ

श्री पाटस्कर . . २७५७–६३

श्रीमती उमा नेहरू . २७६३

श्री टेक चन्द . . २७६३

वाद-विवाद स्थगित २७६३

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक—(नई धारा २६४ख का रखा जाना)—

परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . २७६४–६७

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा . . . २७६४–६५, २७६४

डा० काटजू २७६५–६६

वाद-विवाद स्थगित २७६७

मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त २७६७–६९

डा० एन० बी० खरे २७६७–६८, २७६९

श्री के० के० देसाई २७६८–६९

वाद-विवाद स्थगित २७६९

भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक— . . .

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त . . २७६९–८०

सरदार ए० एस० सहगल . . . २७६९–७६, २७७७–७८

राजकुमारी अमृत कौर २७७६–७७, २७७८–७९

वाद-विवाद स्थगित २७८०

निःशुल्क, बलात् अथवा अनिवार्य श्रम निवारण विधेयक—

परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . २७८०

श्री डी० सी० शर्मा २७८०–८२, २७८३–८६

श्री के० के० देसाई २७८२–८३

श्री आर० के० चौधरी २७८७

राज्य-सभा से सन्देश २७८८

हिन्दू विवाह विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . . . २७८८.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २ प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

गुरुवार, १६ दिसम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ मध्यान्ह

श्री ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव का निधन

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करते दुःख होता है कि १५ दिसम्बर, १९५४ को लखनऊ में श्री ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव का जो भारत की संविधान सभा (विधायिनी) तथा अस्थायी संसद् के सदस्य थे, ६५ वर्ष की आयु में देहान्त हो गया है। श्री ज्वाला प्रसाद सन् १९३१ से १९३६ और १९३७ तक क्रमशः उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और वित्त तथा उद्योग मंत्री रहे। वह वाइसराय की कार्यपालिका परिषद् में असैनिक रक्षा तथा खाद्य सदस्य भी रहे थे।

मुझे विश्वास है कि सभा उनके परिवार के प्रति समवेदना प्रकट करने में मेरा सहयोग देगी। सभा उनके सम्मान में एक मिनट मौन खड़ी रहेगी।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

इम्फाल, मनीपुर में सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : नियम १२५ के अधीन मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के इस विषय की ओर आकृष्ट करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक विवरण देने की कृपा करें :

> "१४ और १५ दिसम्बर को इम्फाल, मनीपुर राज्य में शान्तिपूर्ण सत्याग्रहियों पर पुलिस द्वारा लाठी-चार्ज और हिंसायुक्त आक्रमण से, जिससे आंदोलन में भाग लेने वाले अनेक सत्याग्रहियों को गंभीर चोटें आयी हैं और अनेक महिलाओं का घोर अपमान हुआ है, उत्पन्न स्थिति।"

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मेरे सहयोगी गृहमंत्री इस समय राज्य सभा में व्यस्त हैं, और उन्होंने मुझे सभा को यह बताने के लिए कहा है कि वे इस विषय में तुरन्त जांच करेंगे और जो तथ्य मिलेंगे वह सभा के सामने रखेंगे। यह कल और परसों की घटनाओं के सम्बन्ध में है। मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं--अर्थात् इस विषय की पृष्ठभूमि--जो कुछ मनीपुर में हो रहा

[श्री जवाहर लाल नेहरु]

है—उसे हम सत्याग्रह कहते हैं । कुछ लोग सलाहकारों के मकानों के सामने बैठे रहते हैं और उन्हें अपने कार्यालयों में आने जाने से रोकते हैं केवल इसलिए कि वे मंत्रणा परिषद् नहीं चाहते हैं और विधान सभा बनाना चाहते हैं । ये उनकी मांगें हैं, चाहे सही हों या ग़लत हों । वहां प्रति दिन जो कुछ हो रहा है वह यह है कि उन्हें अपने घरों और कार्यालयों में आने जाने से रोका जाता है । साधारणतया, न कि पिछले दो दिनों में ही, हमने देखा कि सलाहकारों के आने जाने के लिए रास्ता बनाने में कुछ लोगों को बलात् हटाना पड़ा । यही प्रायः प्रति दिन होता रहता है किन्तु जहां तक पिछले दो दिनों का सम्बन्ध है, यदि आप अनुज्ञा दें, तो हम तथ्य प्राप्त करेंगे और सभा के समक्ष*रखेंगे ।

परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) : म प्रस्ताव करता हूं कि परिसीमन आयोग अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री पाटस्कर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प---जारी

अध्यक्ष महोदयः अब सभा १५ दिसम्बर, १९५४ को रेलवे मंत्री द्वारा प्रस्तावित रेलवे अभिसमय समिति, १९५४ की सिफारिशों से सम्बन्धित संकल्प पर अग्रेतर चर्चा करेगी । इस संकल्प के लिए नियत ६ घंटे में से ४ घंटे ३५ मिनट कल लिये गये हैं और अब १ घंटा २५ मिनट शेष हैं । अतः यह संकल्प १—३० या १-३५ पर निपट जायगा । तत्पश्चात् सभा अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर, जिसमें विनियोग विधेयक भी होगा, चर्चा करेगी, इसके लिए पांच घंटे नियत किये गये हैं । प्रचलित प्रथा के अनुसार संकल्प पर मतदान २—३० म० पू० पर होगा ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन]

श्री वेलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : आप रेलवे अभिसमय समिति के सभापति होने के नाते बहुत भली प्रकार जानते हैं कि १९२४ में रेलवे वित्त सामान्य वित्त से पृथक् किया गया था । १९२४ में अभिसमय के बाद, प्रत्येक पांचवे वर्ष यह निर्णय होता था कि रेलवे और सामान्य राजस्व में वित्त का समन्वय किस प्रकार किया जाय । मैंने प्रतिवेदन सावधानी से पढ़ा है और मुझे यह देखकर खेद हुआ कि यद्यपि प्रतिवेदन में कुछ जानकारी दी गयी है फिर भी सभा को यह अवसर नहीं दिया गया है कि वह रेलवे बोर्ड और रेलवे के वित्तीय आयुक्त द्वारा प्रस्तुत किये गये पुनर्विलोकन और विभिन्न ज्ञापनों पर विचार कर सके । यदि ये प्रतिवेदन सदस्यों के समक्ष होते तो हम भी उन विभिन्न उलझनों को समझ पाते जो अभिसमय समिति के कतिपय निर्णयों केलिए उत्तरदायी है ।

---

*अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० दिनांक २४ दिसम्बर, १९५४ के उत्तर में पटल पर रखा गया । [देखिये वाद-विवाद भाग १ स्तम्भ संख्या २४१२ से २४१७]

रेलवे वित्त के सामान्य वित्त से पृथक्करण के लिए प्रारम्भ में कुछ औचित्य हो सकता है किन्तु अभिसमय ने बाद में भी उसे जारी रखा है और वह अब भी जारी रखा जा रहा है। मैंने सोचा था कि समिति किसी क्रान्तिकारी परिवर्तन का सुझाव देगी। मेरा यह दृढ़ मत है कि यथासंभव शीघ्र रेलवे वित्त और सामान्य वित्त को मिलाकर एक कर दिया जाय। १९५० में रेलवे आयव्ययक पर हुई चर्चा के समय भी मैंने यही सुझाव दिया था कि रेलवे वित्त या रेलवे विभाग सामान्य वित्त के साथ पूर्णतया मिला दिया जाय। यह पृथक्करण जो अब भी जारी है, न केवल जनता के दिमाग़ में बल्कि सरकार के दिमाग़ में भी बहुत कुछ गड़बड़ी के लिए उत्तरदायी है।

यद्यपि अभिसमय समिति ने रेलवे उपक्रम के वित्तीय पहलू के विस्तारों का विचार किया है, फिर भी उसके लिये कोई क्रांतिकारी परिवर्तन करना या लेखा-प्रणाली के प्रारम्भिक सिद्धान्तों से इंच भर इधर उधर होने का कोई सुझाव देना संभव नहीं था। सभा की और जनता की यह बराबर मांग रही है कि रेलवे में जिस लेखा प्रणाली का अनुसरण किया जाता है उसमें आमूल परिवर्तन होना चाहिये जिससे कि वाणिज्यिक पहलू पर आधारित नयी लेखा-प्रणाली लागू की जा सके और जनता रेलवे उपक्रम के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। साधारण व्यक्ति वर्तमान लेखाप्रणाली और नियतन नियमों को अच्छी तरह से नहीं समझ सकता है। ये नियम भी सभा के समक्ष नहीं हैं जिनका हम आलोचना करते समय उपयोग कर सकें।

समिति ने यह निर्णय दिया है कि अगले पांच वर्ष के लिए लाभांश की वर्तमान दर को, जो सामान्य राजस्व को दी जाती है, जारी रखना होगा। हमने सोचा था कि समिति प्रतिवेदन पर विशाल दृष्टिकोण से विचार करेगी किन्तु ऐसा नहीं किया गया है। समिति को यह अवसर पूरी तरह प्राप्त था कि वह इतने बड़े राष्ट्रीय उपक्रम के विस्तारों की विवेचना करती। साथ ही सरकार यह भी निर्णय नहीं कर सकी है कि रेलवे विशुद्ध सामाजिक उपयोगिता की संस्था के रूप में रखी जाये अथवा उसे वाणिज्यिक संस्था के रूप में चलाया जाय। प्रतिवेदन में कहा गया है कि सरकार द्वारा संतुलित दृष्टिकोण अपनाया गया है, किन्तु मेरा यह निवेदन है कि रेलवे पूर्णतः सामाजिक उपयोगिता की संस्था समझी जानी चाहिये। केवल भारत में ही नहीं वरन् उन देशों में भी, जहां लोक-हितकारी राज्य का कार्यक्रम जारी है, रेलवे को सामाजिक उपयोगिता की संस्था ही माना जाता है।

रेलवे के सम्बन्ध में अब तक सरकार की यह नीति रही है कि वह अपने कार्यों के लिए यथासंभव अधिक से अधिक वित्त रेलवे निधि से सामान्य राजस्व के लिए लेना चाहती है। इसीलिए सदा उतार-चढ़ाव होता रहता है। दिये हुए ऋणों के सम्बन्ध में ब्याज आवश्यक है किन्तु तब सरकार का यह भी उत्तरदायित्व होना चाहिये था कि वह केवल रेलवे निधि से ही नहीं वरन अन्य साधनों से भी राजस्व लेती। यदि रेलवे वाणिज्यिक आधार पर चलायी गयी होती तब तो रेलवे के विकास के लिए बहुत बड़े अवसर थे।

देश की आवश्यकता को देखते हुए, पंच-वर्षीय-योजना के अन्तर्गत १५०० मील लम्बी रेल लाइन का विकास बहुत ही कम है। जब सभी राज्यों की मांग है कि रेलों का विस्तार किया जाय तो सरकार को यह देखना चाहिये था कि रेलवे से प्राप्त राजस्व से सामान्य राजस्व का खज़ाना भरने के बजाय वह रुपया सारे भारत में रेलवे के विकास पर लगाया जाता। भारत की उन्नति

[श्री बेलायुधन]

के हित में यह आवश्यक है कि हम देश के कोने कोने में रेल ले जायें और ऐसा करना केवल तभी संभव होता जब सरकार ने रेलवे वित्त को रेलवे कर्मचारियों के पुनर्वास, कल्याण तथा रेलवे के विकास पर खर्च किया होता ।

रेलवे बोर्ड तथा वित्तीय आयुक्त द्वारा १९५४ में प्रस्तुत किये गये पुनर्विलोकन में कहा गया है कि सरकार द्वारा चार प्रतिशत लाभांश ले लिये जाने पर ३१ करोड़ रुपये की कमी होगी । इसे दृष्टि में रखते हुए हमारी रेलवे का भविष्य सुखद नहीं है । वह इसलिए कि दूसरा मार्ग यह है कि प्रशुल्क बढ़ाया जाय, जिसकी सिफ़ारिश भी प्रतिवेदन में की गयी है । पिछले सात वर्षों से सरकार की यही नीति रही है कि सामान्य वित्तीय स्थिति में जब भी संकट आये या कोई कमी हो, तो सरकार हमेशा कमी को पूरा करने के लिए रेलवे की ओर मुड़ती रही है । यही बात १९४९, १९५० और १९५१ के आयव्ययकों से ज्ञात होती है । अतः मेरा यही निवेदन है कि सरकार रेलवे का दुधारू गाय के तौर पर उपयोग न करे । लोक हितकारी राज्य में रेलवे सामाजिक उपयोगिता की संस्था के रूप में चलायी जानी चाहिये । यदि यही गति विधि रही तो मैं नहीं समझता कि अगले २० वर्षों में भी हम रेलवे को सामाजिक उपयोगिता की संस्था बना सकेंगे ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (पटना पूर्व) : मुझे वास्तव में यह देखकर संतोष है कि पिछले आयव्ययक सत्र के समय नियुक्त की गयी रेलवे अभिसमय समिति ने कोई विशेष परिवर्तन करने के लिए कोई औचित्य नहीं पाया । अभिसमय समिति के प्रतिवेदन में सुझाये गये परिवर्तन बहुत साधारण हैं और वे केवल इस आशय से किये गये हैं कि योजना अवधि के अन्तर्गत विकास काल में निधियों के नियतन में कमीबेशी की जा सके ।

अभिसमय का प्रारम्भिक उद्देश्य यह था कि सामान्य राजस्व के लिए रेलवे से निश्चित अंशदान प्राप्त किया जाय और यह सामान्य वित्त और रेलवे रक्षित निधि के बीच वाणिज्यिक आधार पर आधिक्य के नियतन से किया गया है । रेलवे की पूंजी पर चार प्रतिशत एकरूप लाभांश से सारे वातावरण में स्थिरता आ गयी है । इसका अर्थ यह है कि रेलवे की ऋणपूंजी से प्रतिवर्ष ७·५ करोड़ रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होगा । यह एक बहुत अच्छा अंशदान है ।

अगले पांच वर्षों के लिये अभिसमय के पदों का आधार विकास व्यय की वर्तमान आवश्यकता तथा भविष्य में बहुत अधिक व्यय के कारण रेलवे वित्त को दी जाने वाली सहायता है । अतः नये अभिसमय ने दो महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं । पहला यह कि अधिक पूंजी विनियोग का भुगतान कम दर पर किया जायगा जो लगभग ३·१७ प्रतिशत होगा । इससे एक करोड़ रुपये की बचत होगी क्योंकि अधिक पूंजी विनियोग का अनुमान १०० करोड़ रुपये है ।

दूसरा परिवर्तन यह है कि नयी लाइनों के निर्माण के लिए दी गयी ऋण पूंजी के लिए एक विम्लबकाल घोषित किया जाय और ब्याज की दर वर्तमान ऋण लेने की दर से कम निर्धारित की गयी है, और वह भी उस समय तक जब तक कि नवनिर्मित लाइनें परिवहन कार्यों के लिए चालू नहीं हो जाती हैं । लाभांश का बकाया रेलवे द्वारा चुकाये जाने वाले के वर्तमान दायित्व के अतिरिक्त लगभग पांच वर्ष की इस अवधि के बाद दिया जायगा । इससे लगभग दो करोड़ रुपये की बचत होगी ।

रेलवे बोर्ड का अनुमान मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि वह बहुत रूढ़िवादी है और उसमें अगली पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित की जाने वाली विस्तार योजना का परिमाण नहीं दिखाया गया है। इन रियायतों में अवक्षयण रक्षित निधि में विनियोग की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। अतः यह उचित ही है कि रक्षित निधि का आपातकालीन नियतन ३० करोड़ रुपये से बढ़ा कर ३५ करोड़ रुपये कर दिया गया है।

लाभांश के भुगतान में कुछ सहायता दिये जाने पर, अवक्षयण निधि के लिए पांच करोड़ रुपये के अतिरिक्त नियतन से रक्षित निधि के लिए कुल बचत बहुत कम रह जायगी। अनेक माननीय मित्रों ने राजस्व रक्षित निधि की कमी पर चिन्ता प्रकट की है। मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में हम उसे बहुत अच्छी तरह पूरा कर सकेंगे। मार्च १९५५ में समाप्त होने वाले पांच वर्षों में कुल आधिक्य से विकास निधि में विनियोग लगभग ३५·५० करोड़ रुपये होगा किन्तु मेरे विचार से कर्मचारी वर्ग, पुरानी लाइनों का पुनर्स्थापन नयी लाइनों के निर्माण और विकास आदि के कारण खर्च का बोझ बहुत अधिक होगा। इसी कारण मेरे विचार से कुल जोड़ लगभग ४४ करोड़ रुपये होगा। अतः विकास योजनाओं के खर्च को भी, मेरे विचार से, ८·५ करोड़ रुपये प्रति वर्ष से बढ़ा कर १४ करोड़ रुपये करना होगा। इस सम्बन्ध में अभिसमय समिति ने एक बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश की है कि इसमें राजकोष (एक्स्चेकर) से अनिवार्य रूप से सीमा से अधिक धन लेना होगा। यह बहुत संतोष की बात है कि प्रतिवेदन बहुत अंशों तक रेलवे के भावी विस्तार के कार्यक्रम पर आधारित है और समिति ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं की उपेक्षा नहीं की है। रेलवे के विकास के लिए अधिक प्रोत्साहन दिये जाने पर यह अधिक आवश्यक है कि शेष पुनर्वास कार्य को सबसे पहले प्रारम्भ किया जाय क्योंकि नयी लाइनों को बनाने की अपेक्षा पुराने शेष कार्यों को पूरा करना अधिक आवश्यक है। अतः नयी लाइनों के निर्माण की अपेक्षा, पुराने डिब्बों या पुरानी लाइनों के पुर्नस्थापन को पूर्ववर्तिता देना अधिक अच्छा होगा। इस प्रकार जो बकाया होने की संभावना है उसे अगली पंच वर्षीय योजना के लिए रखा जा सकता है। इस समय रेलवे पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ लादने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश में परिवहन सुविधाओं की वृद्धि का भारी कार्यक्रम होने के कारण मैं यह बिलकुल उपयुक्त नहीं समझती कि अभी रेलवे पर कोई अतिरिक्त बोझ लादा जाय। अतः मेरी राय से इस बकाया का अगली पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भिक दशाओं में न कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में भुगतान किया जाये।

अंत में मैं समिति को इस तथ्य पर बधाई देती हूं कि उसने रेलवे को कुछ निजी सहायता का उपबन्ध कर के इस समस्या को वास्तव में हल किया है। किन्तु मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं कि रेलवे इस सहायता से इन बोझों के साथ साथ इस नये उत्तरदायित्व को को भी उठाने में समर्थ होगी।

योजना की सफलता के लिये देश की परिवहन क्षमता के प्रसार में सहायता देना तथा इस बात की गारण्टी देना, कि अपर्याप्त परिवहन का कोई खतरा नहीं रहेगा, बहुत आवश्यक है। और यह काम उतने धन से नहीं हो सकता है जितना कि रेलवे के पास है। इसके लिये सामान्य राजस्व द्वारा समय समय पर यदि सहायता न दी गई तो रेलवे के लिये भविष्य में उन कार्यों को करना असंभव हो जायेगा जिन का दायित्व उसको सौंपा गया है। इस लिये रेलवे मंत्री को अपना सारा विकास कार्यक्रम इस धारणा के अनुसार बनाना चाहिये

[श्री मती तारकश्वरी सिन्हा]

कि वह समय समय पर सामान्य राजस्व से काफ़ी बड़ा अंशदान पाने के हकदार होंगे और वित्त मंत्रालय को भी रेलवे को इस प्रकार का आश्वासन देना चाहिये । जब तक इस प्रकार का आश्वासन मिले, ऐसे कार्यक्रम बनाना वांछनीय नहीं है जिनके सम्बन्ध में भविष्य में वित्त सम्बन्धी कठिनाइयां उत्पन्न हों ।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : डिप्टी स्पीकर महोदय, यह रेलवे फाइनेंस की जो बात है, यह बड़े महत्व की है । कल जब इसके ऊपर बहस हो रही थी तो आपने डा० लंका सुन्दरम् से यह प्रश्न बार-बार पूछा कि आपकी क्या राय है ? यह पबलिक युटिलिटी कन्सर्न है या कर्मशियल कन्सर्न है ? यह ठीक है कि पबलिक युटिलिटी कन्सर्न और कर्मशियल कन्सर्न दो तरह की कन्सर्न होती हैं परन्तु यह बात मेरी समझ में नहीं आई और अभी तक मैं समझ नहीं पाया हूं और आपके द्वारा मैं रेलवे मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि वह हम को यह बात समझावें कि पबलिक युटिलिटी कन्सर्न और कर्मशियल कन्सर्न जहां तक उसके हिसाब रखने का ताल्लुक़ है उसमें क्या भेद होना चाहिये ॥ क्या पबलिक युटिलिटी कन्सर्न का हिसाब इस तरह रखना चाहिये कि बाहर से तो मालूम हो कि हिसाब बहुत अच्छा है, हम दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहे हैं और हम फ़ायदा कर रहे हैं परन्तु भीतर से यदि देखा जाय तो हिसाब ठीक नहीं है उसमें घाटाहै । जैसे सेठ तुलसीदास ने कहा कि यहरेलवे के जो फाथनेंस हैं यह बहूत ही ओवर कैप्टिलाइज्ड हो गये हैं और अब उनको और ओवर कैप्टिलाइज़ करना अच्छा नहीं है । हम लोगों को यह उचित है कि अब जैसे कामर्शियल कन्सर्न्स से उम्मीद की जाती है कि जब किसी चीज़ में बहुत घाटा हो जाय या ओवर कैप्टिलाइज्ड कोई चीज़ हो जाय तो उसका जो मूलधन है उसको हम लोग घटा देते हैं और तब उसके आगे डिवीडेंड या इंटरेस्ट देने का सवाल चलता है । जो लोग उसमें रुपया लगाये हैं, शेयर होल्डर्स हैं उनको कितना मिलना चाहिये, जैसे अभी तक तो हमारी एक करोड़ रुपये की कम्पनी थी, घाटा होते होते अब उस कम्पनी की हालत ऐसी हो गयी है कि यदि उसकी अच्छी तरह से जांच करके देखा जाय तो उसकी कीमत पचास लाख से अधिक नहीं है, तो उस बोझे को अभी भी ढोये चलना कि यह चीज़ करोड़ रुपये की है और उस करोड़ रुपये के हिसाब से उन शेयर होल्डरों को यदि हम डिवीडेंट देते चले जायेंगे तो कम से कम यह हिसाब रखने की नीति ठीक नहीं है । तो जैसा कि मैं ने शुरू में कहा कि क्या पबलिक युटिलिटी कन्सर्न का यह ध्येय है कि हिसाब इस तरह से रखा जाय कि लोगों को दिखावें कि हम बहुत फ़ायदा कर रहे हैं और भीतर उसके घपला होता जाय और कितनी ही चीज़ें जो बिलकुल बेकार हैं उनमें बेकार का खर्चा होता जाय और उसके बाद भी मालूम न पड़े कि उसको साफ़ साफ़ पबलिक के सामने रख दें कि भाई हमारे यहां इतना घाटा हुआ । यह ठीक है कि यह पबलिक युटिलिटी कन्सर्न है और पबलिक युटिलिटी कन्सर्न का अर्थ मैं यह समझता हूं कि जहां पर जो चीज़ पबलिक युटिलिटी की है, खास कर यह ट्रांसपोर्ट का ही मसला है ज. कि इस समय बहुत सही महत्व का है और देश की भावी अर्थ नीति से इसका गहरा ताल्लुक है, यह बहुत महत्व की चीज़ है लेकिन साथ ही हम को यह बतला देना चाहिये कि हां इसमें इतना घाटा है, चाहे जनरल रेवे-न्यूज़ से हो या रेलवे के रेवेन्यूज़ से हो आज तक हम इतना घाटा इस काम में दे चुके हैं और इतनी रक़म हम अब तक पबलिक युटिलिटी के काम में ला चुके हैं । यह बात मैं समझ सकता हूं कि ठीक है कि हम इतना पबलिक युटिलिटी के काम में लगायें, पर यह बात मेरी

समझ में नहीं आती कि हम उसका हिसाब एक गोल मटोल तरीक़े से रखें, बाहर तो हम ऐसा दिखलायें कि यह तरक्की कर रहा है लेकिन हक़ीक़त में भीतर इसमें घाटा होता जाय, यह चीज़ नहीं होनी चाहिये। जिस वक्त ऐयर कारपोरेशन के नेशनलाइज़ेशन की बातचीत चल रही थी उस समय भी मैं ने यह बात कही थी कि यह ठीक है कि एयर कारपोरेशन के काम को हम लोगों को किस तरह से चलाना चाहिये और चलाने में यह ध्यान रखना चाहिये कि पबलिक युटिलिटी की यह चीज़ है, परन्तु चूंकि पबलिक युटिलिटी की यह चीज़ है तो यह किसी की बपौती तो नहीं हो जानी चाहिये कि जो भी इसमें जायज़ नाजायज़ तौर पर ख़र्च हो उसको हिसाब में दिखला दिया जाय कि भाई क्या किया जाय यह तो पबलिक युटिलिटी कन्सर्न की चीज़ है, इसमें घाटा हो गया तो वह तो पबलिक में चला गया; ऐसा रवैया हमारा नहीं होना चाहिये और ऐसा दृष्टिकोण अपनाना ग़लत होगा। अभी इंडियन ऐयर कारपुरेशन के सम्बन्ध में ख़बर के काग़ज़ में क्या निकला था, उससे मालूम होता है कि तीस लाख रुपया फ्रेट में लोगों ने कम चार्ज करके ज़ाया कर दिया, बिना या कम फ्रेट लिये ही यह चीज़ इधर से उधर भेज दी गयी और इस तरह से तीस लाख का घाटा हो गया। अब वह चीज़ लोगों को बाहर मालूम हो सकी, लोग इस बात को देखेंगे फिर यह ख़याल करेंगे कि भाई यह तो पबलिक युटिलिटी कन्सर्न है, इसमें तो घाटा होता ही है। मेरा आप लोगों से यह कहना है कि यह ठीक है। हम को कम से कम यह मालूम होना चाहिये कि यह पबलिक युटिलिटी कन्सर्न है। रेलवे कन्सर्न है, ट्रांसपोर्टेशन है इसमें अभी तक गवर्नमेंट ने चाहे जनरल रेवेन्यूज़ से हो चाहे रेलवे के रेवेन्यूज़ से हो उसमें इतना रुपया अपनी तरफ़ से लगा दिया और इतना पया घाटे की तरह से डाला गया, इतना रुपया सबसिडी के तौर से हम ने दे दिया, इस किस्म का हिसाब रखना चाहिये और इस तरह से इसमें भी वैसी ही निगरानी और निगाह रखनी चाहिये जैसे कि और दूसरी कर्मशियल कन्सर्न में रखनी होती है और जहां हम दो पैसे बचा सकें तो कोई कारण नहीं कि रेलवे में हम उस दो पैसे को न बचावें, वहां पर हम यह ख़याल करें कि यह तो पबलिक युटिलिटी कन्सर्न है, चलिये दो पैसे ज्यादा ख़र्च हो गये तो हो जाने दीजिय। यह ग़लत है और पबलिक युटिलिटी कन्सन के नाम से बहुत सी घपले की चीज़ें इसमें हो जाती हैं और हिसाब रखने में भी गोलमाल होता है। एस्टीमेट कमेटी में कई बार यह सब प्रश्न उठे थे और जो फ़ाइनेंशियल ऐडवाइज़र थे उनसे मैं ने एक बार पूछा था कि भाई यह जो हिसाब रखने का तरीक़ा है ठीक नहीं है। जवाब मिला पबलिक युटिलिटी कन्सर्न के हिसाब हैं और कर्मशियल कन्सर्न का इस में क्या भेद है। उन्होंने कुछ ख़र्चा अधिक दिखलाया था, मैं ने कहा कि यह ख़र्चा इसमें नहीं होना चाहिये था, उन्होंने कहा था कि यह हिसाब पबलिक युटिलिटी कन्सर्न का है, इसलिये यह अधिक ख़र्चा भी इस में दिखला दिया जाता है। तो जैसा मैं ने कहा मैं रेलवे मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहूंगा कि पबलिक युटिलिटी कन्सर्न में कोई ऐसी बात भी हो सकती है, क्या कोई ऐसी चीज़ भी होनी चाहिये, क्या ऐसा कोई भीतर ध्येय है कि जहां पबलिक युटिलिटी कन्सर्न चलायी जाय तो उसमें ख़र्चा भी कर्मशियल कन्सर्न से अधिक हो? हम यह समझ सकते हैं कि पबलिक युटिलिटी कन्सर्न को कुछ रक़म सबसिडी के तौर पर दे दी जाय। अगर बरस के अन्त में हिसाब करने पर यह मालूम हो कि हमें दस लाख का नुकसान हुआ है तो हम यह कर सकते हैं कि चूंकि यह एक पबलिक युटिलिटी कन्सर्न है इसलिये इसको इतना रुपया सबसिडी के तौर पर दिया जाय। परन्तु एक पबलिक

[श्री झुनझुन वाला]

युटिलिटी कन्सर्न में हिसाब रखने में और एक कमर्शियल फ़र्म में हिसाब रखने में फ़र्क हो यह मेरी समझ में नहीं आता । यह मैं समझना चाहूंगा । तो जैसा कल हमारे श्री तुलसीदास जी ने कहा था एक कमेटी क्यों न बिठायी जाय जोकि यह जांच करे कि रेलवे का असेट क्या है और उसकी क्या क़ीमत है और उस क़ीमत को लगा कर जो ओवर कैपीटलाइज़ेशन है उसको घटा कर पबलिक को बतलाया जाय कि आज तक रेलवे ने इतना नुकसान कर दिया और आयन्दा असेट की यह क़ीमत है और इस क़ीमत के ऊपर हम डिवीडेंड देंगे । यह डिवीडेंड आप जनरल रेवेन्यू को दें या किसी को दें । हम तो जनरल रेवेन्यू में और रेलवे में कोई फ़र्क़ नहीं समझते क्योंकि आखिर दोनों में पैसा तो पबलिक का ही है । दोनों एक ही चीज़ हैं, चाहे पैसे को इधर रखिये या उधर रखिये । यह जनरल रेवेन्यु में जाना चाहिये और यह रेलवे में जाना चाहिये । इस तरह का हिसाब रखने से घपला होता है और पबलिक की समझ में चीज़ ठीक तरह से नहीं आती है । मेरी समझ में यह ठीक नहीं है । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर इसको पबलिक युटिलिटी कन्सर्न कह कर यह समझा जाय कि इसमें अगर करप्शन होता है तो यह तो पबलिक युटिलिटी कन्सर्न में होता ही है ठीक नहीं है । यह कहना कि यह पबलिक युटिलिटी कन्सर्न का हिसाब है इसलिये इसमें कुछ चीज़ें ध्यान में नहीं रखी जातीं ठीक नहीं होगा । जिस तरह से एक कमर्शियल फ़र्म का हिसाब स्ट्रिक्टली रखा जाता है उसी तरह से इसका हिसाब भी रखा जाना चाहिये और अगर घाटा हो तो हम पीछे कह सकते हैं कि इतना घाटा हुआ है और गवर्नमेंट इसको सबसिडी देती हचुंकि हय चीज़ बहुत आवश्यक है ।

कल हमारे श्री लंका सुन्दरम् कह रहे थे कि दिल्ली से बम्बई का फ़्रेट उस फ़्रेट से कम है जो कि अहमदाबाद का है, यद्यपि बम्बई का माइलेज ज्यादा है । इससे वह यह इनफरेंस निकाल रहे थे कि चूंकि यह पबलिक युटिलिटी कन्सर्न है इसलिये बम्बई का भाड़ा कम है और अहमदाबाद का ज्यादा है । लेकिन इसमें पबलिक युटिलिटी कन्सर्न की कोई बात नहीं है । यह चीज़ तो कमर्शियल कन्सर्न में भी मामूली है । जहां पर हमारा ज्यादा माल जाता है वहां पर हम ज्यादा वैगन कम खर्च में भेज सकते हैं और इसलिये किराया भी कम रख सकते हैं । लेकिन अगर हमारा माल अहमदाबाद को कम जाता है और वहां माल भेजने में कठिनाई होती है और अधिक खर्च होता है तो उसका किराया ज्यादा होगा । यह सोचना कि इसलिये ज्यादा किराया चार्ज किया जाता है कि यह पबलिक युटिलिटी कन्सर्न है ग़लत होगा । यह चीज मेरी समझ में नहीं आयी । इसलिये मैं मिनिस्टर साहब से ये चीज़ें समझना चाहूंगा ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी (चित्तूर) : अभिसमय समिति की सिफ़ारिशें दो बातों को मान कर की गई हैं । एक तो यह कि रेलवे उपक्रम न तो विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक उपक्रम है और न लोकोपयोगी उपक्रम ही है वरन् एक ऐसा उद्योग है जिसमें दोनों बातें पाई जाती हैं । दूसरी बात यहवे कि रेलवे में जो पैसा लगाया जाये उससे सामान्य राजस्व को पर्याप्त लाभ मिलना चाहिये ।

इसी आधार पर सामान्य राजस्व को चार प्रतिशत दिये जाने का परिणाम निकाला गया है हालांकि समिति ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि यदि बाज़ार से पूंजी एकत्रित की जाये तो उसकी दर चार प्रतिशत से बहुत कम है । आजकल यह दर ३·१८ प्रतिशत है और १९२४ में जब रेलवे राजस्व का सामान्य

राजस्व से पृथक्करण किया गया था तब यह दर केवल २·५ प्रतिशत थी। इसका परिणाम यह है कि सामान्य राजस्व को पर्याप्त लाभ देने के लिये रेलवे को अर्थ व्यवस्था पर ब्याज का बहुत बड़ा बोझ आ गया है। उसे चार प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है इसीलिये रेलवे न तो नई लाइनें निकालने के लिये पर्याप्त मात्रा में धन का प्रबन्ध कर पाती है, न यात्रा करने वाली जनता के लिये सुख सुविधाओं का और अच्छा प्रबन्ध कर पाती है और न किराये तथा माल ले जाने की भाड़ा प्रणाली को ही कम कर पाती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि सामान्य राजस्व को जिस दर से लाभांश दिया जाता है उसे घटा दिया जाये और इस प्रकार जो रुपया बचे उसे विकास निधि के खाते में जमा किया जाये, क्योंकि इस निधि को बढ़ाने का कोई भी प्रबन्ध नहीं है, क्योंकि आगामी पांच वर्षों में जितने निर्माण सम्बन्धी कार्य होंगे उनका भार इसी निधि पर पड़ेगा, और प्रति वर्ष जो कम से कम राशि इसमें से निकाली जा सकती है वह तीन करोड़ रुपये रखी गई है। इसके अतिरिक्त इस निधि से और भी काम करने होते हैं। इसलिये रेलवे विस्तार अथवा सुविधाओं की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं होगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि लाभांश की दर कम कर दी जाये। इस से जो बचत हो उसे देश में रेलवे लाइनों को और अधिक फैलाने के काम में लाया जाये।

रेलवे लाइनों के लाभदायक होने की कसौटी यह रखी गई है कि उससे कम से कम पांच प्रतिशत लाभ होना चाहिये। इस प्रकार रेलवे के विकास को एक प्रकार से अवरुद्ध कर दिया गया है। पहले यह सिफ़ारिश अवश्य की गई थी कि रेलवे के विकास पर खर्च होने वाली समस्त रक़म पूंजी खाते पर भारित की जायेगी और इस पूंजी के लिये विलम्बकाल पांच वर्ष का होगा। परन्तु जिन लोगों को नई लाइनों के सम्बन्ध में विचार करने का काम सौंपा जायेगा वे इसी डर से कि हो सकता है कि पांच प्रतिशत लाभ प्राप्त न हो, कोई विकास कार्य करने का परामर्श नहीं देंगे। रेलवे प्रशासन के पास अभी ऐसा कोई विश्वास करने योग्य आधार नहीं है जिससे यह पता लगाया जा सके कि किसी रेलवे लाइन विशेष से कितना लाभ होने की संभावना है। ऐसी अवस्था में यह कहना कि विकास निधि में इन पांच वर्षों में कोई भी राशि जमा नहीं की जायेगी उचित नहीं है। इस लिये अभिसमय समिति की सिफ़ारिशों से रेलवे के विकास कुछ भी सहायता नहीं मिलेगी।

रेलवे प्रशासन ने जो स्मरण-पत्र समिति के सामने प्रस्तुत किया है उसमें कहा गया है कि जब तक किराये तथा माल ले जाने की भाड़ा दरें बढ़ाई नहीं जायेंगी विभिन्न निधियों में पैसा जमा करने की जो बातें कही गई हैं उनको पूरा करना संभव नहीं होगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि सामान्य राजस्व को दिये जाने वाले लाभांश को घटाकर २$^{१}/_{२}$ प्रतिशत कर दिया जाये और इस प्रकार जो धन बचे उसे विकास निधि के खाते में जमा किया जाये।

श्री बो० के० दास (कंटाई) : सब से पहले मैं यह सन्देह दूर करना चाहता हूं, जैसा कि माननीय सदस्य श्री मिश्र ने कहा है कि अभिसमय समिति को रेलवे बोर्ड ने गुमराह कर दिया है।

जहां तक रेलवे उपक्रम के लोकोपयोगी तथा वाणिज्यिक होने की बात कही गई है हमारा सारा राज्य ही लोक हितकारी राज्य है। इसलिये जब राज्य को लोकोपयोगी कार्यों के लिये रुपये की आवश्यकता होगी तो वह निश्चय ही अपने विभागों की ओर ही देखेगा और रेलवे ही एक ऐसा विभाग है जिससे

[श्री बी० के० दास]

कुछ राजस्व की आशा की जा सकती है । इसी लिये हमारा राज्य चाहता है कि रेलवे उपक्रम को इस प्रकार से संचालित किया जाये जिससे कि वह सामान्य राजस्व को भी कुछ सहायता पहुंचाये और साथ ही साथ स्वावलम्बी भी हो ।

डा० लंका सुन्दरम् ने कहा है कि इस अभिसमय समिति में इतनी टेकनिकल क्षमता नहीं थी जिससे कि वह इस विषय पर उचित रूप से विचार कर सकती । कुछ भी हो यह इसी सभा की एक समिति है और इस समिति ने अपनी योग्यता भर रेलवे वित्त की समस्या पर विचार किया है और अपना मत प्रकट किया है । अब यह सभा का कार्य है कि इसे स्वीकार करे अथवा न करे ।

कहा जाता है कि लगभग ४०० करोड़ रुपये का अधिक पूंजी विनियोग है । इस के सम्बन्ध में समिति ने कहा है रेलवे बोर्ड इस विषय की छानबीन करे और वास्तविक स्थिति का पता लगावे । अभी इस अधिक विनियोग को १०० करोड़ रुपया मान लिया गया है और केवल इतनी राशि पर ब्याज लेने की सिफ़ारिश की गई है । इस प्रकार रेलवे को बहुत बड़ी सुविधा दे दी गई है ।

लाभांश की दर के सम्बन्ध में बहुत से सुझाव दिये गये हैं । १९२४ से लेकर १९५० तक, गत २६ वर्षों में भारित पूंजी पर ५·१६ प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाता रहा है । इसलिये चार प्रतिशत की जो यह दर निश्चित की गई है वह कम ही है । रेलवे के विकास कार्यक्रम के लिये लगभग ८५ करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी, जैसा कि प्रतिवेदन में बताया गया है । यह कहा जा चुका है कि यह राशि सामान्य राजस्व द्वारा रेलवे को ऋण के रूप में दी जा सकेगी जिसके लिये रेलवे को केवल ब्याज अदा करना पड़ेगा । और भी जो रियायतें दी जा सकती थीं वह रेलवे को दी गई हैं । इसलिये मैं सभा से सिफ़ारिश करता हूं कि वह समिति की सिफ़ारिशों को स्वीकार कर ले ।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : यह तो मैं बराबर अनुभव कर रहा था कि यदि मैं दूसरे पक्ष में होता तो इस बात पर ज़ोर देता कि रेलवे के विकास के लिये उसे कुछ और रियायतें दी जानी चाहियें, परन्तु जहां तक अभिसमय समिति की नियुक्ति का प्रश्न है यह १९४९ के अभिसमय के आशय के अनुसार नियुक्त की गई थी । उक्त संकल्प में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह एक संसदीय समिति होगी । व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार है कि सामान्य राजस्व को दिये जाने वाले लाभांश की दर को निर्धारित करने के लिये किसी विशेषज्ञ समिति को नियुक्त करना आवश्यक नहीं है । रेलवे के कार्य-संचालन पर व्यापक रूप से विचार करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति अधिक लाभदायक हो सकती है, परन्तु प्रत्येक पांच साल बाद ऐसी समितियां नियुक्त करना वांछनीय नहीं होगा, क्योंकि ऐसी समितियों को रेलवे प्रशासन के संचालन पर विचार करने में ही एक वर्ष लग जाता है और उसके बाद ही वह कोई लाभदायक सुझाव दे सकेंगे यह भी सन्देह का विषय है । इस प्रकार हम उस आत्मविश्वास को खो देंगे जो इतने बड़े उपक्रम को चलाने के लिये आवश्यक है । इस प्रकार की एक विशेषज्ञ समिति १९४७ में नियुक्त की गई थी और उसने एक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया था । उस समिति के सभापति डा० हृदयनाथ कुंजरू थे । उस समिति में भी ऐसी एक समिति के नियुक्त किये जाने का प्रश्न उठाया गया था । मेरा विचार है कि तत्काल ही ऐसी समिति नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है । बहुत से महत्वपूर्ण

विषयों के सम्बन्ध में हमने रेलवे के कार्य-संचालन सम्बन्धी प्रतिवेदन मांगे हैं जो अभी प्राप्त नहीं हुए हैं परन्तु शीघ्र ही प्राप्त होने वाले हैं। इन प्रतिवेदनों को देखने के बाद ही इस सम्बन्ध में कोइ निश्चय किया जाना चाहिये।

मुझे आश्चर्य है कि समिति की आलोचना इसलिये की जा रही है कि उसने अपना कार्य शीघ्रता के साथ समाप्त कर दिया है। किसी भी सदस्य के लिये यह संकेत करना बहुत अनुचित है कि जिन बातों पर एक संसदीय समिति की राय मांगी गई है वह यद्यपि इतनी महत्वपूर्ण है फिर भी उस समिति ने परिणाम निकालने में जल्दबाजी से काम लिया है। सभा अपने ही द्वारा नियुक्त की गयी एक समिति की जो इसी सभा के सदस्यों से बनी है भर्त्सना कर रही है। उस समिति में काम करने वाले सभी व्यक्तियों ने अपना उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से अनुभव किया। समिति की अनेकों बैठकें करने की कोई विशेष आवश्यकता न थी। इस बात की कोई आवश्यकता न थी कि बिना किसी काम के ही सदस्य घण्टों भर बैठकें करते रहते। अतः यह संकेत करना बिल्कुल ग़लत है, कि समिति ने प्रस्तुत मामले का केवल ऊपर ऊपर से थोड़ा सा अध्ययन किया है और तत्सम्बन्धी समस्याओं पर उचित गंभीर ध्यान नहीं दिया।

डा० जय सूर्य : क्या मैं कुछ जानकारी प्राप्त कर सकता हूं ? उनकी बैठक पहली अक्तूबर को हुई थी और उन्होंने कुछ जानकारी दिये जाने के लिये कहा था। वे फिर १२, १३ और १५ नवम्बर को एकत्रित हुए थे। उन्होंने, अपेक्षित जानकारी कब प्राप्त की थी ?

श्री एल० बी० शास्त्री : अपेक्षित जानकारी उन्हें दे दी गई थी—परन्तु, वह तिथि मैं नहीं बता सकता—लगभग दो या तीन सप्ताह हो चुके हैं। क्योंकि आंकड़े रेलवे बोर्ड के द्वारा दिये जाने थे—और सभवतः सदस्यों को स्मरण होगा, कि मैं ने यह घोषित किया था, कि मैं इस समिति का निर्माण, अपने आय-व्ययक भाषण में करूंगा—रेलवे बोर्ड इस समिति के लिए आवश्यक बातें एकत्रित कर रहा था।

श्री बी० के० दास : यह पत्र तो, समिति की प्रथम बैठक होने से पूर्व, पहली अक्तूबर से बहुत पहले ही, संभरित कर दिये गये थे।

डा० जय सूर्य : जी नहीं। पहली अक्तूबर को तो उन्होंने जानकारी दिये जाने के लिए कहा था।

श्री बी० के० दास : समिति का एक सदस्य होने के नाते मैं कह सकता हूं, कि बहुत सी जानकारी, प्रथम बैठक होने से पूर्व ही संभरित की जा चुकी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : १९२४ का पूर्व अभिसमय प्रतिवेदन तथा तत्सम्बन्धी पत्र, १९४९ के अभिसमय सम्बन्धी पत्र, प्रस्ताव तथा कतिपय अन्य पत्र, पहली अक्तूबर से पूर्व ही, समिति को भेज दिये गये थे। वे पहली अक्तूबर को एकत्रित हुए, और उन्होंने सोच विचार करने के लिए अनेकों अतिरिक्त बातों को भी सूत्रित किया। समिति की अगली बैठक नवम्बर के अन्त में हुई। इस बीच के समय में, उन्हें कुछेक अन्य ज्ञापनों का भी अध्ययन करना पड़ गया, और समिति के पास पूरे दो सप्ताह थे कि इसका अध्ययन करके किसी निर्णय पर पहुंचते।

डा० जय सूर्य : मैं तो केवल जानकारी चाहता था।

श्री सिंहासन सिंह : समिति १२ मई को नियुक्त की गयी थी। इसकी बैठकें १२, १३ और १५ नवम्बर को हुई थीं। उस समय से

[श्री सिंहासन सिंह]

अभी तक हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई कि समिति क्या क्या करती रही है।

श्री एल० बी० शास्त्री : तो इसका अर्थ यह है कि सभा का प्रत्येक सदस्य इस समिति में रखा जाय। संभवतः श्री सिंहासन सिंह तभी यह अनुभव कर सकते कि यह समिति कैसे काम करती है, यदि वे भी इस समिति में होते। उन्हें स्पष्ट रूप से यह बता दिया गया है कि पहली अक्तूबर से पूर्व ही, रेलवे बोर्ड ने सारा आवश्यक सामान, सभी विषयों पर ज्ञापन, सदस्यों को संभरित कर दिये थे। उनके पास, उन बातों के अध्ययन करने का पर्याप्त समय था, और फिर उनकी तीन बैठकें भी हुई थीं। समिति में श्री नम्बियार जैसे सदस्य तो हैं ही जोकि रेलवे बोर्ड के द्वारा दिखाई जाने वाली ज़रा सी भी कमी पर, अप्रसन्न हो जाने वाले हैं, परन्तु आश्चर्य तो मुझे कांग्रेस पार्टी के सदस्यों पर होता है कि जिन्हें सारी परिस्थिति का अच्छी प्रकार से ज्ञान है, वे ही इस प्रकार से आलोचना कर रहे हैं।

सदस्यों को दूसरी यह बात अनुभव करनी चाहिए कि इस समिति को अपने निर्देश के निबन्धनों की सीमा के अन्दर ही काम करना पड़ा था। इस समिति से यह आशा नहीं की गयी थी कि वह रेलवे प्रशासन के प्रत्येक पहलू पर सोच विचार करे। अधिक समय नहीं है नहीं तो मैं निर्देश पद पढ़ कर सुनाता, और संभवतः माननीय सदस्य अच्छी प्रकार से अनुभव कर सकते कि क्या वे निर्धारित अवधि के अन्दर अपना काम समाप्त कर सकते थे या नहीं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मुख्य रूप से जिस बात का निर्णय करना था वह यह थी कि सामान्य राजस्वों को दिये जाने वाले लाभांश की दर क्या हो। समिति ने बड़े ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन किया है और तब वे कुछेक निर्णयों पर पहुंचे हैं। लाभांश की दर निश्चित करने के बारे में प्रमुख हाथ वित्त मंत्री का था। जिस प्रकार से मैं चाहता था वैसे उन्हें मानने के लिए बाध्य न कर सका। तथापि मैं वास्तव में उनका धन्यवाद करता हूं कि जहां तक वे कर सके उन्होंने हमारी आर्थिक सहायता करने का पूरा प्रयत्न किया है।

समिति के मुख्य मुख्य निर्णय, जो रेलों को उनके और अधिक विस्तार के कार्य में तथा उनके अन्य कार्यों को कार्यान्वित करने में सहायता देंगे उन्हें मैं संक्षेप में गिन कर बताऊंगा : इसमें तीन मुख्य बातें हैं। प्रथम यह कि रेलवे विभाग पूंजी के अतिनियोजन पर, उसी दर से लाभांश देगा, जिस औसतन दर से वाणिज्यिक विभागों से ब्याज लिया जाता है।

दूसरी बात यह है कि नयी लाइनों पर लगी हुई पूंजी पर लाभांश की दर कुछ कम होगी अर्थात् नयी लाइनों पर लगाये गये मूलधन पर दिये जाने वाले लाभांश के सम्बन्ध में जब तक वह लाइन बन रही है तथा उसके यातायात के खुल जाने के पांचवें वर्ष के अंत तक, वाणिज्यिक विभागों से लिये जाने वाले ब्याज की औसत दर तथा विलम्ब-काल दिया जाना चाहिए। और छटे वर्ष के उपरान्त, नई लाइनों से आने वाली शुद्ध आय में से प्रचलित लाभांश के अतिरिक्त विलम्बित राशि भी चुकानी पड़ेगी।

तीसरी बात यह है कि विकास निधि अलाभप्रद सुधारवादी कार्यों, जिन पर ३ लाख से अधिक लागत आयेगी, के सम्पूर्ण खर्चे को चलाने के लिए प्रयुक्त होगी। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बनाये जाने वाले क्वार्टरों का खर्च भी इसी निधि में से निकलेगा, और आवश्यकतानुसार वित्त

मंत्रालय हमारी विकास निधि को स्थिर रखने के लिए ऋण देता रहेगा, और इन ऋणों पर दिया जाने वाला ब्याज, निस्सन्देह नियमित चालू मूलधन पर दिये जाने वाले लाभांश की अपेक्षा कम होगा ।

बात यह है कि ये प्रस्थापनाएं और अधिक पूंजी प्राप्त करने में सहायता करेंगी, जिसकी आवश्यकता के विषय में १९४९ की अभिसमय समिति ने भी स्पष्टतया सुझाव दिया था । मैं इन प्रस्थापनाओं का समर्थन करता हूं क्योंकि मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि इनमें से कुछेक प्रस्थापनाएं हमें अपने ध्येय की ओर ले जायेंगी ।

श्री तुलसीदास ने कई बातें कही हैं, परन्तु समयाभाव के कारण मैं उन सभी पर प्रकाश नहीं डाल सकता । जहां तक उनके समवरुद्ध पूंजी आदि से सम्बन्ध रखने वाले सुझावों का सम्बन्ध है, वे सभी के सभी समिति द्वारा विस्तृत चर्चा के पश्चात् अस्वीकृत कर दिये गये थे । अतः मैं उनके विषय में और अधिक कुछ नहीं कहूंगा ।

उन्होंने यह कहा है, कि रेलवे का लेखा उचित वाणिज्यिक ढंग से नहीं रखा जाता, और यह कि सम्पूर्ण पूंजी का खर्चा, लगाई गई पूंजी के नाम डाल दिया जाता है, भले ही उस पर कुछ भी आय न हो, परन्तु उनका यह कथन ठीक नहीं है । रेलवे की लेखा-प्रणाली यथासाध्य पूर्ण है । और उसका वित्तीय ढांचा समय समय पर सुधारा गया है, ताकि उपक्रम की पूंजी के अतिनियोजन को रोका जा सके । अतः १९४६ से, जब कि सुधार निधि स्थापित की गयी थी और विशेषतः १९४९ से, जब कि विकास निधि स्थापित की गयी थी, पूंजी प्रकार का अलाभप्रद व्यय पूंजी के खाते में नहीं डाला गया है ।

उन्होंने यह भी कहा है कि अवक्षयण निधि के लिए अंशदान ३५ करोड़ रुपया प्रति वर्ष, जैसा कि समिति ने सिफ़ारिश की है, के स्थान पर ४२ से ४५ करोड़ रुपया प्रति वर्ष होना चाहिए ।

उन्हें याद होगा कि उनकी यह प्रस्थापना समिति द्वारा स्वीकृत नहीं की गयी थी । परन्तु मेरा अनुमान है कि उनका विचार यह था कि अवक्षयण लगाये गये मूलधन के लगभग पांच प्रतिशत की औसत पर गिना जाय । युद्ध-पूर्व वर्षों में, जब रेलवे की आस्तियों के अवक्षयण की दर को निर्धारित करने का प्रयत्न किया गया था, तो औसत दर, लगाये गई पूंजी का १/६० वां भाग निर्धारित किया गया था । तो वास्तव में यह दर १·७ प्रतिशत बना । मुझे विश्वास है, कि श्री तुलसीदास इस बात से सहमत होंगे कि इस आधार पर, समिति द्वारा प्रस्थापित पांच करोड़ की वृद्धि बिल्कुल उपयुक्त होगी ।

श्री तुलसी दास के इस सन्देह के विषय में, कि आगामी पांच वर्षों में एक ऐसी स्थिति आ सकती है, जब कि किराये और भाड़े बढ़ा देने पड़ें, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तो, केवल उस आकस्मिक घटना को रोकने के लिए है, जिसके बारे में अभिसमय समिति ने सिफ़ारिश की है कि जब कोई अतिरिक्त धन प्राप्य न हो, तो सामान्य वित्त, विकास कार्यों के लिए ऋण प्रदान करे । यदि किराये और भाड़े की दर के परिवर्तन का प्रश्न उठा भी तो, केवल उसी स्थिति में उठेगा जब कि रेलवे की सारी आय, रेलवे के बढ़ते हुए खर्चों को वहन न कर सकेगी । इसके विषय में इस समय स्पष्टतया कोई विश्वास नहीं दिलाया जा सकता ।

डा० लंका सुन्दरम् ने, इस सिद्धान्त पर कि सारे देश में प्रत्येक स्थान पर किसी भी उद्योग की एक जैसी ही दर हो, यह कहा है कि रेल-भाड़ों का वैज्ञानीकरण होना चाहिए । यदि उनका यह विचार है कि किसी भी

[श्री एल० बी० शास्त्री]

वस्तु का भाड़ा, सारे देश में एक जैसा ही हो, यद्यपि आधार यह होना चाहिये कि भाड़ा स्थान की दूरी के अनुसार बढ़ता जाये—तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आजकल हमने भाड़े के बारे में बिल्कुल यही आधार अपनाया है। यद्यपि सामान्य आधार तो यही है, तथापि कुछेक स्थितियों में, उचित वाणिज्यिक कारणों के आधार पर, या जहां अनुचित अधिमान तथा भाड़ों की आधारभूत अनुचितता के सम्बन्ध में अनुविहित उपबन्धों का उल्लंघन किये बिना, विशेष दरें निर्धारित की जा सकती हों, वहां स्टेशनों के अनुसार विशेष दरों का प्रस्ताव भी किया जाता है। जहां तक मुझे ज्ञात है, अन्य देशों में भी लगभग यही आधार अपनाया जाता है।

डा० लंका सुन्दरम् ने इस सम्बन्ध में, आसनसोल से बम्बई, बड़ौदा, तथा अहमदाबाद तक कोयले के परिवहन की कुछेक दरों और स्थान-अन्तरों के विषय में कहा है। जहां तक मैं समझ सका हूं, वह यह कहना चाहते हैं कि बम्बई जैसे एक दूरस्थ स्थान का किराया, बड़ौदा तथा अहमदाबाद के किराये से कम है। माननीय सदस्य द्वारा दर्शायी गयी स्थिति वास्तव में ठीक नहीं है। दर तथा मीलों में दूरी निम्न प्रकार है :

	मील	दर प्रति टन
आसनसोल से बम्बई तक कोयले की दर	१२१८	२०-७-०
आसनसोल से बड़ौदा तक कोयले की दर	११९२	२०-३-०
आसनसोल से अहमदाबाद तक कोयले की दर	११९७	२०-३-०

वास्तव में लम्बी दूरी के लिए दर ऊंची है।

श्री एच० एन० मुकर्जी ने बहुत सी बातें कही हैं। उन्होंने प्रथम बात यह कही है कि लाभांश का कोई निश्चित दर नहीं होना चाहिए और यह कि यह दर रेलवे अतिरिक्त धन तथा रेलवे निधियों को स्थिर रखने के लिए धन की आवश्यकताओं के परिमाण के अनुसार बदलती रहे। उनकी यह प्रस्थापना है कि हमें चार प्रतिशत की दर को सदा के लिए निश्चित नहीं कर देना चाहिए। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि रेलवे वित्त को सामान्य वित्त से अलग करने का उद्देश्य यह था कि सामान्य वित्त को, रेलवे वित्त के निगमन के कारण होने वाले उतार-चढ़ावों से बचाया जा सके। अतः गत अभिसमय समिति में यह निर्णय किया गया था, और इस समिति ने इस बात का समर्थन किया था कि एक निश्चित लाभांश सामान्य वित्तों तथा रेलवे वित्तों दोनों के लिए ही सहायक सिद्ध होगा।

उन्होंने दूसरी बात यह कही थी, कि दिया जाने वाला अंशदान ऐसा न हो कि रेलवे का विकास निधियों के लिए बाधक सिद्ध हो। इस विषय में उन्होंने इस दुविधा की ओर संकेत किया कि एक ओर तो पंच वर्षीय योजना के लिये सामान्य राजस्व में अधिक निधि की आवश्यकता है और दूसरी ओर रेलों के विस्तार के लिये अधिक धन चाहिये। श्री एच० एन० मुकर्जी ने इस दुविधा को बनावटी बताया है परन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है। रेलवे विभाग और सामान्य राजस्व की साक्षेप आवश्यकताओं में संतुलन रखना आवश्यक है और समिति का प्रतिवेदन यही करना चाहता है। इस विषय में हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि रेलों का विकास द्वितीय पंच वर्षीय योजना का ही अंग है और योजना को कार्यान्वित करने से जो उन्नति होगी उस से रेलवे विभाग को भी लाभ होगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी ने यह भी कहा और दूसरे सदस्यों ने भी इस बारे में संशोधन प्रस्तुत किये हैं कि यात्रियों को सुविधायें देने पर व्यय करने के लिये अधिक निधि दी जाये और यह भी आश्वासन दिलाया जाये कि बचाव के साधनों की किसी प्रकार भी अवहेलना नहीं की जायेगी । मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूं कि रेल परिवहन का प्रयोग करने वालों और रेलवे के श्रमिकों को सुविधायें देने के बारे में मैं सदा ध्यान रखता हूं । परन्तु यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हमारे संसाधन सीमित हैं । सापेक्ष प्राथमिकताओं के निर्धारण के आधार पर बांट की जाती है । बचाव साधनों की व्यवस्था करने के विषय में अपने उत्तरदायित्व को रेलवे मंत्रालय भी समझता है और निधि की बांट करते समय इन्हें अधिकतम प्राथमिकता दी जायेगी ।

श्री एच० एन० मुकर्जी ने यह भी पूछा है कि तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये बनाये गये क्वार्टरों का व्यय विकास निधि में से क्यों लिया गया जब कि रेल इंजिनों जैसी बेजान वस्तुओं और उनके लिये बनाये गये स्थान पर पूंजी में से व्यय किया गया था । श्री एच० एन० मुकर्जी बात को ठीक प्रकार समझ नहीं सके हैं । हम श्रेणी ४ के कर्मचारियों के क्वार्टरों पर पहले ही विकास निधि में से व्यय कर रहे हैं और मेरी राय है कि ऐसी व्यवस्था करना श्रेणी ३ के कर्मचारियों के लिये हितकर होगा क्योंकि यदि हम विकास निधि में से निधि की व्यवस्था करें तो अधिक संख्या में क्वार्टर बनाना सम्भव हो सकेगा ।

श्री एच० एन० मुकर्जी यह निश्चित आश्वासन चाहते थे कि किराये और भाड़े नहीं बढ़ाये जायेंगे । इस प्रकार का आश्वासन देना मेरे लिये सम्भव नहीं है । परन्तु मैं यह बात दोहरा देना चाहता हूं कि इस पर सहमति दे दी गई है कि यदि आवश्यक समझा गया तो विकास निधि की सहायता के लिये सामान्य वित्त में से ऋण प्राप्त किया जायेगा और सामान्य वृद्धि का प्रश्न तभी उत्पन्न होगा जब रेलवे विभाग की सामान्य स्थिति देखते हुए ऐसा करना आवश्यक होगा । मेरी इच्छा तो यही है कि तीसरी श्रेणी के यात्रियों पर अधिक बोझ न डाला जाये परन्तु उन लोगों के लिये यह नहीं कहा जा सकता जो उच्च श्रेणियों और शीतोष्ण नियंत्रित डिब्बों में सफ़र करते हैं । परन्तु मुझे डर है कि श्री मुकर्जी उन पर भी बोझ नहीं डालना चाहते । श्री मुकर्जी ने मध्यम, द्वितीय और शीतोष्ण-नियंत्रित श्रेणियों में कोई भेद नहीं रखा है । सभी को एक ही श्रेणी में रखा गया है क्योंकि उन्होंने कहा है कि कोई किराया नहीं बढ़ाना चाहिये ।

भाड़ों के बारे में भी मैं निश्चित आश्वासन नहीं दे सकता कि वे नहीं बढ़ाये जायेंगे । हमें इस विषय की पड़ताल करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये । यदि रेलवे बोर्ड भाड़े घटाना आवश्यक समझे तो वह ऐसा करेगा परन्तु यदि वह इन्हें बढ़ाना आवश्यक समझे तो उसे इसकी भी स्वतन्त्रता होनी चाहिये ।

श्री विभूति मिश्र (सारन व चम्पारन) : जब १६ रु० मन से ५ और ६ रु० मन गल्ले का भाव आ गया है और उसका दाम बराबर गिर रहा है तो रेल का भाड़ा भी घटना चाहिये ।

श्री एल० बी० शास्त्री : श्री मुकर्जी ने कुछ अन्य बातें भी कही हैं अर्थात् यह कि रेलवे विभाग को देश के बेकार इंजिनीयरिंग सामर्थ्य को प्रयोग में लाकर परिवहन उद्योग का विकास करना चाहिये, सामान का आयात घटाना चाहिये, ईंधन का बिल कम करना चाहिये, सामान का अवशेष घटा कर बचत करनी चाहिये, और बिजली से चलने वाली रेलों की व्यवस्था करनी चाहिये ।

[श्री एल० बी० शास्त्री]

इन सब के बारे में मैं यह कहूंगा कि इनका पृथक्ककरण अभिसमय से अधिक सम्बन्ध नहीं है। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि रेलवे विभाग विदेशों से सामान मंगवाने से पहले इस बात का ध्यान रखता है कि देशीय सामर्थ्य को अधिक से अधिक काम में लाया जाये। ईंधन की बचत के बारे में लगातार विचार किया जा रहा है और इस प्रयोजन के लिये एक मशीनरी स्थापित की गई है। आधुनिकीकरण की आवश्यकता रेलवे विभाग भी अनुभव करता है।

श्री विद्यालंकार ने यह जानना चाहा है कि क्या समिति की सिफ़ारिश सं० ८ का अभिप्राय श्रेणी ३ के कर्मचारियों के क्वार्टरों का किराया बढ़ाना है। समिति ने केवल लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में पता लगाई गई बातों की ओर निर्देश किया है जिन्हें रेलवे विभाग अभी पूरा नहीं कर सका है। और यदि भविष्य में भी उन्हें पूरा कर दिया जाये तो यह बड़े आश्चर्य की बात होगी। इस मामले का अभिसमय सम्बन्धी चर्चा से विशेष सम्बन्ध नहीं है और सभा को विदित है कि किराया वसूल करने में रेलवे विभाग उस नीति का अनुसरण करता है जो भारत सरकार ने अपने कर्मचारिवृन्द के लिये निश्चित कर रखी है। उन्होंने और श्री राघवाचारी ने भी यह कहा है कि लाभप्रदता के स्तर को ४·२५ प्रतिशत से बढ़ा कर ५ प्रतिशत करने से रेलों के विकास में रुकावट पैदा होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : बड़े आश्चर्य की बात है कि जिन लोगों ने यह सब बातें कही थीं उनमें से कोई भी उपस्थित नहीं है....

श्री एल० बी० शास्त्री : इस लिये मैं उन बातों का उत्तर नहीं दूंगा। परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि लाभप्रदता के स्तर को ऊंचा उठाने से रेलवे विभाग की आर्थिक स्थिति मज़बूत हो जायेगी। इस से विकास में रुकावट नहीं पड़ेगी क्योंकि आस्तियों पर व्यय, जिस से उचित आय नहीं होती परन्तु फिर भी उसे बनाना वांछनीय होता है, विकास निधि से निकालना पड़ेगा।

सब से अन्त में श्री वी० बी० गांधी द्वारा उठाये गये प्रश्न के बारे में, कि अगली समिति को इस बात की जांच करनी पड़ेगी कि क्या सामान्य वित्त की आवश्यकताओं को सर्वाधिक ध्यान दिया जायेगा और क्या रेलवे विभाग को वाणिज्यिक उपक्रम समझा जायेगा अथवा सार्वजनिक उपयोगिता का उपक्रम, जहां तक इस अभिसमय समिति का सम्बन्ध है पृथकीकरण अभिसमय का सारा आधार इस बात पर है कि रेलें चलाने में अधिकतम स्वतन्त्रता दी जाये और यह तभी हो सकता है जब सामान्य वित्त के लिये उचित परन्तु निश्चित आय का आश्वासन दिया जाये। इसका यह अर्थ नहीं कि सामान्य वित्त की आवश्यकताओं की ओर सर्वाधिक ध्यान दिया जायेगा। जैसे कि स्वयं श्री वी० बी० गांधी ने कहा है सार्वजनिक उपयोगिता के उपक्रम को भी आयकर देना पड़ता है। इसलिये इसमें सन्देह नहीं है कि रेलवे विभाग को चाहे किसी भी वर्ग में रखा जाये उन्हें सामान्य वित्त में उचित अंशदान देना चाहिये। इस अंशदान के लिये अभिसमय समिति ने एक सूत्र की सिफ़ारिश की है जो रेलों के विकास में अड़चन न बनते हुए सामान्य वित्त की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। आशा है कि सभा इस बात पर मुझ से सहमत होगी कि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करते समय, कोई ऐसा निश्चय करने से पूर्व जिसका सरकार के किसी विभाग पर प्रभाव पड़ता हो, देश के समस्त आर्थिक संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिये। रेलवे विभाग को हानि सहन करके भी यात्रियों को निम्नतम

सुविधायें देनी पड़ती हैं और सामान्य हित के लिये विकास तथा विस्तार करना पड़ता है परन्तु रेलवे विभाग का सामान्य राजस्व के प्रति भी कोई उत्तरदायित्व है जिसमें से पूंजी लगाई जाती है। अतः मैं सदा अनुभव करता हूं कि यदि रेलवे विभाग की हालत अच्छी हो तो उसे अपना उत्तर-दायित्व पूरा करने में संकोच नहीं करना चाहिये। मैं जानता हूं कि दूसरे देशों में रेलवे विभाग घाटे पर भी चल रहे हैं परन्तु हमें अपनी हालत को देखत हुए रेलवे विभाग को स्वस्थ आर्थिक आधारों पर चलाने का प्रयत्न करना चाहिये और जहां तक सम्भव हो उन्हें लाभप्रद बनाने की चेष्टा करनी चाहिये ताकि इससे न केवल सामान्य वित्त बल्कि स्वयं रेलवे विभाग की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिल सके।

मैं पहले ही कह चुका हुं कि मुझे उन सदस्यों से सहानुभूति है जो कहते हैं कि सुविधाओं पर व्यय करने के लिये अधिक राशि की व्यवस्था की जाये। अगले पंच वर्षीय योजना काल में हम १५ करोड़ रुपया व्यय करेंगे। आशा है कि तब तक हम यात्रियों की मुख्य आवश्यकतायें पूरी कर देंगे। मैं यह बात स्पष्ट कर दूं कि यात्रियों की सुविधाओं और सामान के शैडों इत्यादि के लिये निधि की व्यवस्था की जायेगी परन्तु स्वाभाविक है कि अधिकतर धन यात्रियों की सुविधाओं देने पर व्यय होगा।

मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि नवीन निर्माण का कार्य सबसे अधिक महत्व रखता है और हमें इसके लिये अधिक से अधिक धन एकत्र करने का यत्न करना चाहिये। इसलिये हमें सुविधाओं की योजनाओं और कार्यक्रम अपनी जरूरी आवश्यकताओं को देख कर बनाने पड़ेंगे। अतः मैं सुझाव देता हूं कि अब तक सुविधाओं इत्यादि के लिये जो राशि दी गई है उसे अपर्याप्त न समझा जाये और फिर यदि रेलवे मंत्रालय आवश्यक समझे तो इस बारे में हेर फेर कर सकता है।

मैं रेलों के विकास तथा विस्तार की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से अनुभव करता हूं और मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमें प्रगति करनी है और हम अवश्य करेंगे। श्रीमान्, अन्त में मैं आपका, यहां उपाध्यक्ष के रूप में सभापतित्व के लिये नहीं बल्कि समिति के सभापति के रूप में कार्य करने के लिये, और समिति के दूसरे सदस्यों का, ऐसा महत्वपूर्ण प्रतिवेदन तैयार करने और उसे निश्चित समय में प्रस्तुत करने के लिये धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मूल संकल्प पर संशोधन सं० १, ३ और ४ सभा के समक्ष मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व को अभी दिये जाने वाले लाभाश की दर का तथा सामान्य वित्त से रेलवे वित्त को पृथक् करने से सम्बन्धित अन्य विषयों का पुनरीक्षण करने के लिय नियुक्त की गई समिति के उस को प्रतिवेदन में, जो ३०-११-५४ संसद् में प्रस्तुत किया गया था, समाविष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अनुपूरक मांगों के प्रश्न को लेगी। बहुत से कटौती

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत की गई।

[उपाध्यक्ष महोदय]

प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। केवल नई सेवाओं को छोड़ कर अन्य मामलों में नीति सम्बन्धी प्रश्नों की अनुमति नहीं दी जायगी। कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में विशेष सेवा, विशेष मामला और विशेष शिकायत को बता कर कटौती की निश्चित राशि भी बतानी पड़ेगी।

मैं ने देखा है कि अधिकतर कटौती प्रस्ताव नियम विरुद्ध है। अब हमें सभा का मत लेना है कि हम किस प्रक्रिया का अनुसरण करें। जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्तावों की पूर्व सूचना दी है वे पटल के पास बैठे पदाधिकारी को अपने कटौती प्रस्ताव की संख्या बतायें। तब वे प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मैं बता चुका हूं कि अतिरिक्त मांग १७ करोड़ रुपये की है जिसमें तीन चार करोड़ रुपया राजस्व से और शेष पूंजी खाते से है। अतः कोई भी माननीय सदस्य सभी मांगों और कटौती प्रस्तावों के बारे में बोल सकता है।

श्री दामोदर मेनन (कोजिकोड) : यह मांगें अलग अलग मंत्रालयों से सम्बन्धित हैं अतः सम्बन्धित मंत्रियों को यहां उपस्थित रहना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : वे उपस्थित रहेंगे। माननीय सदस्य सब मांगों को इकट्ठा ले कर बोल सकते हैं। सब माननीय मंत्री भी उपस्थित रहने की कृपा करें या वे आपस में तय कर के एक दूसरे के बाद उत्तर दे सकते हैं। अब मैं सब मांगें सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
		रुपये
२	उद्योग	१,००,०००
२क	भारत में फ़्रांसीसी बस्तियां	६१,६३,०००
२९	राज्यों को सहायतार्थ अनुदान	३२,००,०००
४३	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय	१,००,०००
५९	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	१,०००
६१	सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय	४,५०,०००
६३	बहुमुखी नदी योजनायें	३०,००,०००
६४	विविध विभाग और सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय के अधीन व्यय	६,८४,०००
८५	पुनर्वास मंत्रालय	१,११,०००
८६	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	८२,४२,०००
१००	संचार (राष्ट्रीय राजपथ सहित)	३६,००,०००
१२४	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	११,३९,७३,०००
१३३	पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय	५,००,००,०००

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : मैं एक दो महत्वपूर्ण मांगों पर बोलने का प्रयत्न करूंगी। जैसा कि आप ने कहा है फ़्रांसीसी बस्तियों के ले लेने के लिये जो मांग की गई है, वह सब से अधिक महत्वपूर्ण है। हमें विशेष रूप से चुनाव, न्याय का प्रशासन और पुलिस के लिए अनुदान देने के लिए कहा गया है। यद्यपि पांडीचेरी को ले लिया

गया है, तथापि इस का देश के साथ पूर्ण रूप से एकीकरण नहीं हुआ। वास्तव में वहां कछ ऐसी बातें हो रही हैं जो कि प्रजातंत्र के विरुद्ध हैं। मैं एक उदाहरण देती हूं। हमें चुनावों के लिए २५,००० रुपये का अनुदान देने के लिए कहा गया है किन्तु अब तक वहां कोई चुनाव नही हुए, क्योंकि सामान्यतया वही नगरपालिकायें जो कि फ्रांसीसी प्रशासन द्वारा जाते समय नियुक्त की गई थीं काम कर रही हैं। उस में केवल एक दो और सदस्य मुख्यायुक्त द्वारा मनोनीत कर दिये गये है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

इन नगरपालिकाओं में वही लोग हैं जिन्होंने फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों का साथ दिया था और फ्रांसीसी बस्तियों में स्वतंत्रता आन्दोलन करने वालों का दमन किया था। इन लोगों की अवधि अक्तूबर, १९५४ में समाप्त होनी थी किन्तु ये अब भी काम कर रहे हैं। इन में से कई सदस्यों ने सरकारी रुपया गबन किया है। पांडीचेरी में वयस्क मताधिकार पर कोई नया चुनाव नहीं हुआ और न ही सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि छः मास के अन्दर या निकट भविष्य में इस प्रकार के चुनाव किये जायेंगे।

इसके अतिरिक्त यह बात भी बहुत फली हुई है कि पुराने ढंग की राज्यपाल परिषद् को मंत्रणा परिषद् के नाम से फिर चालू किया जाना है। इसके सम्बन्ध में विभिन्न अन्य दलों ने अभ्यावेदन किया है कि इस का एक दलीय परिषद् बन जाने का डर है। अतः इस मांग की मंजूरी देने से पहले हमें यह मांग करनी है कि चुनाव शीघ्र से शीघ्र किये जायें।

दूसरी बात पांडीचेरी की पुलिस के बारे में है। आप को मालूम है कि फ्रांसीसियों ने पुलिस और गुन्डों की सहायता से ही स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने का प्रयतन किया था और इसी पुलिस ने ही हर प्रकार की समाजविरोधी कार्यवाहियों से लोगों का दमन किया था। आज हम से कहा जा रहा है कि इसके लिए अनुदान किया जाये। हम सब पहले यह पूछना चाहते हैं कि पुलिस की जांच करने के लिए सरकार ने क्या किया है। क्या हमें उस पुलिस के लिए धन देने के लिए कहा जा रहा है जिसने फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों का साथ दिया और देशभक्त लोगों पर आक्रमण किये? उनके कुछ पदाधिकारियों और सिपाहियों को तो भ्रष्टाचार और अत्याचार करने के अपराध में तत्काल पदच्युत कर देना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि क्या इस पुलिस बल का पुनर्गठन किया गया है; क्या इसको स्वतंत्रता क बाद भी पांडीचेरी के लोगों का दमन करने दिया जायेगा? क्या उन लोगों को निकाल बाहर नहीं किया जायेगा जिन्होंने राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियां की थी और जो फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों के साथ मिले हुए थे?

मैं पाडीचेरी के सामान्य प्रशासन का भी उल्लेख करना चाहती हूं। हमें जानकारी प्राप्त हुई हे कि मुख्यायुक्त के आदेश के अनुसार अब भी आम सभाओं पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है, यद्यपि वहां पूर्णरूप से शान्ति है हम पांडीचेरी को एक पिछड़ा हुआ भाग ग राज्य नहीं बनाना चाहते, जिस परे सदा केन्द्र का नियन्त्रण रहे। पांडीचेरी के लोगों ने अपने पिछले कार्यो से यह सिद्ध कर दिया है कि वे स्वशासन के योग्य हैं और वास्तव में कई ब तों में वे भारत के अन्य भागों के लोगों से भी आगे हैं।

हमें जेलों और कैदियों की बस्तियों के लिए भी अनुदान देने के लिए कहा गया है। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में सैंकड़ों लोग जेलों में डाल दिये गये थे और राजनैतिक नेताओं पर झूठे अपराध लगा कर उन्हें दंड दिया गया था। सब लोग जानते हैं कि उन्हें उनकी

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

राजनीतिक कार्यवाहियों और विचारधाराओं के कारण दंड दिया गया था । कुछ लोग जिन्हें १९४७ में दंड दिया गया था, अब तक जैल में हैं और सैंकड़ों राजनैतिक नेताओं के विरुद्ध विभिन्न अपराधों के मुकदमे अभी विचाराधीन हैं क्या हमें इन जेलों और कैदी बस्तियों को जारी रखने के लिये अनुदान देने के लिये कहा जाता है, ताकि ये लोग जेलों में बन्द रहें ? हमें पहले इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर मिलना चाहिये ।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम्) : मैं एक ऐसी मांग के सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं जिसका मेरे राज्य की अर्थव्यवस्था से गहरा सम्बन्ध है । यह मांग संख्या २ है, जो कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन आती है । इस मांग के साथ जो नोट संलग्न है, उसमें कहा गया है कि बहुत सी वस्तुओं के निर्यात व्यापार में कमी हो जाने के कारण, निर्यात परिषदें स्थापित करने का विचार है और ये परिषदें तम्बाकू, लाख, काली मिर्च, काजू, अभ्रक, प्लास्टिक आदि के लिये स्थापित की जायगी । मैं अपना भाषण केवल दो वस्तुओं अर्थात् काली मिर्च और काजू तक सीमित रखना चाहता हूं । केन्द्रीय सरकार ने इन वस्तुओं की समस्याओं की जांच करने के लिये गरम मसाला जांच समिति नियुक्त की थी और इसने अक्टूबर, १९४९ में एक रिपोर्ट की थी । मुझे हर्ष है कि इसकी कुछ सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा रहा है । किन्तु इन दो वस्तुओं के सम्बन्ध में जो निर्यात परिषदें बनाई गई हैं, वे उस प्रकार की नहीं जिसकी गरम मसाला जांच समिति ने सिफारिश की थी । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या ये परिषदें उस समिति की सिफारिशों के बदले में या उनकी उपेक्षा करके बनाई गई हैं ? केन्द्रीय सरकार इन वस्तुओं के निर्यात को विकसित करने के मामले की उपेक्षा करती रही है और उसने सब कुछ परिस्थितियों पर छोड़ रखा है । १९५० में काली मिर्च के निर्यात से भारत को ३८० लाख डालर की आय हुई थी और निर्यात शुल्क से जितनी आय हुई थी, उसका एक तिहाई भाग काली मिर्च के निर्यात से मिला था । किन्तु काली मिर्च के निर्यात व्यापार में सुधार करते या इसमें स्थिरता लाने के लिए या विक्रेताओं और खरीदारों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिये एक पाई भी खर्च नहीं की गई । इस समय उस व्यक्ति के, जो उत्तर मलाबार या दक्षिण त्रावनकोर में काली मिर्च पैदा करता है और बम्बई के निर्यातक के बीच किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं । निर्यातक को मालूम भी नही होता कि काली मिर्च कहां पैदा होती है । किन्तु निर्यातक को उत्पादक की अपेक्षा १० से १५ गुना तक अधिक आय होती है । इस चीज़ को बन्द करने का तरीका यह है कि सब स्तरों पर---ग्राम स्तर, ज़िला स्तर और राज्य स्तर पर--- सहकारी विपणन शुरू किया जाये । सब से ऊपर एक राज्य व्यापार निगम होना चाहिये, ताकि मूल उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य मिल सकें । ऐसा करने से ही हमारी निर्यात की आय बढ़ेगी और उत्पादक संतुष्ट हो सकेंगे और निर्यात परिषदों के उद्देश्य भी प्राप्त हो सकेंगे । मुझे कुछ सुझाव देने हैं; जैसे कि काली मिर्च पर निर्यात शुल्क घटा दिया जाय । हमें अमेरिका की व्यापार संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करना चाहिये तथा नीलाम के लिये सुविधायें जुटा लेनी चाहियें ।

मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का ध्यान श्री टी० टी० कृष्णमाचारी के सुझाव की ओर आकर्षित करूंगा, जिसमें उन्होंने एक सुगन्धीकरण संयंत्र की स्थापना की सिफारिश की है । मसाला जांच समिति ने भी कई

सिफ़ारिशें की थीं । उन्होंने कृषि गवेषणा फसल के उचित अनुमान, मानकों की एक-रूपता तथा नये बाज़ार खोजन की आवश्यकता पर ज़ोर दिया था ।

अब मैं काजू के प्रश्न पर कुछ समय लूंगा । अमेरिका में ८२ प्रतिशत से ९४ प्रतिशत तक काजू का निर्यात होता है किन्तु कच्चे काजू के उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं प्राप्त होता है । बम्बई और कलकत्ता के आयातकर्ता काजू तैयार करने वाले स्थानीय मज़दूरों का शोषण करते हैं और ये तैयार करने वाले स्थानीय उत्पादकों का शोषण करते हैं । वास्तव में इस उद्योग की यह स्थिति है जो कि आन्तरिक तथा बाह्य दोनों ही खरीदारों के लिये हानिकर है । प्रमुख समस्या कच्चे माल के संभरण के सम्बन्ध में, स्वावलम्बन प्राप्त करने की है । इस वस्तु के महत्वपूर्ण उत्पादन-क्षेत्रों की भली भांति खोज होनी चाहिये ।

दूसरी स्थिति इन पदार्थों की बिक्री की है । इस सम्बन्ध में गांव, ज़िले तथा राज्य के स्तर पर पृथक् संगठन होने चाहियें । मसाला जांच समिति ने इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं तथा मुझे आशा है कि इन सिफारिशों पर गौर भी किया जायेगा । १९५२ में मैंने यह सुझाव दिया था कि एक मसाला बोर्ड बनाया जाय, जो अपना पूरा ध्यान मसालों की समस्या पर लगाये ।

मैं खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को इस बात पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस वर्ष उसने चीनी की समस्या को बड़े सुन्दर ढंग से सुलझाया है । मैं प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री गिडवानी (थाना) : सरकार ने निजी उद्योगपतियों को ऋण देने के सम्बन्ध में एक औद्योगिक सलाहकार नियुक्त किया है । इसके लिये बजट में ३ करोड रुपये की धन राशि रखी गई है जिसमें से इस वर्ष के दौरान ७५ लाख रुपये व्यय होने थे किन्तु ऋण की शर्तें पर्याप्त आकर्षक न होने के कारण किसी ने भी ऋण लेना स्वीकार नहीं किया । सरकार को चाहिये कि वह इन शर्तों को उदार बनाये तथा ऋण की वापसी की अवधि को सात वर्ष से बढ़ा कर बीस वर्ष कर दे ।

पहिले पांच वर्षों में कोई ब्याज न लिया जाय । बिजली भी सस्ती दरों पर उपलब्ध हो तथा मशीनें प्राप्त करने में भी उद्योगपतियों की सहायता की जाय । इन्हीं रियायतों से विस्थापित तथा अविस्थापित दोनों प्रकार के व्यक्तियों को उद्योग प्रारम्भ करने में सहायता मिलेगी ।

इसी अनुदान में ३१,००० रुपये का उपबन्ध सलाहकार के कार्यालय को कलकत्ता स्थानान्तरित करने के लिये रखा गया है । यदि कार्यालय वहां जा रहा है तो मैं सुझाव दूंगा कि उपमंत्री जी जो यहां रहेंगे उन्हें अधिक अधिकार प्रदान किये जायें क्योंकि अभी पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों की सभी समस्यायें हल नहीं हुई हैं ।

अब मैं मांग संख्या १३८ के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा । यह कहा गया है कि यह अतिरिक्त पूंजी, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में एक छप्पर तथा तालाब के निर्माण पर व्यय होगी । इस छप्पर की आवश्यकता एक हाथी के लिये होगी जो सभी उत्सवों में भाग लिया करेगा । कुल निर्माण-कार्य का व्यय २६,००० पया है । यद्यपि यह धनराशि बहुत छोटी है तथापि मुझे पुराने राजाओं तथा महाराजाओं का स्मरण हो आता है । इस प्रकार का हाथी रखना इसी बात का प्रतीक है कि हम नये राजाओं तथा महाराजाओं को जन्म दे रहे हैं । क्या यह राजसी वैभव ऐश्वर्य तथा आडम्बर का प्रतीक नहीं है ? क्या यह गांधी जी के सिद्धान्तों तथ कांग्रेस की प्रतिष्ठा के अनुकूल

[श्री गिडवानी]

है ? क्या यह उस समाजवादी राज्य के अनुरूप है जिसका ढिंढोरा हमारे प्रधान मंत्री रात-दिन पीटते रहते हैं ? जयपुर के अधिवेशन में कांग्रेस ने एक संकल्प पारित किया था कि अब से कांग्रेस का ध्येय वर्गविहीन तथा जातिविहीन समाज होगा ।

सभापति महोदय : जातिविहीन समाज का हाथियों से क्या सम्बन्ध है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मेरे विचार से हाथियों की कोई जाति नहीं होती । वे जातिविहीन होते हैं ।

श्री गिडवानी : कल मैंने पूछा था कि क्या सरकार, केन्द्रीय मंत्रणा परिषद् की सिफारिशों को कार्यान्वित कर रही है । उस समय शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हमारे पास धन नहीं है । किन्तु ऐसे कार्यों के लिये धन व्यय किया जाता है । मेरा निवेदन है कि यह न तो किसी प्रजातंत्र में होता है और न किसी समाजवादी राज्य में ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमान मैं एक वास्तविकता बता दूं । यहां कोई हाथी नहीं खरीद रहा है । सरकार ने ऐसा कभी विचार भी नहीं किया । यह आसाम सरकार की ओर से राष्ट्रपति को उपहार में मिला है । सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं हैं । क्योंकि यह एक उपहार है, इसलिये हम इसकी रक्षा के लिये एक छप्पर बना रहे हैं । कुछ भी हो, चिड़ियाघरों में भी तो हाथी रखे जाते हैं ।

श्री गिडवानी : किन्तु यह तो उत्सवों के अवसरों के लिये है । आप इसे चिड़िया घर में रख सकते हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं यह बतला दूं कि वास्तव में इसका सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है, यह आसाम राज्य का राष्ट्रपति के लिये उपहार है तथा हम इस उपहार को नहीं फेंक सकते । कितनी असभ्य बात होगी यदि इस उपहार को ठुकराया जाय । हम से, उसे रखने के लिये एक छप्पर बनाने को कहा गया है मैं नहीं जानता कि यह किस प्रकार अनुचित है ? माननीय सदस्य का तर्क बहुत अच्छा है । किन्तु मेरा आदरपूर्वक निवेदन है कि यह इस स्थिति पर लागू नहीं होता है ।

श्री गिडवानी : हाथी को चिड़ियाघर में भेजा जा सकता है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : यदि किसी राष्ट्र या देश द्वारा दिये गये उपहार की बात होती तो ऐसा किया भी जा सकता था । यह उपहार आसाम सरकार की ओर से मिला है । इस प्रकार हम कहां तक व्यय उठाते जायं ?

श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर): मैं मांग संख्या २—उद्योग—के सम्बन्ध में बोलूंगा । इसमें १ लाख रुपये की मांग की गई है । यह प्रस्ताव ६ निर्यात अभिवृद्धि परिषदों की स्थापना के सम्बन्ध में है । हाल के वर्षों में हमारा निर्यात व्यापार कठिन स्थिति में से गुज़र रहा है । यह व्यापार मूल्य तथा परिमाण दोनों में ही घट गया है । वर्ष १९५१–५२ तथा १९५३–५४ के बीच २०० करोड़ रूपये की कमी हुई है । इसके अलावा हमारी वस्तुओं की मांग में भी बहुत अन्तर पड़ा है ।

सर्वप्रथम, मैं काजू के निर्यात पर विचार करूंगा । १९५२–५३ में हम ने १२,९८,००,००० रुपये के काजू का निर्यात किया, जबकि वर्ष १९५३–५४ में यह निर्यात घट कर १०,९८,००,००० रुपयों का ही रहा ।

तम्बाकू के सम्बन्ध में भी स्थिति गंभीर है। वर्ष १९५२–५३ में १६,१४,००,००० रुपये का बिना तैयार किये हुए तम्बाकू का निर्यात किया गया जब कि १९५३–५४ में यही निर्यात घट कर १०,२२,००,००० का ही रह गया। १९५१–५२ में कुल ६,३९,००,००० रुपयों के तम्बाकू के उत्पाद का निर्यात हुआ किन्तु १९५३–५४ में यही घट कर १,०४,००,००० रुपयों का रह गया।

इसी प्रकार अभ्रक की स्थिति भी गंभीर है। वर्ष १९५१–५२ में उसके निर्यात की राशि १३,२१,००,००० रुपये थी जो १९५३–५४ में घटकर ७,९५,००,००० रुपये रह गई। यही दशा नक़ली रेशम के कपड़े और उससे बनी वस्तुओं की भी है।

हमें इस सम्बन्ध में केवल तमाशबीन नहीं बनना चाहिये बल्कि कुछ कार्यवाही करनी चाहिये।

अब समय आ गया है कि कुछ ठोस कार्यवाही की जाय और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की यह प्रस्थापना ऐसी ही एक ठोस कार्यवाही है। मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में आधुनिक रीति से बहुत काम आयोजित और कार्यान्वित किया जा रहा है किन्तु अभी जो कुछ प्रस्थापित किया जा रहा है वह केवल प्रारम्भ मात्र है। जिस प्रकार अन्य आधुनिक राष्ट्र अपना निर्यात-व्यापार बढ़ाते हैं उसी प्रकार अपना निर्यात-व्यापार बढ़ाने के लिए अभी बहुत कुछ करना शेष है। अतः मैं इस प्रस्थापना का स्वागत करता हूं।

अब मैं मांग संख्या १२४ के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। यहां चीनी के अतिरिक्त आयात के लिए ११,४०,००,००० रुपये मांगे गये हैं। इस मांग के परिशिष्ट में कहा गया है कि चालू वित्तीय वर्ष में कुल आयात चीनी ८·६२ लाख टन होगी और ६४,७३,००,००० रुपये उसका अनुमानित मूल्य होगा। इसका अर्थ यह है कि ११,४०,००,००० रुपये की इस मांग के साथ साथ चालू वर्ष में आयात की गई चीनी का मूल्य ६४,७३,००,००० रुपये होगा। आगे उस परिशिष्ट में बताया गया है कि उपर निर्देशित बिक्री-कीमतों के आधार पर ८·६२ लाख टन चीनी की बिक्री से कुल ७०,३५,००,००० रुपये प्राप्त होने का अनुमान किया जाता है। अतः आयात की गई चीनी का मूल्य ६४,७३,००,००० रुपये है और उसकी बिक्री से ७०,३५,००,००० रुपये प्राप्त होने का अनुमान है।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : दोनों का अन्तर मुनाफ़ा है।

श्री वी० बी० गांधी : मैं सभा को यही बताना चाहता हूं कि यह चीज़ लाभदायक नहीं है। वास्तव में हम जो कुछ कर रहे हैं वह यह है कि हम ६४,७३,००,००० रुपये आज भारत के लिए दुर्लभ विनिमय में फेंक रहे हैं और वह भी केवल इसलिए ताकि हम अपनी जनता को यह बता सकें कि वह जितनी चाहें उतनी चीनी ले सकती हैं। अतः मेरा यह निवेदन है कि भारत जैसे देश में जहां योजनाएं बनाई जा रही हैं और जिनकी सफलता के लिए संयम की आवश्यकता है, चीनी जैसी वस्तु के लिए मूल्यवान् और दुर्लभ विनिमय को नष्ट करना बिल्कुल गलत है। चीनी की थोड़ी कमी से किसी की मृत्यु नहीं हो जायेगी।

सभापति महोदय : मैं एक घोषणा करना चाहता हूं कि ३–३० म० प० पर मैं मांग संख्या २४क पर चर्चा आरम्भ करने की प्रस्थापना करता हूं और कोई अग्रेतर कार्य करने से पूर्व ही हम उसे समाप्त कर देंगे। वह फ्रांसीसी बस्तियों के सम्बन्ध में है। जहां तक इस विशिष्ट मांग का सम्बन्ध है

[सभापति महोदय]

मैं उसे तत्काल समाप्त कर दूंगा। सारी चर्चा समाप्त होने के बाद मैं उसे सभा के समक्ष मतदान के लिए रखूंगा। मैं इस मांग को पृथक् रखूंगा।

श्री दामोदर मेनन : मेरा पहला कटौती प्रस्ताव मांग संख्या २, दूसरा कटौती प्रस्ताव मांग संख्या ५९ और तीसरा कटौती प्रस्ताव मांग संख्या ६३ के सम्बन्ध में है।

मांग संख्या २ में सरकार द्वारा स्थापित की जाने वाली निर्यात वृद्धि परिषदों के सम्बन्ध में हम से अनुपूरक मांग देने के लिए कहा गया है। व्याख्यात्मक ज्ञापन के पृष्ठ २ पर छपी हुई संक्षिप्त टिप्पणी से मुझे ज्ञात हुआ है कि ये परिषदें भारतीय समवाय अधिनियम के अधीन स्थापित की जायेंगी और व्यापार तथा उद्योग के प्रतिनिधि इन समवायों में अंशधारी के रूप में भाग लेंगे। किन्तु इस संक्षिप्त टिप्पणी में यह बहुत कम विस्तार से बताया गया है कि ये परिषदें किस प्रकार संघटित की जायेंगी। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि भारतीय समवाय अधिनियम के अधीन स्थापित की जाने वाली ये परिषदें किस प्रकार कार्य करेंगी और संसद् को उस सम्बन्ध में क्या अधिकार प्राप्त होंगे।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : वे संसद् के अधीन हैं, सिवाये इसके कि वे भारतीय समवाय अधिनियम के अधीन सीमित समवायों के तौर पर पंजीबद्ध की जायेंगी।

श्री दामोदर मेनन : जब वे भारतीय समवाय अधिनियम के अधीन होंगी, तो क्या संसद् को इन निर्यात वृद्धि परिषदों की नीति निर्धारित करने और इन परिषदों की रचना के सम्बन्ध में कोई अधिकार प्राप्त होगा ? यदि सरकार यह चाहती है कि हमारा निर्यात व्यापार उचित रूप से बना रहे और राष्ट्र के सर्वोत्कृष्ट हित में संचालित हो, तो राज्य निर्यात-व्यापार को अपने हाथ में ले ले, विशेषकर उन वस्तुओं के व्यापार को जिनका उल्लेख यहां किया गया है।

मेरे माननीय मित्र श्री ए० एम० थामस ने बताया है कि काली मिर्च के मामले में निर्यातकर्ता किस प्रकार उत्पादकों का शोषण कर रहे हैं। निर्यात-व्यापार अधिकतर विदेशियों के हाथ में है। अभी हाल में काली मिर्च के मूल्य में हुए परिवर्तनों से उत्पादकों पर और न कि निर्यातकर्ताओं पर, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। जब भी मूल्य फसल के मौसम में गिरते हैं तो निर्यातकर्त्ता सस्ते दाम पर उसे खरीद लेते हैं और बहुत ऊंची दरों पर निर्यात करते हैं और गरीब उत्पादक को उस लाभ में से बहुत ही कम हिस्सा मिलता है। इस प्रकार की बात को बन्द करने के लिए सब से अच्छा तरीका यह है कि निर्यात-व्यापार को पूर्ण रूप से राज्य नियंत्रण के अधीन लाया जाय। सरकार ऐसा कोई पंजीबद्ध समवाय क्यों बनाये जिसके पूरे विस्तार हमें नहीं बताये गये हैं ?

इसी प्रकार काजू के सम्बन्ध में, जो मलाबार और त्रावनकोर-कोचीन में पैदा होता है, मेरे माननीय मित्र श्री वी० बी० गांधी पहले ही बता चुके हैं कि उसकी स्थिति भी बड़ी अनिश्चित है और हमें संभवतः ज़जीबार और अन्य स्थानों से, जहां वह पैदा किया जा रहा है, गहरी प्रतियोगिता का सामना करना पड़े। क्या इन सब कठिनाइयों का सामना हम इन परिषदों के निर्माण द्वारा करेंगे ? ये परिषदें पूर्णतः निजी निकाय हो सकते हैं और संभव है कि सरकार उनकी कार्यवाहियों पर वास्तव में बिना नियंत्रण रखे ही रुपया उन्हें दे दे।

अतः इन निकायों के विरुद्ध मेरी पहली आलोचना यह है कि सरकार स्वयंआगे आये

और निर्यात-व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का प्रयत्न करे और राज्य नियंत्रण के अधीन उस व्यापार को चलाये । इस प्रकार इन निर्यात-वृद्धि परिषदों की कोई आवश्यकता नहीं है ।

मेरे दूसरे कटौती प्रस्ताव का निर्देश मांग संख्या ५९ से है जो सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के सम्बन्ध में है । हमें संतोष है कि मंत्रालय अब बच्चों के लिए चलचित्र तैयार करने का प्रयत्न कर रहा है और चलचित्र जांच समिति की सिफ़ारिश के अनुसार चलचित्र विभाग बालकोपयोगी चलचित्र बनाने की प्रस्थापना कर रहा है । किन्तु यहां भी संक्षिप्त टिप्पणी में कहा गया है कि ऐसे चलचित्र बनाने का काम संस्था-पंजीयन अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध की जाने वाली किसी संस्था को सौंप दिया जायगा । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस संस्था की संरचना और प्रकृति के बारे में हमें अधिक विस्तार से बतायें । मैं आशा करता हूं कि यह संस्था इस प्रकार बनायी जाय कि वह बालकों के मनोरंजन के लिए सर्वोत्कृष्ट चलचित्र तैयार करने में गैर-सरकारी उत्पादकों को उचित मंत्रणा दे सके ।

मेरा तीसरा कटौती प्रस्ताव मांग संख्या ६३ के सम्बन्ध में है । मैं इस कटौती प्रस्ताव द्वारा बहुप्रयोजनीय नदीघाटी परियोजनाओं के सम्बन्ध में किये जा रहे अनुसंधानों, विशेषकर बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी अनुसंधानों की धीमी प्रगति पर असंतोष प्रकट करना चाहता हूं । हम बराबर सुनते हैं कि सरकार बाढ़ों के नियंत्रण के विषय में बहुत चिन्तित है और हम अनेक अभियान्त्रिकों को विदेशों को, खासकर चीन को, भेज रहे हैं जिससे कि वे इस बात का अध्ययन कर सकें कि उस देश में बाढ़ें किस प्रकार से नियंत्रित की जाती हैं । किन्तु इन सब बातों के होते हुए भी इन अनुसन्धानों में ही कई साल नष्ट कर दिये गये हैं । उदाहरण के लिए कोसी परियोजना के प्रारम्भिक अनुसन्धान पर ६–७ वर्ष बीत चुके हैं और अब भी वह पूरा नहीं हुआ है । मैं चाहता हूं कि हमारे विशेषज्ञ और अभियान्त्रिक, इस विषय में अधिक शीघ्रता से प्रगति करें और उत्तरदायित्व की भावना दिखलायें । अब प्रश्न यह है कि हमारे अभियान्त्रिक और विशेषज्ञों के लिए इस कार्य को अधिक तीव्रता से और उत्तरदायित्व के साथ पूरा करना क्यों संभव नहीं है । क्या कारण है कि अनुसन्धान की इस प्रारम्भिक दशा में कितना ही समय और धन नष्ट किया जा रहा है ? अब विदेशी अभियान्त्रिकों और विशेषज्ञों को आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं है । हमारे अपने कई विशेषज्ञों और अभियांत्रिकों ने इन परियोजनाओं में काम किया है और उन्होंने कई नदीघाटी परियोजनाएं पूरी की हैं । यदि अब भी हम विदेशी विशेषज्ञ यहां बुलायें, तो वह निरा धन का अपव्यय ही होगा । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस आलोचना के विषय में कुछ समाधान कर सकेंगे ।

श्रीमती इला पालचौधरी (नवद्वीप) : मैं विरोधी दल के माननीय सदस्य से सहमत हूं कि यह एक सुखद अवसर है जब हम भारत में फ्रांसीसी बस्तियों के लिए अनुदान का समर्थन करते हैं । मैं देखती हूं कि जेल और अभियुक्त बस्तियों के लिए मांग ५१,००० रुपये की और शिक्षा के लिए ६६,००० रुपये की है । यदि आप फ्रांसीसी भारत में फ्रांसीसी प्रशासन की योजनाओं को देखें तो यह स्पष्ट होगा कि वे शिक्षा पर बहुत खर्च किया करते थे । यदि शिक्षा के लिए अनुदान कम से कम उसी स्तर पर रखा जाय जो उस समय फ्रांसीसी भारत में था, तो हमारे लिए वह गौरव की बात होगी ।

[श्रीमती इला पालचौधरी]

मांग संख्या ५९ के सम्बन्ध में मैं सभा के समक्ष यह कहना चाहती हूं कि मैं इस बात का स्वागत करती हूं कि बच्चों के लिए चलचित्र बनाये जा रहे हैं और अब हमारे बच्चों को सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा शिक्षा का लाभ प्राप्त होगा । किन्तु यदि यह मांग अधिक होती, तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती । यदि इस मद में और अधिक अनुदान की मांग की गयी होती तो हमारे पास और अधिक चलती फिरती गाड़ियां और सामूहिक रेडियो होते जिन से ग्रामीण भारत के सुदूर कोनों में आवाज पहुंचती और हम लोगों को स्वस्थ तथा अन्य विभिन्न बातों के सम्बन्ध में शिक्षा दे पाते । विशेषकर शरणार्थियों के पुनर्वास क्षेत्रों में जहां पर्याप्त पाठशालाएं नहीं हैं, बच्चों की शिक्षा में प्रसारण विभाग बहुत लाभदायक हो सकता है ।

मांग संख्या ८६ वास्तव में मेरे अपने प्रदेश के सम्बन्ध में है । मांग ८२,४२,००० रुपये की है । पश्चिमी बंगाल की ज़रूरत ४,६६,००,००० रुपये के क़रीब की है जिसमें से लगभग ३ करोड़ रुपये पाने पर उसकी आवश्यकता १,५६,००,००० रुपये की थी । अतः केवल ८२,४२,००० रुपये की राशि संभवतः उसकी आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं होगी । पुनर्वास की मुख्य समस्या ज़मीन की कमी है और अधिकतर ज़मीन जो प्राप्त हो सकती है वह दलदली और अविकसित है । यदि केवल सोनारपुर अरापंच क्षेत्र ही का पूरी तरह उपयोग किया जाय, तो लगभग १०,००० एकड़ ज़मीन मिल सकती है । इन क्षेत्रों का विकास एक बहुत बड़ी योजना है जिसके लिए बहुत धन की आवश्यकता है । इनमें से कोई भी योजना तब तक शीघ्रता से कार्यान्वित नहीं की जा सकती है जब तक कि मिट्टी उठाने की मशीनें तथा अन्य कार्यक्षम साधन न हों । अतः मेरी यह सिफारिश है कि राज्य सरकारों को यह अधिकार होना चाहिये कि वे इन अनुदानों का यथासंभव शीघ्रता से और प्राधिकार से उपयोग कर सकें और प्रत्येक योजना का केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन मंजूरी के लिए रखना आवश्यक न हो । इससे अत्यधिक विलंब और कष्ट होता है । कम से कम सरकारी कैम्पों में उन्हें कुछ संरक्षण मिल भी जाता है किन्तु सरकारी कैम्पों के बाहर जो लोग रह रहे हैं उन्हें अवश्य पूर्ववर्तिता दी जानी चाहिये क्योंकि उन्हें पुनःस्थापित करना अधिक महत्वपूर्ण है । मैं सभा के समक्ष पाकिस्तान से वापस लौटे हुए मुस्लिमों की स्थिति भी विचारार्थ रखती हूं । उनके मकानों पर कब्जा करने वाले शरणार्थियों को विभिन्न अनुदान और व्यापार-ऋण दिये गये हैं । उनके मकान खाली करने के लिए आदेश दिये जा चके हैं और इन आदेशों को कार्यान्वित करना असंभव है, कई वर्ष बीत गये हैं और ये मुस्लिम सड़कों पर भूखों मर रहे हैं । यह लज्जाजनक बात है ।

मांग संख्या ८५ के सम्बन्ध में यह ज्ञात होता है कि ३१,००० रुपये मुख्य कार्यालय के दिल्ली के कलकत्ते को स्थानान्तरित करने पर खर्च किये जा रहे हैं । अतः यह आवश्यक है कि इस योजना को कार्यान्वित करने वाले कर्मचारी ऐसे होने चाहिये जिन्हें पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों के प्रति पूर्ण सहानुभूति हो और जिन्हें शरणार्थियों की भाषा का अच्छा ज्ञान हो । अभी इसी समस्या को सुलझाने की आवश्यकता है । ये लोग ही इस योजना की जान हैं । वे पूर्ण सहानभूति और मानवीय दृष्टिकोण के साथ कार्य करें । हमें ८२,४२,००० रुपये का अनुदान स्वीकार करने में प्रसन्नता है किन्तु मैं चाहती हूं कि यह मांग और अधिक होती तो अधिक अच्छा होता ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी उठे—

सभापति महोदय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य मांग संख्या २४क पर भी बोलना चाहते हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : हां ।

सभापति महोदय : तब वे ३–३० के बाद जब उस पर चर्चा की जाये बोल सकते हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं एक दूसरे कटौती प्रस्ताव पर भी बोलना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : मांग संख्या २४क पर चर्चा प्रारम्भ किये जाने पर वह बाद में सभी कटौती प्रस्तावों पर बोल सकते हैं । यही बात श्री पुन्नूस के लिए भी लागू होती है क्योंकि वे भी मांग संख्या २४क के सम्बन्ध में बोलना चाहते हैं । मैं ३–३० पर मांग संख्या २४क पर चर्चा प्रारम्भ करूंगा और उसे सभा के समक्ष मतदान के लिए रखूंगा । उसके बाद हम अगली मांगों पर चर्चा करेंगे । अब मांग संख्या २४क के अतिरिक्त अन्य किसी मांग पर बोलने के लिए मैं माननीय सदस्यों को अनुमति देता ।

श्री पुन्नूस (आल्लप्पि) : हां, मैं बोलना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : वह दोनों पर बोलना चाहते हैं । मैं उन्हें ३–३० के बाद अवसर दूंगा । अब म श्री रामजी वर्मा को बुलाऊंगा । कदाचित् माननीय सदस्य मांग संख्या ४३ पर बोलने का विचार करते हैं ।

श्री रामजी वर्मा (ज़िला देवरिया–पूर्व) हां । सभापति महोदय, मैं डिमांड नम्बर ४३ पर अपने कटमोशन के जरिये सरकार का ध्यान केन ग्रोअर्स की तरफ दिलाना चाहता हूं.....

सभापति महोदय : मुझे खेद है कि उनका कटौती प्रस्ताव अग्राह्य है क्योंकि मांग संख्या ४३ के सम्बन्ध में पृष्ठ १२ पर एक विशिष्ट बात का अर्थात् खाद गोलमाल के मामले के सम्बन्ध में विशिष्ट सलाहकार की नियुक्ति का निर्देश किया गया है । वह केवल उसी पर बोल सकते हैं और किसी बात पर नहीं ।

श्री **एम० सी० शाह** : आखिर वह अतिरिक्त खर्च हमें देना है । उसमें कुछ नहीं है । मामला चल रहा है ।

सभापति महोदय : अन्यथा वह खाद्य तथा कृषि मंत्रालय पर सामान्य रूप से चर्चा नहीं कर सकते हैं । यदि वह केवल उसी विशिष्ट विषय पर बोलना चाहें तो अवश्य बोल सकते हैं ।

श्री रामजी वर्मा : नहीं श्रीमान् ।

सभापति महोदय : अब श्री एस० एन० दास ।

श्री एस० एन० दास (दरभंगा—मध्य) : सभापति महोदय, मैं सब से पहले १२४ नम्बर की जो मांग है उस पर अपना विचार प्रकट करूंगा । यह एक आश्चर्य की बात है कि हिन्दुस्तान जैसे देश में जहां पर काफ़ी भूमि है और जहां पर काफ़ी चीनी बनाने के कारखाने हैं और जहां लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में लोग बेकार हैं, वहां इस १९५४ में दूसरे मुल्कों से चीनी मंगा कर और करोड़ों पया खर्च करके यहां पर चीनी का इन्तिजाम किया जाय । जो नीति सरकार बरत रही है मालूम नहीं इस नीति के पीछे क्या है । मेरा ख्याल है कि योजना आयोग ने बतलाया था कि योजना के पहले पांच साल में हिन्दुस्तान में १५ लाख टन चीनी की आवश्यकता होगी । जहां तक मेरा ख्याल है सन् १९५१–५२ में ही हिन्दुस्तान में १५ लाख टन चीनी पैदा कर दी गयी थी लेकिन अब सरकार का अन्दाजा यह है कि हिन्दुस्तान के लोग ज्यादा चीनी खाने लगे हैं ।

सभापति महोदय : मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस मांग के विशिष्ट पहलू

[सभापति महोदय]

पर ही बोलें सामान्य रूप से चीनी सम्बन्धी नीति पर चर्चा न करें। हम केवल एक बिशिष्ट पहलू की विवेचना कर रहे हैं। सामान्य नीति विचाराधीन नहीं है।

श्री एस० एन० दास : मैं इस बात के लिए आग्रह करूंगा, क्योंकि सरकार आयात की जाने वाली चीनी का परिमाण बढ़ाने जा रही है।

सभापति महोदय : चीनी की आयात नीति के सम्बन्ध में चर्चा नहीं की जा सकती है। कुछ सीमित परिमात्रा आयात की जा रही है और उसकी बिक्री के लिये कुछ प्रस्थापनायें हैं। इन दोनों विषयों पर माननीय सदस्य बोल सकते हैं। जहां तक सामान्य आयात नीति का सम्बन्ध है मुझे खेद है कि मैं उस पर चर्चा किये जाने की अनुमति नहीं दे सकता हूं।

श्री एस० एन० दास : सभापति महोदय जहां तक मेरा ख्याल है गवर्नमेन्ट की जो चीनी की इम्पोर्ट पालिसी है वह एक दायरे के अन्दर है क्योंकि हिन्दुस्तान में चीनी की पैदावार कम हो गयी है। इसलिये यह एक ऐसा मौक़ा है जब कि सभा को मौक़ा मिलना चाहिये कि सरकार को यह बताया जाये कि इस नीति में वह किस हद तक जा सकती है।

सभापति महोदय : मौक़े और भी मिलेंगे। जहां तक अनुपूरक मांगों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य जानते हैं कि नीति सम्बन्धी मामलों पर चर्चा केवल तब ही की जा सकती है जबकि कोई नई मांग प्रस्तुत की जाये।

श्री एस० एन० दास : यह डिमांड सिंचाई और विद्युत मंत्रालय से सम्बन्धित है। मुझे यह जान कर बहुत खुशी है और मैं समझता हूं कि इस सभा के सभी सदस्यों को इससे खुशी होगी कि बहुत दिनों के बाद और बहुत विचार विमर्ष के बाद केन्द्रीय सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि हिन्दुस्तान में बाढ़ की समस्या को शीघ्र हल करने की आवश्यकता है और उसके हल करने में केन्द्रीय सरकार को भी भाग लेना चाहिये। इस डिमांड के ज़रिये से एक नया विभाग सेंट्रल वाटर एंड पावर कमीशन में खुलने जा रहा है। वह विभाग है फ्लड कंट्रोल विंग। इसके लिये जो रुपये की मांग की गयी है वह इस वर्ष के लिये तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इसमें और ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता होगी तो भी सरकार उस ज्यादा खर्च को करने के लिये तैयार रहेगी। मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि यह विभाग उन प्रान्तों से, जिनमें बाढ़ के नियंत्रण की आवश्यकता है, जल्दी से जल्दी स्कीमें मंगावे और उनके सम्बन्ध में मुनासिब कार्यवाही करे। ऐसा न हो कि केवल एक विभाग खुल जाय और यह कहने के लिये हो जाय कि केन्द्र में भी बाढ़ की समस्या का हल करने के लिये एक शाखा है। यह केवल शाखा ही बन कर न रह जाय। हिन्दुस्तान में बाढ़ की समस्या बहुत विषम है। यद्यपि यह राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वे इस समस्या को हल करें लेकिन राज्य सरकारों के पास इस समस्या को हल करने के लिये पर्याप्त साधन नहीं हैं। इसीलिये पैसे के ख्याल से और बाढ़ नियंत्रण के लिये जो टैकनिकल सलाह की ज़रूरत होती है उसके ख्याल से यह विभाग बनाया गया है, ऐसा मेरा ख्याल है, और मैं इसके लिये सरकार को बधाई देता हूं कि सरकार ने, देर से ही सही, ठीक रास्ते पर क़दम रखा है और यह आशा है कि यह शाखा दिन दिन उन्नति करेगी और हिन्दुस्तान की बाढ़ की समस्या को हल करने के लिये आगे क़दम बढ़ायेगी।

दूसरा सवाल है डिमांड नम्बर ५९ के बारे में। यह खुशी की बात है कि बच्चों के लिए

चलचित्र बनाने के लिये भी इन्तिज़ाम किया जा रहा है और इस कार्य के लिये सरकार एक लाख की मांग इस सभा के सामने पेश कर रही है । यद्यपि यह मांग इस काम को देखते हुए बहुत थोड़ी है लेकिन बच्चों के लिये चलचित्र बनाने की व्यवस्था स्वागत करने की चीज़ है । लेकिन सरकार इस काम को अपने ज़िम्मे न रख कर किसी दूसरी संस्था के ज़िम्मे करना चाहती है यह बात मेरी समझ में नहीं आयी । शायद सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन के क़ानून के मुताबिक इस सोसाइटी का निर्माण होने वाला है । मुझे नहीं मालूम कि अभी इसका निर्माण हुआ है या नहीं, या यह सोसाइटी होगी तो किस तरह की होगी । इसमें ग़ैर-सरकारी और सरकारी लोगों का किस तरह से प्रतिनिधित्व होगा यह मेरी समझ में नहीं आता है । मैं समझता हूं कि यह हिन्दुस्तान के लिये एक बहुत बड़ा सवाल है । इसको सरकार को स्वयं हाथ में लेना चाहिये । किसी ग़र-सरकारी संगठन के हाथ में इस काम को देने से मैं समझता हूं कि शायद रुपये का पूरा सदुपयोग नहीं होगा । अगर सरकार इस पर रुपया खर्च करना चाहती है, और मैं समझता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, तो सरकार को एक ऐसा विभाग क़ानून के ज़रिये से या प्रस्ताव के ज़रिये से सरकारी संस्था के तौर पर बनाना चाहिये, और यदि आगे दूसरी ग़ैर-सरकारी संस्थायें सरकार के काम को देखकर इस काम को करने के लिये आगे बढ़ेंगी तो उनको यथा सम्भव सहायता देनी चाहिये । लेकिन मैं समझता हूं कि शुरू में तो सरकार स्वयं इस काम को अपने हाथ में ले तो ज्यादा अच्छा हो । जिस सोसाइटी को यह काम दिया जाने वाला है शायद उसका अभी तो निर्माण भी नहीं हुआ है, और अगर निर्माण भी हो गया तो यह नहीं मालूम कि उसका क्या संगठन होगा, उसका क्या काम होगा, क्या उत्तरदायित्व होगा, जो सरकार से रुपया मिलेगा उसको वह किस प्रकार व्यय करेगी, उसके ऊपर सरकार का कैसा नियंत्रण होगा, उसके हिसाब का ऑडिट होगा या नहीं और कौन उसका ऑडिट करेगा । ये सब बातें इसमें स्पष्ट नहीं हैं । लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है अभी तक सरकार के सामने कोई स्कीम नहीं है । मैं समझता हूं कि बिना कोई खास योजना सामने आये हुए इस तरह की मांग संसद् के सामने रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा । यह बड़ा महत्वपूर्ण काम है । इसको सरकार को स्वयं हाथ में लेना चाहिये और इसकी एक योजना बना कर रख लेनी चाहिये जिससे इस योजना को कार्यान्वित करने में सरकार का पया .बरबाद न हो और उसका सदुपयोग हो । अगर रुपये का सदुपयोग न हुआ तो अच्छा नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं डिमांड का समर्थन करता हूं लेकिन सरकार को यह बताना चाहिये कि कौन सोसाइटी बनी है, कौन सोसाइटी अब रजिस्टर हुई है, उसका संगठन क्या होगा, काम क्या होगा, तब इस तरह रुपये की मंजूरी दी जानी चाहिये ।

एक बात और कह कर मैं खत्म करूंगा । डिमांड नम्बर २ में कहा गया है कि तम्बाकू, चपड़ा लाख, काली मिर्च, काजू, अभ्रक, इंजीनियरिंग का सामान, प्लास्टिक इत्यादि के सामान के निर्यात के लिये जो कौंसिल बनेगी उन एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिलों को सरकार अभी ग्रान्ट के रूप में सहायता देना चाहती है, तो सरकार का यह कार्य स्वागत योग्य है । जो सामान हमारे देश में तैयार होते हैं और इनमें से बहुत से सामान का, जैसा कि हमारे कई भाइयों ने अभी बताया है, उनका जो निर्यात परिमाण था वह परिमाण दिन ब दिन घटता जा रहा है और जिसके कारण हमारा व्यापार गिरता जा रहा है । उनके उत्पादन कार्य में लगे हुए लोग बेकार होते जाते हैं । विशेष कर मैं सरकार का ध्यान अभ्रक और

[श्री एस० एन० दास]

चपड़ा लाख इंडस्ट्रीज की तरफ़ दिलाना चाहूंगा। यह काम बिहार में काफ़ी होता है और मुझे मालूम हुआ है कि इन चीज़ों के व्यापार में पिछले महीनों में इतनी गिरावट आ गयी कि इन व्यवसायों में काम करने वाले हज़ारों लोग बेकार हो गये और इस काम के कारख़ाने बंद हो रहे हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन]

और ऐसी समस्या वहां उठ खड़ी हुई है कि मालूम होता है कि वह उद्योग जो अब तक हिन्दुस्तान के व्यापार क्षेत्र में एक ख़ास स्थान रखता था, उस उद्योग का भी नाश होने वाला है। इसलिये वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने इन चीज़ों के निर्यात की तरक्की के लिये एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिलों का निर्माण किया है, यह स्वागत करने की चीज़ है और इसका मैं समर्थन करता हूं लेकिन इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की ग़ैर-सरकारी संस्था बना लेना ही पर्याप्त नहीं है, ज़रूरत इस बात की है कि इन सब उद्योगों का नियंत्रण इस तरह से किया जाय और संचालन इस तरह से किया जाय कि एक निश्चित सीमा से नीचे इन पदार्थों के दाम न गिरने पायें। कभी कभी समय ऐसा आता है कि उत्पादन कार्य में लोग बड़ी तेज़ी के साथ काम करते जाते हैं और यकायक सामानों के दाम घट जाते हैं और फलस्वरूप उद्योग पर धक्का पहुंच जाता है। उनके बंद हो जाने की नौबत आ जाती है और हज़ारों आदमी बेकार हो जाते हैं। सरकार इन बातों के बारे में सोचे और यह देखे कि इन पदार्थों के दाम एक सीमा से नीचे न घटने पायें। सरकार ऐसी व्यवस्था कर कि जो सामान तैयार हो, कारखानों से जो सामान बन कर बाहर निकले उसके लिये सरकार द्वारा ऐसी संस्थाओं का निर्माण हो वाकि उस सामान को सरकार या तो स्वयं ख़रीद ले या उसको स्टॉक कर के रखवा ले और जब उन सामानों की बिक्री के लिये अच्छा और उपयुक्त अवसर आये तब उन पदार्थों को बेच दे या बिकवा दे। सरकार द्वारा इस प्रकार का प्रबन्ध किया जाना अति आवश्यक है नहीं तो सामान अगर सस्ता होता गया तो मंदी आ जायगी और उस पदार्थ को तैयार करने वाले कारख़ाने को अपना काम बन्द करना पड़ेगा या काफ़ी कम करना पड़ेगा, और उस हालत में उस कारख़ाने में काम करने वाले लोग बेकार हो जायेंगे और हम देखते हैं कि जो बेकार हो जाते हैं उन को दूसरा काम नहीं मिलता है। मैं समझता हूं कि यह जो एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिलों का निर्माण किया जा रहा है यह अभिनन्दनीय है और मैं पूरी तरह इसका समर्थन करता हूं लेकिन खाली इतना ही काफ़ी नहीं है। सरकार को इन पदार्थों के व्यवसाय को बढ़ाने के लिये और भी क़दम उठाना चाहिये और इसके लिये ध्यान रखना चाहिये कि कहीं सामान में सस्ती और मंदी आने से उन सामानों को तैयार करने वाले कारख़ाने बंद न हो जायें। इन शब्दों के साथ मैं इस डिमांड का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री की इच्छा है कि पहले वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की मांगों को समाप्त कर दिया जाय। इसलिये माननीय सदस्य वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की मदों के सम्बन्ध में ही अपने विचार व्यक्त करें।

श्री पुन्नूस : पांडिचेरी, माही तथा अन्य फ्रांसीसी बस्तियों से सम्बन्धित कुछ अप्रीतिकर बातों की ओर अभी संकेत किया गया था। इन क्षेत्रों की जनता का यह विचार होता जा रहा है कि यह बस्तियां फ्रांस की पुलिस के हाथों से निकल कर

नौकरशाही के हाथों में आ गई हैं। जैसा वहां प्रशासन चलाया जा रहा है वह लोगों की आशाओं के अनुकूल नहीं है।

सभी दलों ने तथा सारी जनता ने संयुक्त होकर एक शक्तिशाली जन आन्दोलन किया था। अब जिन अफ़सरों को नियुक्त किया गया है वे जनता की भावनाओं से परिचित नहीं हैं। हाल में विलीन की जाने वाली विदेशी बस्तियों का हम जैसा प्रबन्ध करेंगे वैसा ही प्रभाव गोआ के भविष्य पर पड़ेगा। गोआ की जनता की निगाहें इन क्षेत्रों पर लगी हुई हैं। इसलिये हमें चाहिये कि हम इन बस्तियों का अच्छे से अच्छा प्रबन्ध करें और जनता के संतोष का पूरा पूरा ध्यान रखें।

जब हम इन बस्तियों को अपने अधिकार में लें तो हमें यहां कोई ऐसे हेर फेर नहीं करने चाहियें जिनसे कि जनता के किसी भी वर्ग को हानि हो। पुरानी फ्रांसीसी सरकार के कुछ कर्मचारियों के वेतनों के स्तर में तथा उस स्तर में जो भारत सरकार ने बनाया हुआ है, काफ़ी अन्तर है। इसी प्रकार विद्यार्थियों को कुछ विशेष रियायतें प्राप्त हैं। यहां के अध्यापकों को भी वेतन अधिक मिलता है। अतः जो भी परिवर्तन हम करें वह ऐसे न हों जिनसे उनको हानि पहुंचे। यदि कुछ बातों में अन्तर उनके पक्ष में है तो कुछ समय के लिये वह सुविधा रहनी चाहिये और अभी उसमें हेर फेर न किया जाये।

कुछ पिछड़े हुए क्षेत्रों की जनता शिक्षा तथा अन्य विषयों में कुछ पीछे है। उसको अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : चंद्र नगर के मामले में हम देख चुके हैं कि फ्रांसीसियों के चले जाने के बाद भी भारत सरकार ने उसको विलय करने में बहुत समय लगा दिया। मुझे डर है कि भारत सरकार इन फ्रांसीसी बस्तियों के सम्बन्ध में भी कहीं ऐसा ही न करे। इन क्षेत्रों ने गत नवम्बर में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। परन्तु आज तक उनको विलय करने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। फ्रांसीसी सरकार ने जो शासनतंत्र स्थापित किया था वही अब भी चला जा रहा है, और उसी को जारी रखने के लिये हम से रुपया मंजूर करने को कहा जा रहा है। उन अफ़सरों को निकालने का भी कोई प्रयत्न नहीं किया गया है जिन्होंने इन क्षेत्रों में फ्रांसीसी आधिपत्य को बनाये रखने के लिये सक्रिय प्रयत्न किये थे। ऐसे कार्यों से वह व्यक्ति बहुत हतोत्साहित होंगे जिन्होंने इन क्षेत्रों की स्वतंत्रता के लिये संघर्ष किया था। इन क्षेत्रों के स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं को प्रशासन में कोई स्थान नहीं दिया गया है और न उनको परामर्श के लिये आमंत्रित ही किया गया है। पड़ोसी क्षेत्रों के न्यायालयों, जेलों तथा पुलिस के साथ इन क्षेत्रों के न्यायालयों, जेलों तथा पुलिस का एकीकरण किया जा सकता था, जिससे कि न केवल पैसे की बचत होती वरन् इन क्षेत्रों में यह प्रभाव भी होता कि एकीकरण सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्यवाही भारत सरकार द्वारा आरम्भ कर दी गई है।

जब तक इन बतिस्यों का वैधानिक हस्तान्तरण नहीं हो जाता है इन क्षेत्रों का भारतीय राज्यक्षेत्र के साथ संपूर्ण संविलयन नहीं किया जा सकता है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में फ्रांसीसी सरकार से पूछताछ की गई है। क्या इस समझौते का फ्रांसीसी संसद् द्वारा शीघ्र ही अनुसमर्थन किया जायेगा? इस सम्बन्ध में फ्रांस की सरकार ने क्या संकेत किया है? यह शीघ्र किया जाना चाहिये अन्यथा इन क्षेत्रों की जनता यह समझेगी कि हम उनके मामले में रुचि नहीं ले रहे हैं।

आज भी प्रशुल्क सीमाओं का संधारण उसी प्रकार किया जा रहा है जैसा कि पहले

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

किया जाता था । आज भी ये चोरी छिपे माल लें जाने के सब से बड़े साधन बने हुए हैं। इसलिये हम जानना चाहते हैं कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय या भारत सरकार ने इन क्षेत्रों की दशा सुधारने तथा इनका एकीकरण करने के सम्बन्ध में क्या उपाय किये हैं। अधिकारी-वर्ग इन बातों का पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहा है और जिन लोगों ने इन क्षेत्रों के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था उनका प्रशासन में किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं लिया गया है । जनता का उत्साह बहुत कम हो गया है । जब तक उन सब व्यक्तियों का एक सम्मेलन आमंत्रित न किया जाये, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है, और सभी विषयों पर उनसे वार्ता तथा विचार-विमर्श न किया जाये तब तक कोई उचित हल नहीं निकाले जा सकते हैं और न कोई ठीक विनिश्चय ही किये जा सकते हैं ।

श्री नम्बियार (मयूरम्) : अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में दी गई पाद टिप्पणी से स्पष्ट है कि यह राशियां "केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों" के लिये अपेक्षित हैं । इससे स्पष्ट है कि सरकार वैधानिक हस्तान्तरण के समय तक इन बस्तियों को केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के ही रूप में रखना चाहती है । पांडिचेरी दक्षिण अरकाट ज़िले का एक भाग है और कराईकल तंजोर ज़िले का है । फिर भी इनको मद्रास राज्य के साथ नहीं मिलाया गया है वरन् इस सारे क्षेत्र के लिये एक आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है । इस क्षेत्र की जनता इन बातों से बहुत परेशान है और यदि वास्तविकता यह है कि वास्तविक हस्तान्तरण के समय तक पुरानी स्थिति को यथावत बनाये रखने का ही विनिश्चय किया गया है, तो जनता को यह बात बता दी जानी चाहिये । कराईकल तथा पांडिचेरी की जनता बहुत परेशान है । वह चाहती है कि साधारण जनतंत्रात्मक तरीक़े अपनाये जायें । इसके बजाये ऐसे कार्यों से जैसे श्री पालानियप्पन को जो सीमा-पुलिस का प्रभारी था और कृष्णा ज़िले में बहुत बदनाम था, इस क्षेत्र का पुलिस सुपरिन्टे-ण्डेन्ट नियुक्त किये जाने, नगरपालिका समि-तियों में उन लोगों का जो संविलयन के विरोधी थे और चुनाव में हार चुके थे फिर से लिया जाने आदि से जनता की परेशानी और भी बढ़ रही है । साधारण नागरिक अधिकार जैसे सभा करने, जलूस निकालने इत्यादि के अधिकार भी जनता से छीन लिये गये हैं ।

हाल में मद्रास के मुख्य मंत्री यहां आये थे और वह एक जलूस निकालना तथा एक सार्वजनिक सभा करना चाहते थे । उनको भी सार्वजनिक सभा करने के लिये पांडिचेरी के मुख्य आयुक्त की मंजूरी लेनी पड़ी । ऐसा तो फ्रांसीसी शासन काल में भी नहीं होता था । इसीलिये मैं कहता हूं कि प्रबन्ध में कुछ दोष हैं । अतः मेरा सुझाव है लोकतंत्रात्मक तरीकों को अपनाने के लिये समुचित उपाय किये जायें ।

निर्वाचन के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है कि निर्वाचन कब होंगे । फ्रांसीसी शासनकाल में निर्वाचन सूची होती ही नहीं थी । इसलिये मेरा सुझाव है कि तत्काल ही निर्वाचन सूची तैयार की जाय और इस बात का आश्वासन दिया जाये कि तीन मास के भीतर निर्वाचन हो जायेंगे और ये क्षेत्र दक्षिण अरकाट और तंजौर ज़िलों में मिला दिये जायेंगे ।

श्री सुब्बिया समस्त पांडिचेरी क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम के सर्वमान्य नेता हैं । प्रधान मंत्री को संबोधित करते हुए उन्होंने २४ सित-म्बर को एक पत्र लिखा था जिसमें श्री मुथ्यु पिल्लई तथा श्री ूबर्ट के आचार, चरित्र तथा व्यवहार के सम्बन्ध में सूचना ी थी और

वह बताया था कि ये व्यक्ति किस प्रकार सत्तारूढ़ किये गये हैं। इसलिये हमारा निवेदन है कि उस क्षेत्र की जनता से इन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जांच की जाये। जब तक इन क्षेत्रों में लोक-तंत्रात्मक प्रशासन का सांचा नहीं बनाया जायेगा और शीघ्र ही इन का विलय नहीं किया जायेगा, इन बड़ी बड़ी राशियों को मंजूर करने से इस क्षेत्र की जनता को कोई लाभ नहीं होगा।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं इस कटौती प्रस्ताव के रखे जाने से प्रसन्न हूं क्योंकि इसके कारण मुझे बहुत सी भ्रान्तियों को दूर करने का अवसर मिला है। यदि माननीय सदस्यों ने भारत सरकार तथा फ्रांस की सरकार के मध्य हुए करार को पढ़ लिया होता तो उनको उन बहुत से प्रश्नों का जो कि उन्होंने किये हैं उत्तर मिल जाता। उस क़रार के निबन्धनों के अनुसार हम बहुत से काम अभी नहीं कर सकते हैं।

सभा को याद होगा कि यह वास्तविक हस्तान्तरण ठीक ठीक छै सप्ताह पूर्व ही हुआ है। क़रार के अनुसार इस वास्तविक हस्तान्तरण के बाद कुछ बातों के सम्बन्ध में जांच की जायेगी। उसके बाद दोनों तत्संबन्धी राज्यों की विधियों के अनुसार इस वास्तविक विलयन का अनुसमर्थन किया जायेगा और उस के बाद वैधानिक हस्तान्तरण हो जायेगा। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम इस काम में जल्दी कर सकते हैं परन्तु हम फ्रांस की संसद् से जल्दी नहीं करा सकते हैं। अभी जांच तथा अन्य कार्य पूरे नहीं हुए हैं और जब यह विषय संसद् के सामने रखा जायेगा तो हमें संविधान में कुछ संशोधन करना पड़ेगा। यह बातें निस्संदेह बाद में की जायेंगी।

जिन माननीय सदस्य ने अभी भाषण दिया है, उन्होंने कई बार विलीनीकरण के सम्बन्ध में कहा। एक अन्य सदस्य ने भी एकीकरण के सम्बन्ध में कहा। इस समय हमारे समक्ष विलीनीकरण अथवा एकीकरण का प्रश्न नहीं है। हम विलीनीकरण अथवा एकीकरण के सम्बन्ध में तब तक कुछ नहीं कह सकते जब तक विधानतः उसका हस्तान्तरण न किया जाये। अतः प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है। समझौते के अनुसार कुछ बातें बाद में की जाती हैं। हमें बाद में क्या करना है इस पर भी हमें विचार करना है। मैं यह नहीं बता सकता कि सरकार क्या करना चाहती है यह तो संसद् निश्चित करेगी। परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि इनका समीपवर्ती ज़िलों में विलीनीकरण उपयुक्त तथा लाभकारक नहीं होगा। इस समय मैं उन छोटे छोटे क्षेत्रों की ओर इंगित नहीं कर रहा हूं जोकि संभवतः बिल्कुल भिन्न माने जायें परन्तु पांडिचेरी का विलीनीकरण हो भी सकता है तथा नहीं भी। हमने इसे फ्रेंच भाषा तथा फ्रांसीसी संस्कृति का केन्द्र बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा यह उपयुक्त भी है। परन्तु यह भी संसद् को ही निश्चित करना है। हमने यह तो निश्चय कर लिया है कि हम वहां की जनता की सम्मति के बिना कोई परिवर्तन नहीं करेंगे।

मैं समझौते के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि हम ने फ्रांसीसी प्रशासक पद्धति तथा शासन आदि को ही अपनाया है। मेरे विचार से ऐसा कहना ठीक नहीं है। हमने उन्हीं प्राधिकारियों को वैसे ही रहने दिया है, केवल फ्रांसीसी प्राधिकारी चले गये हैं। मुझे फ्रांसीसी शिक्षाशास्त्रियों के सम्बन्ध में ज्ञात नहीं है, वे वहां हो सकते हैं।

समझौते के अनुच्छेद १ के अधीन "१ नवम्बर, १९५४ से भारत सरकार भारत के फ्रांसीसी क्षेत्रों का शासन अपने हाथ में ले लेगी। इन क्षेत्रों में शासन व्यवस्था विशेषतया उसी प्रकार की रहेगी जैसी कि वास्तविक हस्तान्तरण से पहले थी। यदि इस

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

स्थिति में कोई वैधानिक परिवर्तन बाद में किया जायेगा तो वह जनता की सम्मति जानने के पश्चात् ही किया जायेगा ।"

माननीय सदस्य ने नगरपालिकाओं के सदस्यों तथा सभापतियों में परिवर्तन करने के लिए कहा परन्तु हमें उनमें परिवर्तन क्यों करना चाहिये । हम ने स्वयं अपने आप कुछ नहीं किया है । हमने वहां की जनता की स्वीकृति के अनुसार ही वहां का प्रबन्ध किया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : दो नाम-निर्देशन किये गये हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: नाम-निर्देशन विशेष कारणों से किये गये हैं । एक मामला और था जिसमें एक व्यक्ति का देहान्त हो गया था जो व्यक्ति सभा का सभापतित्व करता था तथा जो मुख्य न्यायाधीश बनने को था, उस का देहान्त हो गया था ।

श्री नम्बियार : ये खाली स्थानों की पूर्ति नहीं कर रहे थे ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं यह जानता हूं । परन्तु समझौते के अनुसार ऐसा करना आवश्यक था ।

समझौते के अनुच्छेद ५ के अधीन "वास्तविक सत्ता हस्तान्तरण की तिथि से भारत सरकार इन क्षेत्रों के उन सभी असैनिक कर्मचारियों को, केवल उन के अतिरिक्त जो फ़्रांसीसी सरकार की राजकीय पदाली के अथवा फ़्रांस के विदेश मंत्रालय की सामान्य पदाली के सदस्य थे, सेवायुक्त करेगी । ये असैनिक कर्मचारी तथा सैनिक अधिकारी भारत सरकार से, सेवा की वही शर्तें, वेतन, छुट्टी, तथा निवृत्ति वेतन इत्यादि अधिकार पाने के हकदार होंगे जो वास्तविक हस्तांन्तरण से पहले यह पाने के अधिकारी थे । वास्तविक स्थानान्तरण से पहले किये गये किन्हीं कार्यों के कारण उनको न तो निकाला जायेगा तथा न ही उन की तरक्की में कोई बाधा डाली जायेगी ।"

सेवा के सम्बन्ध में हम कोई भी संविधानिक तथा संस्थासम्बन्धी परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं । समझौते के अनुसार हमने फ़्रैंच भारतीय प्राधिकारियों को सेवायुक्त कर लिया है । फ़्रांस की राष्ट्रीयता वाले सभी प्राधिकारी चले ही गये हैं । फ़्रांसीसी गवर्नर तथा उसका सचिवालय चले गये हैं । फ़्रांसीसी गवर्नर का स्थान, मुख्य आयुक्त तथा उसके सचिवालय ने ले लिया है । वित्त तथा आर्थिक कार्यों के विभागों का एकीकरण कर दिया गया है । पुलिस विभाग को एक महा-निदेशक के अधीन कर दिया गया है क्योंकि फ़्रांस से आया हुआ पुलिस विभाग का अध्यक्ष वापस चला गया है ।

माहे तथा कराईकल के प्रशासन के सम्बन्ध में, वहां राज्य सरकार तथा केन्द्र के प्राधिकारी नियुक्त कर दिये गये हैं । यनाम में भूतपूर्व फ़्रांसीसी प्रशासन के उच्च पदाधिकारी को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है ।

पांडिचेरी में आयात निर्यात को नियंत्रित करने के लिये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क संग्रहक तथा आयात तथा निर्यात मुख्य नियंत्रक के पद बना दिये गये हैं ।

जहां तक न्याय पद्धति का सम्बन्ध है हमन फ़्रांसीसी प्रणाली और फ़्रांसीसी विधि को ही जारी रखना स्वीकार किया है । फ़्रांसीसी विधि को जानने वाले पुराने व्यक्तियों को छोड़ कर नये व्यक्तियों का मिलना अत्यन्त कठिन है न्यायिक विभाग के उन सभी प्राधिकारियों को, जो फ़्रांस नहीं जाना चाहते थे, पुनः नियुक्त कर दिया गया है । पंच वर्षीय

योजना के अन्तर्गत कुछ विकास सम्बन्धी पदों का निर्माण किया गया है ।

वास्तविक सत्ता हस्तांतरण के पश्चात् पांडिचेरी प्रशासन को उन प्राधिकारियों के कारण बहुत कठिनाई उपस्थित हुई कि जिनको राष्ट्रीय आन्दोलन के समय राजनैतिक कारणों से निकाल दिया गया था अथवा जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था अथवा जिनको स्वतंत्रता परिषद् ने पुनः नियुक्त कर दिया था। इनके सम्बन्ध में यह नीति बर्ती गई है। मार्च १९५४ से जिन प्राधिकारियों को फ्रांसीसी सरकार ने, राष्ट्रीय कारणों से निकाल दिया था उनको पुनः नियुक्त कर दिया गया है । १९४८ में माहे में हुए विद्रोह के फलस्वरूप जिन १० प्राधिकारियों को निकाल दिया गया था तथा जिन्होंने भाग कर भारतीय राज्यक्षेत्र में आश्रय लिया था, उनके मामलों की जांच की जा रही है तथा यदि उनके विरुद्ध और कोई अभियोग नहीं होगा तो उनको भी पुनः नियुक्त कर लिया जायेगा । पिछले सात मास में जिन प्राधिकारियों ने त्यागपत्र दे दिये हैं उन सबको पुनः नियुक्त किया जा रहा है ।

स्वतंत्रता परिषद् ने जिन अस्थायी कर्मचारियों को नियुक्त किया था उनके सम्बन्ध में कुछ कठिनाई है, क्योंकि इन सब को सेवायुक्त रखना कठिन है । उनमें से जिनको भी सेवायुक्त किया जा सकता था सेवायुक्त रखा गया है । कुछ को कार्य योग्य नहीं समझा गया और उनको छोड़ कर अन्य सभी को नियुक्त कर लिया गया है । उनको उस समय बड़ी शीघ्रता में भरती किया गया था और उनमें से कुछ वास्तव में बिल्कुल अयोग्य ही थे । परन्तु उनको भी अन्य किसी स्थानीय सेवा में लेने का विचार है ।

इसलिये जहां तक विलीनीकरण अथवा एकीकरण का सम्बन्ध है यह प्रश्न अभी उत्पन्न नहीं होता । पहले विधानत-सत्ता हस्तांतरण होगा, इसके पश्चात् संसद् पांडिचेरी की जनता के परामर्श से इस बात पर विचार करेगा कि उनका भविष्य क्या होना चाहिये ।

जो माननीय सदस्य सब से अन्त में बोले थे उन्होंने नाम लेकर कुछ ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया था जिन्होंने भूतकाल में दुर्व्यवहार किया था तथा जिनको अब नाम-निर्देशित कर दिया गया है अथवा उत्तरदायित्व पूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया गया है । मेरे लिये व्यक्तिगत मामलों पर विचार करना बहुत कठिन है । भारतीय राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुसार इनमें से बहुत से व्यक्तियों ने भूतकाल में निश्चय ही दुर्व्यवहार किया है । उन्होंने जिस व्यक्ति के नाम का गुणों के प्रतोक रूप में उल्लेख किया उसने भी भूतकाल में बहुत अधिक दुर्व्यवाहर किया है । परन्तु यह सच है कि पांडिचेरी में जो वर्तमान परिवर्तन हुए हैं, उनके सम्बन्ध में यह निश्चित है कि जिन व्यक्तियों का नाम उन्होंने लिया उन्होंने इन परिवर्तनों में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग लिया है । हम न तो उनको दंड दे रहे हैं, और न ही उनका अनुमोदन ही कर रहे हैं । हम तो जैसी परिस्थिति चल रही थी उसको वैसा ही बनाये रख रहे हैं जब तक कि कोई विशेष कारण न हो । यह ठीक है कि ये सब प्रबन्ध अस्थायी हैं ।

चुनाव के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि यह सत्ता-हस्तांतरण केवल पिछले ही मास हुआ है । ये सब अस्थायी परिस्थिति है । चुनाव करने से पूर्व हमें दूसरी अवस्था का अभी इन्तज़ार करना है ।

सीमा शुल्क चौकियां अन्ततः समाप्त करनी ही होंगी, तथा मुझे आशा है कि ये शीघ्र ही बन्द हो जायेंगी । कठिनाई यह है कि फ्रांसीसी शासन काल में बहुत अधिक मात्रा में वस्तुयें बिना शुल्क दिये इन क्षेत्रों में आयात

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

की गयी थीं तथा वे भारत में भी तस्कर व्यापार के रूप में लाई गयी थीं। इस परिवर्तन का बहुत से व्यापारी लाभ उठाना चाहते थे। उन्हें ज्ञात था कि सत्ता हस्तांतरण होने वाला था और बहुत सी वस्तुओं का उन्होंने इस प्रकार आयात कर लिया। हम इन्हीं इकट्ठी हुई सम्पत्तियों पर कोई कार्यवाही करने के लिये समय चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह काम बहुत कम समय में ही हो जायेगा और फिर सीमा शुल्क चौकियां भी नहीं रहेंगी।

जिस समय श्रीमती रेणु चक्रवर्ती का भाषण हुआ था मैं यहां नहीं था। परन्तु उनके द्वारा कहे गये शब्दों को मने पढ़ा है। उन्होंने अलोकतंत्रात्मक तरीकों का निदश करने के अलावा चुनावों के न किये जाने, सभाओं पर नियंत्रण लगाये जाने और इस प्रकार अन्ये लोकतंत्रात्मक कार्यों का दमन किये जाने का उल्लेख किया। मैंने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य भी दिया था। कभी भी सभाओं को रोकने के लिये कोई आदेश नहीं दिये गये हैं। मेरे विचार से मुख्य आयुक्त ने केवल यह कहा था कि कुछ सप्ताहों तक सार्वजनिक सभायें नहीं होंगी; जिससे कि हम शासन प्रबन्ध ठीक प्रकार से अपने अधिकार में कर सकें। आप सभायें अपने घरों के अहातों तथा अन्य स्थानों में दिसम्बर तक कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि मुख्य आयुक्त स्वयं रोगी होने के कारण कुछ समय के लिये वहां से जा रहे थे। हमारे मुख्य आयुक्त ने, जो कि पहले वहां हमारे वाणिज्य दूत भी थे अपना कार्य बहुत सुचारू रूप से किया है और हम उनको इस कार्य-संचालन के लिये बधाई देते हैं तथा समझते हैं कि वह बधाई के पात्र भी हैं क्योंकि उन्होंने सत्ता-हस्तांतरण से पूर्व की कठिन परिस्थितियों में पूर्ण सन्तोषजनक रीति से कार्य किया। इसलिये उन्होंने राजनैतिक दलों की दलबन्दी के कारण कुछ सप्ताहों के लिये जुलूस न निकालने तथा सभायें न करने की प्रार्थना की थी तथा इस प्रार्थना को केवल एक नेता के अतिरिक्त सभी ने स्वीकार किया। अब वह अवधि लगभग समाप्त हो चुकी है। मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि गत कुछ सप्ताहों में सभायें हुई हैं तथा उन पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया है। वास्तव में श्री सुव्विया, साम्यवादी नेता ने शासन की अनुमति से ५ दिसम्बर को एक सभा की थी। इसलिये विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को मिली सूचना ठीक नहीं है।

क्या मुख्य आयुक्त ने विलीनीकारण के तुरन्त पश्चात ऐसा कह कर कोई पाप किया था जबकि स्थानीय दलों में इतना मतभेद आदि होने के कारण इतनी कठिनाइयां थीं? माननीय सदस्यों ने कुछ व्यक्तियों के सम्बन्ध में बहुत ही कटु शब्दों का प्रयोग किया है। जब वे इस प्रकार के अपशब्द सुनते तो मनमुटाव होने के कारण कठिनाई उपस्थित हो सकती है। मुख्य आयुक्त ने केवल तीन अथवा चार सप्ताह तक सभायें न करने की प्रार्थना की थी और कहा था कि वे अपने मकानों, अहातों आदि में ऐसा कर सकते थे तथा यह सभायें वहां की भी गयीं थीं।

एक बड़ा ही गंभीर आरोप श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने लगाया था। उन्होंने कहा था कि सैकड़ों व्यक्ति जेलों में ठूंसे जा रहे हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैंने यह कहा था कि फ्रांसीसी शासन काल में बहुत से व्यक्ति जेल में डाले गये थे तथा अब भी उनकी संख्या पर्याप्त है। उन पर फ्रांस की विधि के अनुसार अभियोग लगाये गये थे; वे राजनैतिक व्यक्ति हैं पर उन पर आपराधिक कार्यों के अभियोग लगाये गये हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि माननीय सदस्या उन व्यक्तियों की ओर निर्देश कर

रही हैं जो फ्रांसीसी शासन काल में पकड़े गये थे, तो मेरे विचार से मैंने उनके सम्बन्ध में निवेदन कर दिया है। मेरे विचार से यनाम में कुछ व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया था तथा उन्होंने अपील की थी और यह अपील फ्रांस में लम्बित है। जब शासन हमारे हाथ में आया तो एक न्यायाधीश ने उनको उनके विरुद्ध चलाये गये अभियोगों को समाप्त करने के विचार से अपने समक्ष बुलाया परन्तु उन्होंने समझा कि उनको दण्ड देने के लिये बुलाया गया था। सत्य तो यह है कि प्रशासक ने उनको बुलाया था और यह कहा कि वह इस विषय पर विचार करेगा। हमारी नीति यह है कि वे सब छोड़ दिये जायें। केवल फ्रांसीसी विधि के अनुसार न्याय व्यवस्था को पूर्ण करना है। इसलिये फ्रांसीसी विधि के अनुसार ही उनके विरुद्ध अभियोगों को हटाने के लिये उनको बुलाया गया था।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैंने उन २० स्वयंसेवकों के सम्बन्ध में कहा है जिन्होंने ९ अगस्त के प्रदर्शन में भाग लिया था और अब पांडिचेरी जेल में हैं। वे भी स्वतंत्रता संग्राम के स्वयं-सेवक थे।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे खेद है कि मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता हूं। इस सम्बन्ध में मैंने यह पहली ही बार सुना है। मैं इसकी जांच करूंगा। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के भाषण के पश्चात् मैंने मुख्य आयुक्त से टैलीफ़ोन पर बातचीत की थी और उन्होंने यही उत्तर दिया था। मुझे ज्ञात नहीं कि इनमें से कुछ व्यक्ति अभी भी जेल में हैं क्योंकि उन्होंने बताया कि पहले पकड़े गये व्यक्तियों में से अब कोई जेल में नहीं है। उन्होंने बताया कि केवल एक बार को छोड़ कर और कभी गिरफ्तारी नहीं की गयी। तथा यह धर-पकड़ भी आपराधिक कार्यों के कारण हुई थी। मैं उनके उत्तर को पढ़ रहा हूं। कोई १५ दिन हुए पांडिचेरी नगरपालिका में कुछ साम्यवादी घुस आये थे तथा उन्होंने एक व्यक्ति श्री सैन्टियागो से जो नगरपालिका का सदस्य था, साम्यवादी दल में सम्मिलित होने को कहा। उसने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने उसके भाई के छुरा भोंक दिया तथा उसकी सास को मारा पीटा। तत्पश्चात् वे एक और घर में घुस गये तथा वहां बालासुन्दरम् नामक व्यक्ति को मारा पीटा। इस सम्बन्ध में नौ व्यक्ति पकड़े गये तथा उन पर अभियोग चलाया गया। केवल यही एक घटना है जिसमें पहली नवम्बर को हुई सत्ता-हस्तांतरण के पश्चात् व्यक्ति पकड़े गये हैं।

अतः मैं आशा करता हूं कि सभा इस दृष्टिकोण से विचार करे। पिछले ही मास एक समझौते के अनुसार परिवर्तन हुआ है और यह क़रार हुआ है कि फ्रांसीसी विधि, फ्रांसीसी सेवाओं को बनाये रखा जायेगा तथा जनता की सम्मति से बिना कोई संविधानिक परिवर्तन नहीं किया जायेगा। जब यह परिवर्तन हुए तो, बहुतसे व्यक्तियों ने यह सोचा था कि वह इस परिवर्तन से लाभ उठायेंगे, परन्तु सभी व्यक्तियों को कोई न कोई पद देना नितान्त असम्भव है। मैं अपनी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर यह नहीं कह सकता कि यह व्यक्ति पहले वालों से अधिक योग्य है। मुख्य आयुक्त ने समझौते के अनुसार कार्य किया तथा इन व्यक्तियों को संतुष्ट किया। कुछ व्यक्तियों को उन्हें नियुक्त करना था और उन्होंने कुछ को भारत से बुलाया तथा वहीं कार्य करने वाले कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया। तथा हमें उन पर विश्वास करना है क्योंकि उन्होंने उस स्थान पर होने के कारण अपनी पूर्ण योग्यता से, एक वर्ष वहां रह कर ऐसे परिणाम प्रस्तुत किये हैं। इसमें सन्देह नहीं कि बाद में यह विषय संविधान के संशोधन के रूप में इस सभा के समक्ष आयेगा। जिसके पश्चात् इसके विलीनीकरण अथवा एकीकरण के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : प्रधान मंत्री ने बताया कि वास्तविक सत्ता-हस्तांतरण के पश्चात् संसद् के कुछ अग्रेतर संशोधनों के द्वारा ही समझौते के अनुसार शासन प्रबन्ध हाथ में आयेगा । यह बीच की अवधि बहुत थोड़ी होगी तथा कुछ समय पश्चात् ही तीन लाख व्यक्ति चुनाव में भाग लेंगे जिससे कि वे व्यक्ति, जिन पर जनता के प्रतिनिधि न होने का आरोप लगाया गया है, निकाले जा सकेंगे । अतः चुनाव शीघ्र ही होंगे ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं यह नहीं कह सकता । ये कई वर्षों के पश्चात् नहीं बल्कि कुछ मास में होंगे । परन्तु मैं निश्चित समय नहीं बता सकता हूं । संविधानिक संशोधनों में भी समय लगता है । परन्तु यह संशोधन प्रस्तुत करने से पूर्व भी हमें फ्रांस सरकार से प्रारम्भिक बातें तय करनी हैं ।

यह कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौति राशि
२४क	श्री केलप्पन	प्रशासनिक व्यवस्था	१०० पये
	श्री एम० एस० गरुपादस्वामी	फ्रांसीसी बस्तियों का प्रशासनिक एकीकरण	१०० रुपये
	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	पांडिचेरी के केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों सम्बन्धी शासन नीति	१०० रुपये
	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	भारत की भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों में पालन की जा रही नीति	१०० रुपये

श्री केलप्पन ने अपना कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस ले लिया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये जो अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मांग संख्या २४क मतदान के लिये प्रस्तुत की गयी जो स्वीकृत हुई ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य श्री गिडवानी ने भारत सरकार के द्वारा समारोहों के लिये पाले गये एक हाथी के विरुद्ध बहुत ही असन्तोष प्रकट किया है । भारत सरकार का विचार हाथी पालने का नहीं था परन्तु हाथी आसाम सरकार ने राष्ट्रपति को भेंट स्वरूप दिया था । इसमें न तो भारत सरकार और न ही राष्ट्रपति ने कोई गड़बड़ी की थी । प्रश्न केवल उसके पालन पोषण से सम्बन्धित है । सभी माननीय सदस्य स्वीकार करते हैं कि हम उसे पशुशाला (ज़ू) में रख सकते हैं । यदि हम यही रुपया पशुशाला में व्यय करते हैं तो माननीय सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

हमारे पास एक हाथी है, हम यह नहीं चाहते कि उसका पालन पोषण ठीक प्रकार से न हो । माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि हम ने पेकिंग तथा अन्य देशों को हाथी भेजे हैं । मैं अभी पेकिंग गया था तथा मैंने देखा कि पेकिंग नगरपालिका अथवा चीनी सरकार इस हाथी के पालन पोषण का विशेष रूप से ध्यान रख रही है । एक बड़ा सुन्दर मकान बनवाया गया है जिसे सर्दियों में गर्म रखा जाता है क्योंकि वहां ठंड अधिक है । एक उसके नहाने के लिये तालाब बनवाया गया है ।

मैं समझता हूं कि आपत्ति केवल व्यक्तिगत ऐश्वर्य दर्शन पर उठाई गई है । परन्तु मैं बता देना चाहता हूं कि अधिकतर राज्यों में समारोह होते हैं तथा ऐश्वर्य का प्रदर्शन होता है तथा मुझे अनुभव है कि समाजवादी राज्यों में असमाजवादी राज्यों से भी अधिक ऐश्वर्य का प्रदर्शन होता है । परन्तु यह ऐश्वर्य का प्रदर्शन वैयक्तिक नहीं होता है इससे राज्य भर का ऐश्वर्य प्रदर्शित होता है । गणतंत्र दिवस पर जिस ऐश्वर्य का प्रदर्शन होता है वह वैयक्तिक नहीं होता है, वह केवल ऐश्वर्य प्रदर्शन का एक अवसर होता है और जिसको जनता स्वयं करना चाहती है । जनता के जीवन में रंगीनी कभी कभी आती है तथा जनता उसको चाहती है ।

अतः मेरा विचार है कि इस प्रश्न के स्थान पर कि हम हाथी रखें अथवा न रखें, हमें इस पर विचार करना है कि जो हाथी हमारे पास है उसका पालन पोषण किया जाये अथवा नहीं । यदि हम इसको नहीं रखते हैं तो यह आसाम सरकार तथा राष्ट्रपति के प्रति असम्मान प्रकट करना होगा ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) : मांग संख्या २ के द्वारा भारत में निर्यात वृद्धि परिषदें स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है परन्तु अभी तक यह नहीं बताया गया है कि इनकी संरचना क्या होगी, वे कार्य किस प्रकार करेंगी तथा देश के व्यापार पर किस प्रकार नियंत्रण रखेंगी । सभी जानते हैं कि अभ्रक के द्वारा पर्याप्त राजस्व हमारे देश को प्राप्त होता है । सभा को कई बार बताया गया है कि अभ्रक उद्योग गिर रहा है । जब तक विदेशों से इसकी अधिक मांग नहीं आयेगी यह गिरता ही जायेगा । इस कारण बहुत सी अभ्रक की खानें बन्द हो चुकी हैं ।

हमें अन्य देशों का भी भय है क्योंकि अन्य कई देश भी अभ्रक के व्यापार में लगे हुए हैं । परन्तु हम आशा करते हैं कि यह निर्यात परिषदें हमारी कठिनाइयों को सुलझायेंगी । सरकार को इस उद्योग के सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई निश्चय करने चाहियें । मैंने कोई दो महीने पहले माननीय प्रधान मंत्री तथा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था, परन्तु दुर्भाग्य से अभी तक इस प्रश्न को सुलझाने के लिये कुछ भी नहीं किया गया है ।

अब आती है मांग संख्या ३९ जिसके अन्तर्गत काश्मीर को ३२ लाख रुपये का सहायता अनुदान दिया जाना है । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है काश्मीर के सम्बन्ध में इतना प्रचार किया जाता है पर वहां जाने पर उसका अंशमात्र भी दिखाई नहीं देता है । मैंने तो यह पाया है कि वहां जान और माल तक की सुरक्षा नहीं है । आवास स्थानों का अभाव है और जो है भी वह असन्तोषजनक है । बस सेवा अनिश्चित है और पर्यटक कार्यालय यात्रियों की सहायता करने को अनिच्छुक है । श्रीनगर में पर्यटक कार्यालय, रेलवे बुकिंग आफ़िस इत्यादि पृथक् पृथक् स्थानों पर हैं, इसके पर्यटकों को और भी असुविधा होती है । काश्मीर के सम्बन्ध में प्रचार तो बहुत किया जाता है पर पर्यटकों की ओर अपेक्षतया कम ध्यान दिया जाता है, इस स्थिति को अविलम्ब सुधारा जाये । वास्तव में अनुज्ञप्ति-प्राप्त मार्गदर्शक (गाइड) नियुक्त किये जायें जिससे कि वह पर्यटकों की जान और माल की सावधानी रख सकें । यह अधिक उत्तम होगा कि काश्मीर के सम्बन्ध में विज्ञापन करने के साथ साथ वहां की निर्वाह अवस्थाओं में भी सुधार किये जायें । श्री अशोक मेहता के साथ हुई घटना इसका ज्वलन्त उदाहरण है जिससे कि

[श्री रामचन्द्र रेड्डी]

यह स्पष्ट है कि काश्मीर सरकार ने शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने की बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया है ।

मांग संख्या ६३ के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि कुछ नदी घाटी परियोजनाओं सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य में अपेक्षित गति से प्रगति नहीं हो रही है । मेरा निर्देश विशेष रूप से कृष्णा घाटी विकास योजना की ओर है । प्राक्कलन तथा पुनः प्राक्कलन तैयार किये गये हैं परन्तु कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है । नन्दीकोंडा परियोजना पर न जाने कितनी बार विचार किया गया है परन्तु उसे भी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । केन्द्रीय सरकार यह कह कर कि प्रस्ताव तथा प्राक्कलन समय पर नहीं भेजे गये हैं, सारा दोष राज्य सरकार के सिर थोप सकती है; पर अब तो योजना आयोग के पास बहुत से प्रविधिक विशेषज्ञ हैं, जो इन योजनाओं की स्वयं जांच कर सकते हैं और उचित प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकारों को निश्चित सुझाव दे सकते हैं और उनको बाध्य कर सकते हैं । यदि आंध्र राज्य सरकार इन दोनों परियोजनाओं में प्राथिमकता निश्चित करने में असमर्थ रही हो तो केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह राज्य सरकार का पथ-प्रदर्शन करे और इन परियोजनाओं का कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कराये ।

मैं यह निवेदन भी कर दूं कि यदि इन परियोजनाओं का विकास किया गया, विशेषकर नन्दीकोंडा परियोजना का, तो तीस लाख एकड़ भूमि को इससे लाभ पहुंचेगा । मुझे इस बात पर भीषण असन्तोष है कि इस मामले में अनावश्यक रूप से देरी की गयी है । अतः मेरा निवेदन है कि सरकार शीघ्र ही अपना मत निश्चित करे और इन योजनाओं को बिना और अधिक देरी किये प्रारम्भ करे ।

कृष्णा घाटी परियोजना चार या पांच वर्ष से योजना आयोग के विचाराधीन है । बाद को बनायी गयी परियोजनाओं को, जैसे कि कोसी परियोजना को, प्राथमिकता दे दी गयी है और प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं । इसके लिये मैं केन्द्रीय सरकार को बधाई देते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि आंध्र देश की परियोजनाओं के प्रति इतना उत्साह नहीं दिखाया गया है । वह एक चावल उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है जहां पर अधिक खाद्यान्न उत्पन्न किये जा सकते हैं । यहां बाढ़ नियंत्रण का भी कोई प्रश्न नहीं है, यह तो साधारण विकास परियोजनायें हैं । इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री आर० के० चौधरी (गोहाटी) : मैं मांग सं० ६४ और १०० के समर्थन में कुछ शब्द कहना चाहता हूं और माननीय उपमंत्री से आसाम की वर्तमान हालत के बारे में जानना चाहता हूं । सरकार तो सदा जनता की सहायता के लिये तैयार रहती है परन्तु ठीक व्यवस्था न होने से वह सहायता सम्बन्धित लोगों तक नहीं पहुंच पाती और यह कहावत सच दिखाई देने लगती है कि :

दाता देय विधाता न देय

आसाम में बहुत से ऐसे इंजिनीयर हैं जो स्थानीय इंजीनियरों के परामर्श के बिल्कुल प्रतिकूल चलते हैं । इसी लिये उन्हें किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती । स्थानीय इंजिनीयरों ने पहले कार्यवाही करने की मन्त्रणा दी थी परन्तु डिब्रूगढ़ के सर्किट हाऊस को गिराने का कार्य भूक्षरण होने के दिन से एक दिन पूर्व आरम्भ किया गया था । मेरा अधिक सम्बन्ध पलाशबाड़ी से है जो

मेरा निर्वाचन क्षेत्र है । वहां सहारे की भीत के निर्माण का कार्य आरम्भ कर देना चाहिये । कुछ समय हुआ मुझे बताया गया था कि पलाशबाड़ी को छोड़ दिया जाये और लोगों की क्षतिपूर्ति करके उन्हें कहीं और बसाया जाये परन्तु अब यह विचार बदल गया है । लोगों ने मंत्रालय से भीत निर्माण करने की मांग की है और यदि यह कार्य तुरन्त आरम्भ कर दिया जाये तो नगर बच सकता है । मैं ने गौहाटी की हालत देखी जो बड़ी मुश्किल से बचा था । यदि पलाशबाड़ी नगर को बचाने का विचार है तो भीत निर्माण करने का कार्य तुरन्त आरम्भ कर देना चाहिये और इसी कारण मैं मांग का समर्थन कर रहा हूं ।

राजपथ के बारे में मुझे सूचना दी गई थी कि उसे पलाशबाड़ी से हटा लिया जायेगा । इस विनिश्चय से बहुत सा क्षेत्र बह जायेगा और गौहाटी के हवाई अड्डे के बह जाने का भी डर रहेगा । अतः यह विनिश्चय गलत है ।

आसाम के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये गये इंजिनीयरों को मैं यह चेतावनी देता हूं कि वे अपनी राय को ही बिल्कुल ठीक न समझ कर वहां के स्थानीय इंजिनीयरों और सेवा निवृत्त इंजिनीयरों की सलाह से सहयोग की भावना लेकर काम करें । प्रत्येक माननीय मंत्री को अनुभव करना चाहिये कि अंग्रेजो राज की नौकरशाही अभी तक वैसे ही चली आ रही है । सूखे मौसम में सिंचाई और विद्युत मंत्रियों में से किसी एक को आसाम में अपना मुख्यालय रखना चाहिये था ताकि वे स्वयं काम की देखभाल कर सकते और इस से इंजिनीयरों के दौरे भी बन्द हो जाते जो कभी दिल्ली आते हैं और कभी आसाम लौट जाते हैं । मुझे पता चला है कि पुनर्वास मंत्री कुछ समय के लिये अपना मुख्यालय कलकत्ता में रखेंगे ताकि शरणार्थियों की ओर अधिक ध्यान दिया जा सके । इसी प्रकार इसकी भी कोई व्यवस्था करनी चाहिये ।

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : मैं यहां न रहूं तो माननीय सदस्य का भाषण नहीं सुन सकूंगा ।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह (ज़िला गढ़वाल —पश्चिम व ज़िला टिहरी गढ़वाल व ज़िला बिजनौर—उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, मांग नम्बर १०० के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग, मोटर मार्ग तथा अन्य मार्गों का जो प्रश्न है उससे जो लाभ सारे देश को और विशेष कर पहाड़ी प्रान्तों को हो सकते हैं वे अगणित हैं । मैं अपने क्षेत्र की स्थिति जानते हुए बता सकती हूं कि यदि हमें घरासु तथा घुटिवाले जैसे मार्गों की तरह अर्थात् जो मार्ग घरासु, उत्तर काशी, केदारनाथ होकर निलंग तक पहुंचेगा तथा घुंटिवाला मोटरमार्ग रुद्रप्रयाग होता हुआ बद्रीनाथ से आगे नीति घाटी में पहुंचेगा तो उससे हमारा व्यापार बढ़ेगा, हमारे जंगलों द्वारा जो अभी यातायात न होने से वैसे ही पड़े हुए हैं, आय बढ़ेगी और खाने के पदार्थ जनता को सस्ते दामों में पहुंचाये जा सकेंगे, जड़ी बूटियों का वह स्थान एक कोष होने के कारण उनके निर्यात से भी हमारी आमदनी बढ़ेगी । खनिज धातुओं को बाहर निकाला जा सकेगा, बिजली इत्यादि के यन्त्र ले जाने में सुविधा होगी जिनकी सहायता से सिंचाई भली भांति हो सकेगी, यात्रियों को आने का प्रोत्साहन मिलने से ज़िले में द्रव्य आयेगा, आर्थिक लाभ के अलावा और कितने ही लाभ हो कर जनता की कठिनाइयां हट सकेंगी और एक पिछड़ा हुआ इलाक़ा कुछ चैन पा सकेगा ।

नीति घाटी के मोटर मार्ग की तरह उक्त कथित घरासु निलंग मोटर मार्ग भी

[श्रीमती कमलेंदुमति शाह]

अवश्य ही राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हो जाना चाहिये जिससे यह मार्ग कई स्थानों से होता हुआ उन स्थानों को पूर्व कथित लाभ पहुंचायेगा । मैं यह भी बता देना चाहती हूं कि ग्राम पंचायतों और श्रमदान द्वारा जो मोटर व अन्य मार्ग बनाये जाते हैं उनका संरक्षण प्रान्तीय अथवा केन्द्रीय सरकार को लेना आवश्यक है । बेचारे ग्रामीण श्रमदान दे कर जो बना देते हैं, उनकी भविष्य में मरम्मत करना उनकी शक्ति के बाहर है, इसलिये इस बात को ध्यान में रखना भी आवश्यक है । तिब्बत में अब मार्गों का एक जाल सा बिछ गया है । शंघाई-तिब्बत नामक मोटर मार्ग द्वारा चीन, तिब्बत और भारत का निकट सम्बन्ध हो जायगा, अर्थात् उक्त मार्ग भारत की सीमा तक पहुंच कर तीनों देशों को एक कर देगा हमारे पड़ौसी जब इतना कर रहे हैं तो हमें भी अपना कार्यक्रम जो हम नीतिवाटी मार्ग को ले कर आरम्भ कर चुके हैं, उसे तथा अन्य मार्गों को भी हाथ में ले कर विस्तृत करना है तभी मेरा क्षेत्र भी अन्य क्षेत्रों की बराबरी में तथा हमारा राष्ट्र अन्य राष्ट्रों की बराबरी में आ कर ऊपर उठ सकेगा । केन्द्रीय रेल मंत्री जी के शब्दों में, अर्थात् "जहां तक मार्गों से यातायात व्यवस्था का प्रश्न है मुझे इसमें संदेह नहीं कि वह लाभदायक रहा है तथा राष्ट्रीयकरण किये गये स्थानों में जनता को सस्ती व अच्छी सर्विस प्रदान करने में सफलता मिली है" मैं उन्हें उनके यह शब्द याद दिलाती हूं । मंत्री महोदय ने यातायात के विकास पर बल दिया था तथा आश्वासन दिया था कि रेलवे के बाद यह विकास मुख्यतः मार्गों पर ही होना है, मैं आशा करती हूं कि अब मार्गों की बारी आ गयी है और उनमें प्राथमिकता मेरे क्षेत्र के मार्गों को वहां की कठिन स्थिति को ध्यान में रख कर दी जायेगी और इस कार्य के लिये द्रव्य की मात्रा भी बढ़ायी जायेगी । बस मेरी इतनी ही प्रार्थना है ।

श्री अच्युतन (क्रेंगनूर) : उद्योगों सम्बन्धी मांग संख्या २ के बारे में मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि सरकार निर्यात वृद्धि परिषद् स्थापित कर रही है जिन के क्षेत्र में पश्चिमी तट की महत्वपूर्ण वस्तुएं अर्थात् काली मिर्च और काजू भी सम्मिलित हैं ।

निर्यात वृद्धि परिषद् काजू उद्योग का विकास करेगी और निर्यात सम्बन्धी मन्त्रणा देगी । इसके साथ ही हमें कच्चे काजू की पैदावार को भी बढ़ाना चाहिये क्योंकि इस समय ५० प्रतिशत कच्चा काजू विदेशों से आयात किया जाता है । मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश और भारत के अन्य भागों में काजू की पैदावार अच्छी हो सकती है । इसके लिये बहुत कम वर्षा की ज़रूरत है और ज़मीन पथरीली नहीं होनी चाहिये ।

निर्यात वृद्धि परिषद् बनाते समय सरकार को चाहिये कि वह इसमें समस्त पश्चिमी तट के उत्पादकों के प्रतिनिधि ले । तभी उत्पादन, श्रम और निर्यात का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त हो सकेगा । काजू की फसल मौसमी होती है अतः शेष समय के लिये इसमें काम करने वाले श्रमिकों के लिये भी कोई व्यवस्था करनी चाहिये ।

फिर खाद्य और कृषि की बात कहते हुए हमें बड़ा संतोष होता है कि श्री किदवई ने इस समस्या को हल कर दिया परन्तु वह इस बात का अनुमान न लगा सके कि चीनी की खपत बढ़ जायेगी और उस मांग को पूरा करने के लिये गन्ने का वर्तमान उत्पादन पर्याप्त न होगा । चीनी के आयात पर प्रत्येक वर्ष

७० करोड़ रुपया व्यय होता है । उत्तर प्रदेश और बिहार में लोगों का विचार है कि गन्ने के उत्पादक को उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है । उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि के रूप में मैं यह कहने को तैयार हूं कि हमें कुछ अधिक दाम देने में कोई कष्ट न होगा । चीनी की खपत वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती ही जायेगी और इसके अनुसार ही हमें अपना लक्ष्य निश्चित करना चाहिये ।

काश्मीर के बारे में सहायक अनुदान में जनसाधारण की हालत के बारे में कुछ नहीं बताया गया है । इस विषय में हमें अधिक जानकारी दी जानी चाहिये थी । हम जम्मू व काश्मीर को भारत का एक अंग समझते हैं और वहां के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिये यदि करोड़ों रुपये भी दिये जायें तो हमें दुःख न होगा । परन्तु हम चाहते थे कि इस विषय में हमें अधिक जानकारी दी जाती ।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मैं मांग सं० १३३ का स्वागत करता हूं और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि इस मांग के अन्तर्गत ५ करोड़ रुपया दिया जा रहा है । और यह भी बड़ी प्रसन्नता की बात है कि संस्थापन संघ बनाया जा रहा है । पहले वे ५० लाख रुपया मासिक बांटते थे और अब एक करोड़ बांटा करेंगे ।

पुनर्वास विभाग स्थापित करके इस पर व्यर्थ ही खर्च किया गया है । इसका उद्देश्य था कि लोगों को अविलम्ब क्षतिपूर्ति दी जा सके इसमें भी यह असफल रहा है और परिणाम यह हुआ कि विस्थापित लोग निरुत्साहित हो गये हैं । वे आ आ कर मुझसे पूछते हैं कि उन्हें दावों का भुगतान कब किया जायेगा । सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है दोष तो उस मशीनरी का है जो हम ने बना रखी है हिन्दी में कहावत है कि :

"तुरत दान महा कल्याण"

यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो इसमें विलम्ब नहीं करना चाहिये ।

इसके लिये धन की आवश्यकता है और सरकार धन दे रही है । कई लोग जिनके लाखों रुपये के दावे हैं बड़ी बुरी हालत में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसका कारण यह है कि जितनी जल्दी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिये थी उतनी जल्दी नहीं की गई है । इसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं ।

अब मैं चीनी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । चीनी के आयात पर किये जा रहे खर्च को देखकर मेरा दिल बैठने लगता है । यही हालत अनाज की थी परन्तु स्वर्गीय श्री किदवई के कारण अनाज में तो हम आत्म-निर्भर हो गये हैं और आशा है कि चीनी का उत्पादन भी शीघ्र ही बढ़ जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय दसस्य कल अपना भाषण जारी रखें । सभा स्थगित होने से पूर्व मैं एक घोषणा करना चाहता हूं । निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव नियमित हैं और माननीय सदस्य इन्हें औपचारिक रूप में प्रस्तुत कर दें :

कटौती प्रस्ताव सं० १, ११, ५, ६, २०, २१, २२, ७, २६, २७, २८, ३१, ३२ और ३३ ।

कटौती प्रस्ताव सं० १५, १७, १९, ३५, ९ और १० अनियमित हैं ।

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
२	श्री दामोदर मेनन	निर्यात संवर्धन परिषदों का गठन व उनके कृत्य	१०० रुपये
२	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	निर्यात संवर्धन परिषदें	१०० रुपये
५९	श्री दामोदर मेनन	संस्था पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत की जाने वाली संस्था के कृत्य और उसका गठन	१०० रुपये
६३	श्री दामोदर मेनन	बहुमुखी नदी योजनाओं, विशेषतया बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी अनुसन्धानों में धीमी प्रगति	१०० रुपये
६३	श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	बहुमुखी परियोजनाओं का संचालन	१०० रुपये
६३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी अनुसन्धान	१०० रुपये
६३	श्री एन० बी० चौधरी (घाटल)	बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी परियोजनाओं की आयोजना और उन्हें क्रियान्वित करने में विलम्ब	१०० रुपये
८५	श्री गिडवानी	आकस्मिकता पर अतिरिक्त व्यय और कतिपय अतिरिक्त पदों का बनाया जाना	१०० रुपये
८६	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	पुनर्वास के लिये कैम्पों से लोगों को भेजने में प्रगति	१०० रुपये
८६	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	गत वर्षों की शेष राशियों का समायोजन	१०० रुपये
८६	श्री एन० बी० चौधरी	मंत्रियों की समिति का निश्चय	१०० रुपये
१२४	श्रीमती रेण चक्रवर्ती	स्वदेश में चीनी के उत्पादन में कमी	१०० रुपये
१२४	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	पश्चिमी बंगाल में चीनी का नियंत्रित वितरण	१०० रुपये
१२४	श्री एन० बी० चौधरी	चीनी का आयात और बिक्री	१०० रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : अब ये सब संशोधन सभा के सामने हैं और अग्रेतर चर्चा कल होगी। अब सभा कल ११ बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इस के पश्चात् लोक-सभा, शुक्रवार, १७ दिसम्बर, १९५४ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

GIPD—HS—576 LSD—15-5-55—000